राजस्थान विधान सभा

१३वीं बैठक, शुक्रवार, दिनाङ्क २६ अक्टूबर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ११.१७ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २३३

पाकिस्तान गये भरतपुर शहर के मुसलमानों के मकान वापिस दिलाने के प्रार्थना-पत्र

श्री तेजपाल—क्या पुनर्वास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या भरतपुर शहर के मुसलमानों ने इस आशय के प्रार्थना-पत्र पेश किये हैं कि वे पाकिस्तान नहीं गये, अत: उनके मकान उन्हें वापिस दिलवाये जायें ?

(ख) यदि हां, तो उनके क्या क्या नाम हैं और उनमें से जिन व्यक्तियों को उनके मकान वापिस मिल गये हैं उनके नाम क्या हैं ?

(ग) क्या उन लोगों ने निवास के लिये उनमें प्रवेश पा लिया है ?

(घ) शेष लोगों को कब तक मकान वापिस मिल जाने की आशा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री पुनर्वास मंत्री के स्थान पर)—(क) जी हां ।

(ख) सूची टेबिल पर रख दी गई है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) दिसम्बर १९५६ तक ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या २३४

कृषि एवं गृह निर्माण प्रयोजनार्थ कृषकों को बिना मूल्य लकड़ी मिलने की रियायत

महाराज श्री केसरीसिंह—Will the Forest Minister be pleased to state :—

(*a*) Is it a fact that the Government gives a concession of free wood to agriculturists for agricultural and house building purposes? If so, which districts, enjoy this concession?

(*b*) What is the total amount of revenue, the Government is deprived of in Bundi Distt. owing to this concession?

Page No.2

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) जी हां। चित्तौड़, भीलवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, पाली, जालोर, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले इसका लाभ उठाते हैं।

(ख) लगभग २७००० रु० प्रति वर्ष।

श्री केसरीसिंह—क्या यह रियायत हर साल दी जायगी ?

श्री पंड्या—नहीं, जब तक दूसरी आज्ञा नहीं निकलती है तब तक यह रियायत दी जाती रहेगी।

श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है कि वह बहुत से प्रिजर्व्स इस रियायत के तहत में काट लिये गये हैं ?

श्री पंड्या—ऐसी जानकारी की बात सरकार के सामने नहीं आई है, लेकिन यदि आप सूचना देंगे तो जानकारी करवाई जावेगी और उसको रोकने का भरसक प्रयत्न किया जावेगा।

श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है कि रामगढ़, जिला बूंदी, के अन्दर जो प्रिजर्व्स हैं वे इसके तहत काट लिये गये हैं ?

श्री पंड्या—यह आपने सूचना दी है इसकी जानकारी कराने का प्रयत्न किया जायगा।

प्रश्न संख्या २३५

गंगानगर-पदमपुर सड़क पर ६ से १२ मील तक स्थित खतरनाक वृक्षों को हटाने सम्बन्धी व्यवस्था

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार गंगानगर—पदमपुर सड़क पर गंगानगर से ९ व ११ मील के दर्म्यान सड़क के नजदीक जो वृक्ष बहुत खतरनाक हैं उन्हें हटाने तथा ११-१२ मील के दरम्यान जो माइनर का जो मोड खराब है उसको ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उपमंत्री)—मोड व पेडों के कारण कोई खतरा नहीं है। इसके कारण ऐसा एक्सीडेन्ट होने की कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। बाकी सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री सन्धु—क्या सरकार सड़क के साथ साथ जो पेड़ लगे हुए हैं उनको गिराना जायज नहीं समझती है?

श्री शाह—यह दरख्त २० साल पहले से इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के लगाये हुए हैं। कैनाल के करीब २ और सड़क से बहुत दूर वे पेड़ खड़े हुए हैं, और इस २० साल के अर्से में कोई खतरा पैदा नहीं हुआ और न कोई एक्सीडेन्ट हुआ है, इसलिए हटाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार के ध्यान में है कि सडक आधी बनी है, बीस साल से नहीं है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—सड़क बेशक अभी बनी होगी लेकिन दरख्त २० साल से मौजूद हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जब खतरा होगा तो क्या सरकार उनको हटा देगी ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—खतरा तो रास्ते चलते ठोकर लग कर इन्सान मर जाता है। बीस साल तक नहीं हुआ कोई एक्सीडेन्ट तो अब भी उम्मीद नहीं करनी चाहिये, दुनिया उम्मीद पर ही कायम है। (हंसी)

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—एक दूसरी साइड पर जो दरख्त हैं उनका दरमियानी फासला १२ फुट से ज्यादा नहीं है।

श्री शाह अलीमुद्दीन—जरा फिर से फरमाइये।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—एक दूसरी साइड पर दरख्त हैं १२ फुट से ज्यादा के फासले पर नहीं हैं और एट ए टाइम दो बसेज पास नहीं हो सकती हैं।

श्री शाह अलीमुद्दीन—जहां ऐसा होगया है वहां एक दूसरी बस को धक्का देने की जरूरत नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार इसका प्रबन्ध करेगी कि एट ए टाइम दो बस गुजर सकें ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—ऐसे मुकामात तमाम नहीं है, एक जगह कोई हो तो बता सकते हैं। ऐसी जगह होती हैं जहां ड्राइवर खुद भी आंख से देख कर बचाता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—यह दो मील लम्बा डिस्टेन्स है। ऐसी हालत वहां है।

श्री शाह अलीमुद्दीन—ऐसा नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार जांच कराने के लिये तैयार है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—अगर आप खास जगह बता देंगे तो यकीनन जांच की जायगी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मैंने जगह बता दी है ९ से ११ मील के बीच की ब्रिज है। हो सकती है और दुरुस्ती की वहां पर भी कई एक्सीडेन्ट हो चुके हैं।

श्री शाह अलीमुद्दीन—वहां क्रोसिंग होगा ब्रिज होगा, वहां उम्मीद के माफिक दुरुस्ती नहीं हो सकती है और दुरुस्ती की आवश्यकता भी नहीं है। एक्सीडेन्ट कोई नहीं हुआ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—यह आप किस आधार पर कह रहे हैं कि वहां एक्सीडेन्ट नहीं हुआ ?

Page No.4

श्री शाह अलीमुद्दीन—गवर्नमेंट के पास कोई इत्तला नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—वहां कई एक्सीडेन्ट्स हुए हैं।

श्री शाह अलीमुद्दीन—गवर्नमेंट के पास तो काई इत्तला नहीं है, आपके पास इत्तला आयी होगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २३६

कोटा झालावाड व चित्तौडगढ़ जिलों में पिछले वर्ष व इस वर्ष पकड़ा गया अमल

राज श्री हिम्मतसिंह—Will the Separate Revenue Minister be pleased to state:—

(*a*) How much opium was seized in the Kotah, Jhalawar and Chittorgarh districts last year ?

(*b*) How much was seized this year ?

(*c*) How many cases were filed in the Court of Law ?

(*d*) Whether it is a fact that in the Courts Gur is usually produced in such cases instead of the opium so siezed?

(*e*) Do the Courts usually order the seized opium to be destroyed?

(*f*) How much of such opium was destroyed by orders of the Court last year in the above mentioned districts?

श्री भोगीलाल पंड्या (पृथक राजस्व मंत्री)—(ए) पिछले वर्ष कोटा में साढ़े ग्यारह तोला, झालावाड से ८ मन २३ सेर २ छटांक ३ तोला व चित्तौड जिले में ५ सेर ५ तोला ११ माशा अफीम गिरफ्तार की गई।

(बी) इस साल कोटा में २ सेर, झालावाड में २ मन १० सेर १० छटांक साढे चार तोला व चित्तौड जिले में २ मन ३१ सेर ३ तोला अफीम गिरफ्तार की गई।

(सी) चालान किये गये मुकदमों की संख्या इस प्रकार है :—

	पिछला वर्ष	इस वर्ष
कोटा	१	५
झालावाड	२८	१३
चित्तौड	५	२२

(डी) नहीं। इस वर्ष व पिछले वर्ष ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई।

(ई) नहीं, गिरफ्तार शुदा अफीम अदालतों द्वारा जब्त होकर एक्साइज विभाग में भेज दी जाती है।

(एफ) अफीम एक्साइज विभाग में भेजने की आज्ञा है ऐसी दशा में अदालतों द्वारा अफीम नष्ट करने का कोई प्रश्न नहीं रहता।

राज श्री हिम्मतसिंह—अफीम जब एक्साइज डिपार्टमेंट में जाती है तो क्या करते हैं ?

श्री पंड्या—मैंने सुना नहीं।

राज श्री हिम्मतसिंह—आपने फरमाया कि अफीम कोर्ट से एक्साइज डिपार्टमेंट में भेज दी जाती है तो फिर उसको क्या करते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वह एक्साइज डिपार्टमेंट को वापिस मिल जाती है, बेची जाती है या जो उसका उपयोग होता है वह किया जाता है। जैसा आपका खयाल है कि वह नष्ट कर दी जाती है, वह नष्ट नहीं की जाती है।

राज श्री हिम्मतसिंह—झालावाड में इतने मुकदमें क्यों होते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वहां ऐसा धन्धा होता है। सीमा पर यह होने से भी होता है।

प्रश्न संख्या २३७

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २३८

कोटा के बिजली के उपभोक्ताओं से मीटर चार्जेज एवं उन्हें बन्द करने सम्बन्धी शासकीय कार्यवाही।

राज श्री हिम्मतसिंह—Will the Public Works Minister be pleased to state :—

(*a*) Does the Electric Department realise electric meter charges from the consumers at Kotah and if so, at what rate?

(*b*) Is it a fact these charges are being realised for over twelve years during which period the full prices of the Government meters has been paid up? If so, will the Government now discontinue the realisation of meter charges from such persons?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप-मंत्री)—(*a*) Rent is recovered for Government owned meters.

(*b*) The rent rates are :—

(*i*) Annas -/8/- per meter per month for single Phasemeter.

(*ii*) Rupee 1/- per meter per month for Three Phasemeter.

(*iii*) Rupees 2/- per meter per month for Demand or special type of meters.

(*c*) Rent is changed from the date the meter is hired out.

(*d*) The Meters are hired out and not sold on hire purchase basis.

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २३६

जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर में दो माह पूर्व कार्य करने वाले श्रमिक एवं उनमें से कुछ को पृथक करना

श्री श्रीदास गोयल—क्या श्रम मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर में दो मास पूर्व कितने मजदूर काम कर रहे थे ?

(२) उन मजदूरों में जिला सवाई-माधोपुर के कितने मजदूर थे ?

(३) क्या गत दो मास में मैनेजर द्वारा मजदूरों को नौकरी से अलग किया गया है ?

(४) यदि हां, तो कितनों को और उनमें जिला सवाई-माधोपुर के कितने थे ?

(५) उक्त मजदूरों को अलग करने का क्या कारण है ?

(६) सरकार इन बेकार व्यक्तियों को काम दिलवाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (श्रम मंत्री की ओर से)—(१) माह अगस्त, १९५६ के अन्त में २३०९ मजदूर काम कर रहे थे ।

(२) यह सूचना उपलब्ध नहीं हो सकती है क्यों कि इस किस्म का रिकॉर्ड स्वयं मालिक फेक्टरी के पास भी नहीं है ।

(३) १३ सितम्बर को केवल १७ मजदूर नौकरी से अलग किये गये ।

(४) यह सूचना उपलब्ध नहीं हो सकती है कि सवाई-माधोपुर के कितने मजदूर थे ।

(५) इन मजदूरों को इरेक्शन के काम के लिये अस्थाई रूप से नौकर रखा गया था, कार्य समाप्त हो जाने पर उनकी नौकरी समाप्त हो गयी ।

(६) ऐसे मजदूरों को फिर से काम प्रारम्भ होने पर प्राथमिकता दी जाती है ।

श्री श्रीदास गोयल—यह जो आपने फरमाया कि १७ मजदूर अलग किये गये तो क्या यह संख्या वहां के रेकॉर्ड को देखकर बतायी गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां । वहां से सूचना मिली उसके आधार पर बतायी गई ।

श्री गोयल—मेरा यह निवेदन है कि क्या वहां वास्तव में १७ मजदूर अलग किये गये या ५०० के करीब मजदूरों को अलग किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपको यह भ्रम हो रहा है कि वहां जो बिल्डिंग बन रही है और वहां जो मजदूर काम कर रहे हैं कहीं उनको भी आपने उनमें जोड लिया है ।

श्री गोयल—मैंने तमाम मजदूरों के संबंध में पूछा है, टेम्पोरेरी और स्थायी मजदूरों की संख्या जानना चाहता हूं ?

श्री पंड्या—रोज मजदूर काम पर आते हैं, कोई परसों नहीं आया तरसों आगया, कल नहीं आया परसों आगया उनकी संख्या मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मजदूर स्थायी हैं, लम्बे समय से काम कर रहे हैं उनके बारे में मैंने बताया कि उनकी संख्या १७ है।

श्री गोयल—वे मजदूर जो कई वर्ष से काम कर रहे थे लेकिन मेनेजमेंट उनको टेम्पोरेरी इस लिये रखता था कि उनके ऊपर भार स्थाई मजदूर रखने पर न पड़े और चाहे जब अलग कर दें, जो लगातार काम कर रहे थे उनकी संख्या पूछी है।

श्री पंड्या—ऐसी बात नहीं है कि जो नियमित रूप से काम कर रहे थे उनको अलग कर दिया। यह वह संख्या नहीं है।

श्री गोयल—जो अस्थाई रूप से काम कर रहे थे उनको अलग किया गया है, उनकी क्या संख्या है ?

श्री पंड्या—यह अलग से प्रश्न पूछिये। रजिस्टर देख करके उत्तर दिया जा सकता है। यह अलग से प्रश्न आने पर हो उत्तर दिया जा सकेगा उसका, सब बातें देख कर कि किसने कितने कितने दिन काम किया।

श्री गोयल—मेरा मजदूरों तक सवाल सीमित था। टेम्पोरेरी और स्थायी कोई हो। अगर अभी इन्फोर्मेशन नहीं है तो बाद में दे दीजियेगा। यह आवश्यक इन्फोर्मेशन है।

श्री भोगीलाल पंड्या—जो इन्फोर्मेशन थी वह दी गई। वर्षों से कौन कौन मजदूर थे इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो वह भी दी जा सकती है, महीने दो महीने या १ दिन दो दिन किसने किसने काम किया यह भी इन्फोर्मेशन दी जा सकती है, अगर आप इस संबंध में इस तरह का प्रश्न पूछें तो।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, इसमें यह प्रश्न साफ है कि क्या गत दो माह में मेनेजर द्वारा मजदूरों को नौकरी से अलग किया गया है ? जो भी मजदूर जयपुर उद्योग लिमिटेड कोऑपरेटिव तौर पर मेनेजर के तहत आते हैं उनकी तादाद बता दीजिए ?

श्री अध्यक्ष—That has been given.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The Statement given is that 17 workers were discontinued. The workers of temporary nature have not been included.

श्री अध्यक्ष—The question is not very clear.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या गत दो मास में मेनेजर द्वारा नौकरी से मजदूरों को अलग किया गया है ? जिन मजदूरों को नौकरी से अलग किया है मेनेजमेन्ट के तहत, जो काम कर रहे थे उनके आंकड़े देने के लिये प्रश्न किया गया है।

श्री अध्यक्ष—The answer is defective. Only 13th September is the date.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं इसको स्पष्ट कर दूं। जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई-माधोपुर में इरेक्शन का काम चल रहा है। इस सिलसिले में जितने मजदूरों की जरूरत होती है उतनों को टेम्पोरेरी बेसिस पर रख लेते हैं। जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई-माधोपुर वालों का कहना है कि पर्टिक्युलर काम के लिये मजदूरों को रख लेते हैं और वह काम खत्म हो जाता है तो उनको निकाल देते हैं और उनकी नौकरी समाप्त कर देते हैं। किसी भी मजदूर को जिसने २४० दिन से अधिक काम किया है, नहीं बर्खास्त किया गया है। टेम्पोरेरी काम के लिये टेम्पोरेरी मजदूर लगाये जाते हैं और ऐसे मजदूर हर महीने में लगाये जाते हैं और हर महिने में बर्खास्त किये जाते हैं। अभी ज्यादा असंतोष बढ़ा है, उसका कारण यह है कि इरेक्शन के काम में कई हजार मजदूर लग रहे हैं लेकिन इरेक्शन के काम में बाधा आने के कारण उन्होंने मजदूरों से कहा कि हमारे पास तुम्हारे लिये अब काम नहीं है, जब जरूरत होगी तब रख लेंगे। इसी सिलसिले में इरेक्शन में लगे हुए मजदूरों का काम बन्द हो गया है। वैसे मामला श्रम विभाग के जेर गौर है। उनको कहा जा रहा है कि प्रोग्राम इस तरह से फिक्स करिये जिससे मजदूरों का नुकसान न हो। इस महीने में जो १७ मजदूरों के लिये कहा गया है वे मजदूर एक्चुअली सवाई माधोपुर उद्योग लिमिटेड फेक्टरी के मजदूर हैं। फेक्टरी में काम करने वाले १७ मजदूरों को निकाला गया है।

श्री श्रीदास गोयल—टेम्पोरेरी काम करने वाले मजदूरों से जिनको निकाला गया उनके रोटी रोजी के रास्ते के बारे में सरकार ने क्या किया ?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये अलग प्रश्न करिये।

(विराम)

नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री श्रीदास गोयल—यह मजदूरों के रोटी रोजी का सवाल है, घंटी बजाने से कैसे काम चलेगा ?

श्री अध्यक्ष—Order Please! I call the member to order. There is no question of objecting to the ruling of the Chair. I have allowed every opportunity to the Member to ask supplementaries but he is insisting on asking unnecessary supplementaries which do not arise from the question.

प्रश्न संख्या २४०

कोटा पावर हाउस के इंजनों पर लोड अधिक होने के कारण जनता को असुविधाएं

राव श्री हिम्मतसिंह—Will the Public Works Minister be pleased to state :—

(a) Is it a fact that the load on the engines of the Power House, Kotah, is more than its capacity for output of electricity and that during the day time when the fans are more needed, the current is diverted and supplied for the running of flour mills?

Page No.9

[राज श्री हिम्मतसिंह]

(b) Is it also a fact that due to this diversion and fluctuation of the current Radios and other electric equipments of the public are often spoiled and the public is put to undue inconvenience and loss?

(c) How may flour mills are working in Kotah City and how much current do they consume daily?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग)—(a) Yes.

(b) This is not in our knowledge.

(c) The total number of flour mills in Kotah is 72 only including *Dal* plants. They are divided into two groups, each group working in one shift. The average load including Dal plants is 160 KW daily.

प्रश्न संख्या २४१

जोधपुर के वन विभाग के जू व नर्सरी सेक्शन्स में से चार चार व्यक्तियों को सेवा से पृथक करने के कारण

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the forest Minister be pleased to state :—

(a) Is it a fact that four workers from the Zoo section and four workers from the Nursery section of the Forest Department at Jodhpur have been recently discharged without notice and new persons have been recruited in place of the workers so discharged?

(b) Is the Government aware that the persons who have been now discharged had been serving the Department for the last many years, some of them having a service of even 15 years to their credit?

(c) What are the reasons for discharging them and recruiting fresh hands in their place?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मंत्री)—(a) Yes. It is a fact that four surplus hands from the Zoo and four surplus hands of the Arboriculture sections of Jodhpur were discharged. They were not permanent employees but casual labour. No new persons have been recruited.

(b) It is not known that they have been serving for the last 15 years but some of them have been serving as casual labour since a number of years.

(c) The reason for their discharge is that they were surplus to the requirements of the Department and not recruiting new hands.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जो जवाब दिया गया है कि उनको एवज में नये लोगों को काम पर नहीं रखा गया, मैं इस सिलसिले में फिर से दोहरा रहा हूं कि नये लोगों को रखा गया है जिनकी तादाद १२ है। इस सिलसिले में क्या मंत्रीजी स्थिति स्पष्ट करेंगे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—इस स्थान पर किसी नये व्यक्ति को नहीं रखा गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—नये लोगों को इस डिपार्टमेन्ट में एम्प्लोय किया गया या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उनकी जगह पर किसी भी नये व्यक्ति को नहीं रखा गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह सेक्शन चाहे एबोलिश हुआ हो, लेकिन और सेक्शन्स जो इस विभाग के मातहत हैं वहां लोगों को नये सिरे से रिक्रूट किया गया या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जिनको निकाला गया था उनको ओफर किया गया था कि तुम्हारी दूसरी जगह ट्रान्सफर कर दो जायगी लेकिन उन्होंने इसके लिये मना किया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उस स्थान पर नये आदमी डेप्यूट किये गये या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—ये जानना चाहते हैं कि नये आदमियों ने काम किया या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—नहीं किया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह तो सेक्शन ही एबोलिश हो गया लेकिन in other section extensions are taking place and new people are recruited. I want to know whether in this very section new workers are being recently recruited or not? If so, why are they being recruited when some persons are already available.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—They were from the Arboriculture section which was abolished. They were sent to other places where such type of work was available. As Government servants they had no right to refuse their transfers and go elsewhere. But when they refused to go elsewhere, there was no alternative but to discharge them.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Was any order of transfer issued in their case?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—They were asked to go elsewhere.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it a fact that the notice of discharge which was given to them in writing does not state any of the surplus hands which have been stated here just now.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—It is not necessary. When they were surplus, they were declared surplus.

Page No.11

श्री हरिकृष्ण व्यास—After having been declared surplus were they offered any opportunity of absorption in the department wherever vacancies were available?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—They were asked to go elsewhere.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Is it a fact that such was stated to them orally or and not in writing ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—It was not necessary to give them in writing because they were class IV servants.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं पूछ रहा हूं कि आॅडर लिखित रूप में दिया गया या नहीं। जो सूचना दी जा रही है उस सिलसिले में ओरल आॅडर था या लिखित दिया गया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने जवाब दिया कि जरूरी नहीं था। उनको कहा गया कि दूसरी जगह जाओ और उन्होंने जाने से रिफ्यूज किया। They were most casual labour and therefore they were discharged.

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसी स्थिति में उनको डिस्चार्ज करने के पहले पूछा गया था या बाद में?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जब कोई डिपार्टमेन्ट में सरप्लस होते हैं तो पहले उनको सरप्लस डिक्लेअर किया जाता है और फिर उनका एब्जोर्पशन किया जाता है। इस तरह से उनको भी कहा गया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज किया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि सरप्लस का नोटिस देने के बाद नये लोगों को रखा गया है और उनको नहीं रखा गया ? This is a precised point.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उनके स्थान पर नहीं रखा गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—उस जगह रखने का सवाल नहीं है, जब कि वह जगह एबोलिश हो गई। लीगल किल्लर की तरह जवाब न दें। उस विभाग में नये आदमी रखे गये या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—The question is very clear.

श्री हरिकृष्ण व्यास—नये लोगों को उस पीरियड में रखा गया या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आरबोरिकल्चर के आदमी दूसरी जगह उपयुक्त नहीं थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि चार और चार व्यक्तियों का इसमें प्रश्न है, वे आरबोरिकल्चर सेक्शन के थे और नर्सरी और जू सेक्शन में टेम्पोरेरी लगाये गये थे और वहां से डिस्चार्ज किये गये और उन लोगों की जगह पर दूसरे लोगों को रखा गया ? That is in respect of Food section and Nursery section. I am asking about those who were in the Arboriculture Section but having once been absorbed they were discharged and other people recruited.

Page No.12

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आपका प्रश्न यह है कि "Is it a fact that four workers from the Zoo section and four workers from the Nursery section of the Forest Department at Jodhpur have been recently discharged without notice and new persons have been recruited in place of the workers so discharged?"

It is not a fact.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि आरबोरिकल्चर सेक्शन के वर्कर्स थे उनमें से चार को जू में और चार को नर्सरी में टेम्पोरेरी तौर पर भेजा गया था और वहां से डिस्चार्ज किया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आरबोरिकल्चर सेक्शन एबोलिश होने के बाद उनको दूसरी जगह जाने का कहा गया था ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—फिर वे वापिस नर्सरी और जू में कैसे आ गये ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—सरप्लस होने के बाद उनको नर्सरी और जू सेक्शन से डिस्चार्ज किया गया ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि सरप्लस होने के समय वे आरबोरिकल्चर सेक्शन में मुलाजिम थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—जू में मुलाजिम थे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सच है कि आरबोरिकल्चर में थे ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—उनमें से चार आरबोरिकल्चर में थे और ४ जू में थे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—४ आरबोरिकल्चर में थे वे नर्सरी में कैसे गये ? अभी आपने उत्तर में कहा था कि नर्सरी से डिस्चार्ज हुए थे । How they happened to have entered into the Nursery Section ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आरबोरिकल्चर सेक्शन से डिस्चार्ज हुए ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी जो उत्तर दिया गया था उसमें कहा गया था कि चार नर्सरी में से डिस्चार्ज हुए थे, वे चार नर्सरी विभाग में से डिस्चार्ज कैसे किये गये; यदि वे वहां पर टेम्पोरेरिली एब्जॉर्ब नहीं हुए थे तो ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैंने यह जवाब दिया था "It is a fact that four surplus hands from the Zoo and four surplus hands of the Arboriculture sections of Jodhpur were discharged."

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो चार आरबोरिकल्चर के थे वे नर्सरी में कैसे आये डिस्चार्ज होने से पहले ?

Page No.13

श्री बृजसुन्दर शर्मा--नर्सरी सेक्शन का जवाब नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास-क्या यह सही है कि ये जो ८ वर्कर्स हैं वे पहले अरबोरिकल्चर सेक्शन में थे, उनको १०, १२ दिन के लिये दूसरे सेक्शन्स में लगाया गया और बाद में डिस्चार्ज किया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा--जी नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार फिर से जांच कराने को तैयार है कि जो स्थिति मैं प्रस्तुत कर रहा हूं हकीकत उसी तरह की है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा-मेरे पास सूचना इस तरह की है कि ४ जू के और ४ आरबोरिकल्चर सेक्शन के ये ८ व्यक्ति सरप्लस थे उनको डिस्चार्ज किया गया।

श्री अध्यक्ष--ये कहते हैं कि जांच करायेंगे क्या कि आरबोरिकल्चर सेक्शन में से दूसरे सेक्शन में ले कर फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा-मेरा निवेदन है कि आरबोरिकल्चर सेक्शन को ही एबोलिश कर दिया गया है और नर्सरी में लेने का सवाल ही नहीं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी--On a point of order, Sir, is there any work like 'arborical' ?

श्री अध्यक्ष--आरबोरिकल्चर ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी--I think the word is 'arboricultural'.

श्री बृजसुन्दर शर्मा--आप इंग्लिश में एम. ए. हैं, यह मैं जानता हूं।

श्री अध्यक्ष--But we must have the benefit of his knowledge.

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि सरप्लस होने के बाद उस विभाग में दूसरे आदमियों को लिया गया तो पहले उनको चांस क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--यह उन्होंने बता दिया कि उनकी यूटिलिटी नहीं थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह तो गलत बात है। They had once been absorbed temporarily.

उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन भी किया मंत्री महोदय को मालूम नहीं है। मैं मंत्री महोदय को जानकारी देता हूं·····

श्री अध्यक्ष--यहां मंत्री महोदय की जानकारी काम देगी। नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २४२

तहसील मांगरोल (ज़िला कोटा) में कृषि सहकारी समिति के सदस्य एवं उसके हिसाब का ऑडिट इत्यादि

राज श्री हिम्मतसिंह--Will the Minister-in-charge Co-operative Department be pleased to state :—

(a) Whether there is any Agricultural Co-operative Society in Tehsil Mangrol, Distt. Kotah by the name of "Ashokpur" ?

(b) How many members are there in this society, what are their names and addresses ?

(c) How much money has each member contributed towards the Society ?

(d) How much money has the Government advanced to this society through the Co-operative Bank and what instalments were fixed for the realisation of this money ?

(e) How many times the accounts of this society were audited since its very inception?

(f) Whether this society is running at a loss or on profit ?

(g) How much money could this society repay to the Government Co-operative Bank in instalments and how much is still to be paid ?

(h) Whether this society is in possession of a tractor? If so, from which company was it purchased and when ?

श्री भोगीलाल पंड्या—१. हां ।

२. समिति के पंजयन के समय १६ सदस्य, जिन की सूची मय पता परिशिष्ट-अ-संलग्न है, बने थे; बाद में कुछ नये सदस्य और बने तथा कुछ समिति से पृथक हो गये और अंत में १३ सदस्य रहे, किन्तु रेकार्ड प्राप्त नहीं होने के कारण उनके नाम व पते उपलब्ध नहीं हैं ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

३. निरीक्षण पत्र दिनांक ११-२-५५ के अनुसार उस रोज १५ सदस्यों के प्रति सदस्य ५०) रुपये के हिसाब से ७५०) रुपये जमा थे । मौजूदा सूरत में कितना रुपया समिति में प्रत्येक सदस्य का जमा है रेकॉर्ड प्राप्त नहीं होने के कारण उपलब्ध नहीं है ।

४. सरकार द्वारा सहकारी बैंक से कोई ऋण नहीं दिया गया है ।

Page No.15

[श्री भोगीलाल पंड्या]

५. अंक-परीक्षक जब २ समिति का अंक परिक्षण हेतु समिति में पहुंचा उसे रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं किया गया अतः समिति का अंक परीक्षण एक बार भी नहीं किया जा सका है।

६. समिति में अनुमानतः ३५००) रुपये का घाटा बतलाया गया है।

७. सरकार द्वारा समिति को १२,०००) रु० ऋण ट्रेक्टर खरीदने के लिये मिले थे। यह रकम सरकारी विभाग की बिना सम्मति दी गई थी और उसके चुकारे के सम्बन्ध में रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण यह विभाग आंकडे देने में असमर्थ है।

सहकारी केन्द्रीय बैंक से इस समिति को कोई ऋण नहीं दिया गया, अतः उसके चुकारे का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

८. हां। रेकार्ड के उपलब्ध नहीं होने के कारण ट्रेक्टर किस के यहां से खरीदा गया बतलाने में असमर्थता है। समिति के कब्जे में एक फर्गुसन ट्रेक्टर २६ अश्व शक्ति तथा एक ट्रोली अभी मौजूद है।

राज श्री हिम्मतसिंह—कौनसी तारीख को १२०००) रुपये कर्ज दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—Not audiable. Not clear.

राज श्री हिम्मतसिंह—जब सोसायटी को सहकारी बैंक से ऋण नहीं दिया गया तो कौनसे डिपार्टमेन्ट से दिया गया ?

श्री पंड्या—ऋण राजस्थान सरकार से मिला है, मेरे खयाल से शायद कृषि विभाग से मिला है।

श्री भैरूं सिंह—जो रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है वह समिति ने जान-बूझ कर छुपा लिया है या किसी और तरह से गुम हो गया है ?

श्री पंड्या—ऐसा कहा जाता है कि वह रेकॉर्ड शायद जल गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि ग्रो मोर फूड केम्पेन के सिलसिले में यह ऋण दिया गया है ?

श्री पंड्या—हो सकता है।

श्री भैरूं सिंह—जब सरकार को पता था कि उस समिति में ३५००) रुपये का घाटा है तो फिर उसे यह १२०००) रुपये का ऋण क्यों दिया गया ?

श्री पंड्या—उन्होंने बाद में बताया कि ३५००) का घाटा है।

Page No.16

श्री भैरूंसिंह—ऋण देने से पहले क्या सरकार ने यह आवश्यक नहीं समझा कि उस समिति के सदस्यों को पूछा जाय और उसके हिसाब किताब को जांच को जाय ?

श्री पंड्या—मैंने आपको बताया न कि इस विभाग को रुपया कर्ज देते समय पूछा नहीं गया।

श्री भैरूं सिंह—क्या इस विभाग ने आवश्यक नहीं समझा कि उस सोसायटी की एग्जिस्टेन्स और रजिस्ट्रेशन के बारे में इस विभाग ने नहीं पूछा तो अपनी तरफ से तो ऋण देते समय यह सब पूछा जाय ?

श्री पंड्या—विभाग ने तो जांच का प्रयत्न किया पर रेकॉर्ड नहीं मिला, अधिकारी ने मौके पर जा कर जांच को पूछ ताछ की पर रेकॉर्ड नहीं मिला।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या लिक्विडेशन करने के बारे में कोओपरेटिव विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री पंड्या—जांच के बाद में जो कानूनी तौर पर करना आवश्यक होगा वह किया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या उस ट्रेक्टर को तुरन्त अपने कब्जे में लेने की कार्यवाही सरकार ने की है ?

श्री पंड्या—अभी तो जांच को जा रही है, सरकार आवश्यक समझेगी तो ट्रेक्टर पर भी कब्जा करने की कार्यवाही करेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या उस सोसाइटी को समन इश्यू किया गया है कि वह अपना रेकार्ड सरकार के सामने पेश करे ?

श्री पण्ड्या—जी हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उस समन की तामील नहीं की है ?

श्री पण्ड्या—यह चीज़ पता नहीं। यहां से सूचना दी है तामील हुई ही होगी।

राज श्री हिम्मतसिंह—इस समिति के पास कितनी जमीन थी जो ट्रेक्टर के लिये लोन देने की आवश्यकता पड़ी ?

श्री पण्ड्या—जिन्होंने कर्जा दिया उन्होंने उस समय जांच की होगी, विभाग से पूछा जाय तो जानकारी देगा।

राज श्री हिम्मतसिंह—जब समिति रजिस्टर्ड ही नहीं है तो सरकार को कैसे जानकारी होगी ?

श्री पंड्या—रजिस्टर तो हर एक समिति होती है और विभाग के पास सब जानकारी है। अलग से जानकारी नहीं है इसलिये कह रहा हूं कि विभाग से पूछा जाय तो यह जानकारी देगा।

श्री भैरूं सिंह—इस विभाग की किस प्रकार की जांच के आधार पर सरकार ने यह परिणाम निकाला कि समिति को १२०००) रुपया कर्ज दे दिया जाय, जब कि समिति को ३५०० का घाटा था ?

श्री पण्ड्या—घाटे की बात उस समय विभाग की जानकारी में नहीं थी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस समिति का ऑडिट कौनसी स्टेज तक पहुंचा हुआ है ?

श्री पण्ड्या—७-१-५६ को इस समिति का रेकॉर्ड मांगा गया, फिर १९-१-५६ को दुबारा इसका रेकार्ड मांगा गया, ११-२-५६ को फिर कहा गया कि जल्दी से जल्दी रेकॉर्ड बतावें हिसाब की जांच करेंगे । १७-९-५६ को उन्होंने जवाब देने के लिये कहा था , अभी तक नहीं आया है तो आगे के लिये और कार्यवाही की जायगी ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—रजिस्टर कब हुई थी यह सोसायटी ?

श्री पण्ड्या—५-६-५१ को ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—५१ के बाद एक भी हिसाब सोसायटी ने नहीं भेजा ?

श्री अध्यक्ष—एक बार भी नहीं भेजा, यह जवाब दिया है न ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो इस इतने लम्बे अर्से तक सहकारी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या—मैंने उत्तर में कहा कि समय समय पर रेकॉर्ड मांगा गया और रेकार्ड पेश करने के लिये नोटिस भी दिया गया ।

राज श्री हिम्मतसिंह—इसके चेयरमेन कौन हैं ?

श्री पण्ड्या—श्री मदन लाल खानपुरिया ।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि सरकारी ऋण ट्रेक्टर वगैरह के लिये दिया जाता है, वह ऋण, ऋण लेने वाले को न दिया जा कर जिस फर्म से ट्रेक्टर खरीदा जाय उसी फर्म को दिया जाता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे भी कुछ ऐसा याद पडता है कि ऐसे नियम हैं ।

राज श्री हिम्मतसिंह—तो इसके लिये जो ऋण दिया गया वह मदनलाल खानपुरिया को दिया गया या ट्रेक्टर खरीदा गया उस फर्म को दिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके लिये आप संबंधित विभाग को प्रश्न पूछेंगे तो वह पूरी जानकारी आपको देगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चार वर्ष तक जिसने कोई हिसाब पेश नहीं किया उसके लिये आपने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने जिन जिन तारीखों को नोटिस दिया उनकी आपको तारीखें बताई हैं और जो आगे होने वाली बात है वह भी आपको बताई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने १९५६ की बात बताई है। १९५१ से लेकर ५५ तक चार वर्षों में हिसाब नहीं पेश करने से सहकारी विभाग ने उनके खिलाफ या कार्यवाही की ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने बताया कि इन्सपेक्टरों को जांच के लिये भेजा गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी जो चिट्ठियें आपने बताई वे १९५६ की बताई हैं। मैं उनके बारे में नहीं पूछा रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं १९५५ के अंत तक चार वर्षों तक कोई हिसाब पेश नहीं किया इन चार वर्षों में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—समय समय पर इन्सपेक्टरर्स जाते रहे हैं। उनके अनुसार दिनांक ११-२-५५ के दिन १५ सदस्यों के प्रति सदस्य ५० रुपये के हिसाब से ७५० रुपये जमा थे। कितना रुपया रेकॉर्ड में प्रत्येक सदस्य का जमा है वह रेकॉर्ड प्राप्त नहीं होने से नहीं उपलब्ध था। जब जांच की तभी पता लगा कि रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २४३

नगर सवाई-माधोपुर तथा मान टाउन में बिजली लगवाने की व्यवस्था

श्री श्रीदास गोयल—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) नगर सवाई माधोपुर तथा मान टाउन में बिजली लगवाने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(२) क्या यह सही है कि जिला केन्द्रों में यही केन्द्र बचा है जहां अभी तक बिजली नहीं लगवाई गई है ? यदि हां, तो उपरोक्त स्थान पर कब तक बिजली की व्यवस्था हो सकेगी ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—(१) ऑर्डर दे दिया गया है।

(२) यह सही नहीं है। आशा है नवम्बर ५८ तक यह काम पूरा हो जावेगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर ने सवाई माधोपुर में जनता को निश्चित रूप से कहा था कि वहां पर दिसम्बर ५६ तक बिजली लगा दी जावेगी ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—ऐसा कहा होगा उन्होंने। इस आशय से कह दिया होगा कि जैनरेटिंग सेट जल्दी आ जावेगा लेकिन उसके लिये स्पेसिफिक पीरियड है उसमें वे आते हैं। इसके अलावा उनकी वाकफियत ऐसी होगी इसलिये उन्होंने कह दिया होगा। गल्त भी नहीं कह सकते क्योंकि गलत फहमी कभी किसी बात पर हो सकती है। लेकिन अभी तो आशा यही है जैसा मैंने आपको बताया।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि १००,१०० होर्स पॉवर्स के इंजन बहुत जल्दी आने वाले हैं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—दो सो हार्स पावर्स के ही नहीं हजारों हार्स पॉवर के आने वाले हैं। आने वाले तो बहुत हैं मगर वे अपने समय पर आवेंगे और अपने ही प्रोसीजर से आवेंगे। उनके लिये जो लीगल जरिया अख्तयार किया हुआ है उसी के अनुसार आवेंगे।

श्री श्रीदास गोयल—वे कब तक आ जावेंगे ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—उनकी मुख्तलिफ तारीखें हैं, कहां तक बताऊं। १९५८ में आवेंगे।

श्री श्रीदास गोयल—क्या माननीय पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर ने किसी दिसम्बर, १९५६ में आने वाले इंजन के आधार पर यह आश्वासन दिया था कि जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसको पूरा किया जावेगा ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—मैंने आपको बताया कि इसके लिये नवम्बर ५८ से पहले कोई उम्मीद नहीं की जाए तो ठीक होगा।

श्री श्री दास गोयल—आप पी. डब्ल्यू डी. की इनफोर्मेशन के आधार पर कह रहे हैं या कयास पर ही कह रहे हैं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—मैं जब आपको अर्ज कर रहा हूं तो डिटेल्स पर कह रहा हूं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या १९५८ से पहले इंजन आ जाने पर पर सवाई माधोपुर में इसका प्रबन्ध कर दिया जावेगा ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जिस जगह के लिये आवश्यकता महसूस होती है उस स्थान पर लगा दिया जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—जिला हैड क्वार्टरों में कितने ऐसे स्थान हैं जहां बिजली नहीं है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—इसका अलग प्रश्न पूछिये, जबाब दिया जावेगा।

श्री श्रीदास गोयल—यही प्रश्न मैंने २४३ के दूसरे पार्ट में पूछा है।

श्री शाह अलीमुद्दीन— यह मैं बता सकता हूं कि चित्तौडगढ, जालोर और झुन्झुनू।

श्री श्रीदास गोयल—इन तीनों को इंजन दिसम्बर ५६ तक मिल जावेगा ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—ये तीनों तो आपके साथ ही साथ रहेंगे।

श्री श्रीदास गोयल—५६ तक कौन से इंजन आने वाले हैं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—इसके लिये अलग प्रश्न करें तो जबाब दिया जावेगा ।

श्री श्रीदास गोयल—सरकार किन आधारों पर नये इंजन भेजेगी ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जहां सरकार भेजने की आवश्यकता समझती है। जहां पर ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है वहां पर भेजती है।

श्री श्रीदास गोयल—आवश्यकता का क्या आधार है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जहां पर जरूरत ज्यादा हो वहां जल्दी भेज देते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता को नेसेसिटी और नेसेसिटी को आवश्यकता; समझ में नहीं आता कि यह क्या बात है ? सरकार का डिस्क्रीशन ही काम करता है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—सरकार का डिस्क्रीशन, जरूरत जहां ज्यादा हो, उसको देख कर, जरूरत के माफिक काम करता है ।

श्री श्रीदास गोयल—जिस जिस जगह बिजली लगाई जावेगी उनके लिये क्या क्या नियम हैं, जिनके अनुसार वहां पर बिजली की व्यवस्था की जावेगी; जैसे जन संख्या, उद्योग आदि के विकास इत्यादि ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—यदि आप सेकिन्ड फाइब इयर प्लान पर स्टडी कर लेते तो आपको मालूम हो जाता कि कहां पर बिजली और कहां पर पानी की व्यवस्था की जावेगी और कैसे की जावेगी; सब मालूम हो जाता ।

श्री अध्यक्ष—वहां पर कब लगेगी ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—मैंने बताया कि नवम्बर ५८ में ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर में चीफ मिनिस्टर ने यह आश्वासन दिया था कि बिजली जल्दी लगा दी जावेगी, वह किस आधार पर दिया था ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—मुमकिन है इंजिन आनेवाले होंगे और उस बेसिस पर उन्होंने कह दिया हो और बाद में इंजन नहीं पहुंच पाये। अभी मुझे याद है, जोधपुर का वाकया है।

श्री अध्यक्ष—आप जोधपुर की नहीं, सवाई माधोपुर की बात बतावें ।

श्री श्रीदास गोयल—सरकार की ओर से चीफ मिनिस्टर और पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर जो जनता को आश्वासन देते हैं तो वे किसी आधार पर देते हैं या बगैर किसी आधार के ही आश्वासन दे देते हैं ?

श्री भैरूं सिंह—सरकार ने अभी बताया कि चित्तौड, जालोर, झुंझुनू से पहले सवाई माधोपुर में इसका प्रबन्ध होगा ।

Page No.21

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह तो आपके सुनने की गल्ती है। मैंने बताया कि साथ साथ ही लगेंगे।

श्री वेदपाल त्यागी—वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने दिसम्बर १९५६ तक बिजली के प्रबन्ध होने का सवाई माधोपुर की जनता को आश्वासन दिया ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—आपको यह मालूम होगा कि हिन्दुस्तान में इंजन नहीं बनते हैं। वे तो स्पेशल तौर से कोलम्बो से मंगाने पड़ते हैं। उनके ट्रांसपोर्ट में कितना अर्सा लगता है, यह तो जानते हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—यह चीज आप फरमा रहे हैं, क्या चीफ मिनिस्टर और पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर नहीं जानते थे ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—उस समय उम्मीद होगी।

श्री एच० के० व्यास—क्या यह इंजिन पोइन्ट फोर के एग्रीमेन्ट में आ रहे हैं।

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह जवाब में नहीं दे सकता क्योंकि पोइन्ट फोर क्या है, मैं नहीं जानता।

श्री एच० के० व्यास—क्या यह कोलम्बो प्लान की तहत में आ रहे हैं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—यस। ये कोलम्बो प्लान से आ रहे हैं।

श्री श्रीदास गोयल—ये इंजिन कौन से देशों से आ रहे हैं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—मैंने बताया कि कोलम्बो प्लान की तहत में आ रहे हैं। मुझे मुल्क का नाम मालूम नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—आपने जब कोई आर्डर प्लेस नहीं किया है तो किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—मैं तो आपको इस संबंध में इन्फोर्मेशन दे चुका हूं। यह वहाँ ५८ में लिया जावेगा। ओर्डर ५६ में प्लेस किया गया है।

श्री संतोषसिंह—हिन्दुस्तान की मार्शल एन्ड स्कोडा कम्पनी के जो इन्टिाक में थे उनका क्या हुआ ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह सवाल इस सवाल से अलहदा है इसलिये इसकी मालूमात करके ही जवाब दिया जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या पिछली साल जेनरेटिंग सेट के लिये टेन्डर इनवाइट किये गये थे या नहीं ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—टेन्डर इनवाइट किये गये थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह भी सही है कि उन टेन्डरों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और मामला पोस्टपोन कर दिया गया ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह तो सही नहीं है। टेन्डर्स आये थे, वे मुख्तलिफ किस्म के टेन्डर नहीं थे।

श्री संतोषसिंह—मार्शल एन्ड स्कोडा कंपनी के टेन्डर मंजूर नहीं किये इसलिये जो रोड रोलर स्टाक में थे वे मध्य भारत को दिये गये ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह अलहदा सवाल है, मालूमात करके बता सकता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो टेन्डर्स इनवाइट किये गये थे क्या उन टेन्डर्स के सिलसिले में गवर्नमेंट ने निर्णय ले लिया या पोस्टपोन कर दिया ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—दुबारा कॉल करने पड़े, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक टेन्डर्स नहीं थे।

श्री श्रीदास गोयल—नये इन्जन उपलब्ध होने पर क्या जिला केन्द्रों को उनके वितरण में प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जरा आप फिर से दोहराइये।

श्री श्रीदास गोयल—Will the Government give preference to the district headquarters when engines are available in Rajasthan?

श्री शाह अलीमुद्दीन—कोशिश तो जरूर की जायगी कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स को प्रिफरेन्स दिया जाय।

श्री हिम्मतसिंह—सवाई माधोपुर के लिये कौनसी किस्म का इन्जन नामजद होगया है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—The order has now been placed in the year 1956.

प्रश्न संख्या २४४

ग्राम कोइला (तहसील डीडवाना) की बहुद्देशीय सहकारी समिति के विरुद्ध शिकायतें

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister-in-charge, Co-operative Department be pleased to state :—

(a) Has the Government received any complaint against the **Multi-purpose** Co-operative Society of village Kolla, Tehsil Didwana, District Nagaur ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(*b*) Is it a fact that some 30 members of that society have written to the Government stating that their signature have been falsely appended?

(*c*) Is it a fact that the signatures of the Sarpanch and the Development Board are also reported to be false?

(*d*) Is the Government aware that this Society has secured a loan of about Rs. 8,000/- from the Jodhpur Co-operative Bank?

(*e*) Is the Government aware that out of the members shown about 16 are relatives of one Hanumanmal Medh?

(*f*) What enquiries have been conducted on these complaints and with what results?

श्री भोगीलाल पंड्या--(ए) हां ।

(बी) हां । कुछ सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर होने की शिकायत प्राप्त हुई है ।

(सी) जांच से पता लगा है कि सरपंच के हस्ताक्षर खुद के हैं और विकास बोर्ड की झूठी सीलें बनवाई जाकर काम में ली गई हैं ।

(डी) हां । केन्द्रीय सहकारी बैंक, जोधपुर से इस समिति ने ९८००) रुपया ऋण लिया है ।

(ई) समिति के सदस्यों में से ७ सदस्य समिति के मंत्री श्री हनुमानमल मेढ के संबंधी होना जांच से पाया गया है ।

(एफ) शिकायतें प्राप्त होने पर सहायक रजिस्टर सहकारी समितियां जोधपुर एवं नायब तहसीलदार डीडवाना द्वारा इस विषय में जांच की गई । श्री हनुमानमल मेढ के खिलाफ की गई शिकायतों में तथ्यता पाई गई है । बैंक द्वारा प्राप्त ऋण का दुरुपयोग किया जाना भी पाया गया है, मामला पुलिस अधिकारियों के हाथों में सौंप दिया गया है । सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर भी सहकारी नियमों के अन्तर्गत इसकी जांच पुन: कर रहे हैं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि पुलिस को सौंपने के बाद फिर उसको स्टे करने का ऑर्डर दे दिया गया है ?

श्री पंड्या--मैंने बताया सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर को सहकारी नियमों के अन्तर्गत जांच पुन: करने के लिये लिखा गया है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मैं यह पूछ रहा हूं कि जब पुलिस के हाथ में मामला सौंप दिया गया और यह पुलिस को अधिकार दे दिया गया कि फलां फलां शिकायत के आधार पर पैरवी की जाय, उसके बाद क्या डिप्टी मिनिस्टर के आदेशानुसार इस संबंधी आदेश को रोक दिया गया ?

Page No.24

श्री भोगीलाल पंड्या--कोओपरेटिव ऐक्ट के अन्तर्गत कुछ खामियां रह गई थीं, उनको फिर से जांचने के लिये कहा गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--रोकने के आदेश कब जारी किये गये?

श्री पंड्या--इसको तारीख की जानकारी प्राप्त करके ही बता सकता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--जब जांच समाप्त हो गई थी, सब प्रमाण मिल गये थे उसके बाद फिर से जांच करने की आज्ञा किस अधिकारी ने दी थी?

श्री पंड्या--कोई चीज कोआपरेटिव एक्ट के अन्तर्गत बाकी रह गई थी इसलिये रजिस्ट्रार सहकारी समिति जोधपुर को सहकारी नियमों के अन्तर्गत जांच के लिये कहा गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या खामी रह गई थी? अभी आपने जवाब में फरमाया कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट पेश कर दी, उसके बाद यह भी कहा गया, शिकायत सही पायी गई व उसके बाद पुलिस को दे दिया गया। इतना सब होने के बाद फिर से जांच किस आधार पर, किस चीज पर करायी जा रही है?

श्री पंड्या--मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि सहकारी नियमों के अन्तर्गत कुछ खामी रह गई थी उसकी पूर्ति के लिये पुनः जांच के लिये कहा गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि पुलिस को दफा ४०६ के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश जारी हो चुके थे?

श्री पंड्या--आदेश तो दिये गये किन्तु जो खामी थी उसको भी तो पूरा करना है, नहीं तो मुकदमा खारिज हो सकता था। मुकदमे को मजबूत बनाने के लिये पुनः जांच के आदेश दिये गये।

श्री हरिकृष्ण व्यास--सहकारी विभाग के नियमों का ताल्लुक जिन चीजों से है वह तो अलग है; इसके अलावा जाली दस्तखत बनाने के सिलसिले में, सरकारी रकम के दुरुपयोग के सिलसिले में जो कार्यवाही करने का आदेश दिया था उसको क्यों रोका गया?

श्री भोगीलाल पंड्या--पुलिस की तो जांच हो ही रही है, उसके अलावा विभाग को भी कहा गया है कि वह पुनः जांच करे, इससे तो पुलिस को और मदद मिलेगी और केस मजबूत होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या पुलिस की कार्यवाही हो रही है?

श्री पंड्या--हो रही है, वह तो कार्यवाही चल रही है। जो खामी थी वह जांच के लिये पुनः विभाग को लिखा गया है, उससे केस मजबूत ही होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या नागौर जिले के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को इस प्रकार की आज्ञा माननीय डिप्टी मिनिस्टर द्वारा दी गई है कि इस मामले की फिर से जांच न हो जाय, पुलिस की कार्यवाही को रोक दिया जाय?

Page No.25

श्री पंड्या—इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं। खामी की पूर्ति के लिये आदेश दिये होंगे ताकि किसी भी सूरत में केस कमजोर न होने पावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपके पास पूरी जानकारी है तो दें।

श्री अध्यक्ष—There is a specific allegation that the police action has been stayed under the orders of the hon'ble Minister.

श्री हरिकृष्ण व्यास—When the police were about to challan the persons under section 406, the hon'ble Dy. Minister stayed the same and said that some anti-corruption enquiries are being made.

श्री पंड्या—मैं आपको बारबार बता रहा हूं, कार्यवाही रोकने के आदेश नहीं दिये। [illegible] आदेश दिया गया है मुकदमें को मजबूत बनाने के लिये डिपार्टमैन्ट द्वारा जां[illegible] वाही रोकने को कोई आज्ञा नहीं दी गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या पुलिस अधिकारियों को इसकी जांच के सिलसिले में जो आदेश दिये गये क्या वह आज्ञा बदस्तूर जारी है?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो पुलिस को कार्यवाही करने का आदेश दिया गया उसका स्टे ऑर्डर किया गया हो, ऐसी मुझे जानकारी नहीं है यह तो आपकी जानकारी है। इस विभाग की ओर से या किसी मिनिस्टर की ओर से स्टे ऑर्डर के आदेश दिये नहीं गये हों, यह मेरी जानकारी में है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि सहकारी विभाग के सदस्य जिनके नाम फर्जी लिखे हुए हैं उसके लिये रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमैन्ट ने लिखित रूप में यह कहा है कि इसकी पुनः जांच की जा रही है तब तक पुलिस एक्शन रोका जाय।

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरी यह बिल्कुल जानकारी में है कि पुलिस की जांच जारी है। इस विभाग की ओर से ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी गई।

श्री अध्यक्ष—पर एक्शन स्टे नहीं किया गया?

श्री पंड्या—नहीं किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह मामला पुलिस को कब सौंपा गया?

श्री पंड्या—तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पुलिस ने जो जानकारी की, क्या उसकी सूचना विभाग को है?

श्री पंड्या—पुलिस की सूचना पुलिस के पास होगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या सरकार के ध्यान में है कि उस आदमी को अरेस्ट नहीं किया गया, इस पर वहां सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने यह कहा मेरे पास इस प्रकार की आज्ञा है कि जब तक सहकारी विभाग जांच न कर ले तब तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता ?

श्री पंड्या––यह पुलिस विभाग का काम है। वह अपने कायदे के माफिक कार्यवाही करते है,। उनका इस विभाग से सम्बन्ध नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास–जब यह मामला पुलिस को सौंप दिया गया तो फिर विभाग द्वारा जांच कराने का क्या तात्पर्य है ?

श्री पंड्या––केस को ज्यादा मजबूत बनाया जा सके।

श्री हरिकृष्ण व्यास––विभागीय जांच और फरदर इनवेस्टीगेशन उन सुझावों के मुताबिक हो रही है या अलग ?

श्री पंड्या––उसी के अनुसार हो रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास–यह गलत बात कही जा रही है, अध्यक्ष महोदय। डिप्टी मिनिस्टर के ऑर्डर से पुलिस कार्यवाही को रोक दिया गया है और फिर से जांच उन्हीं के आदेश से की जा रही है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, छः-सात महीने से तो कोई एक्शन लिया गया हो, वह भी बात नहीं क्योंकि इसको एक पर्टीकुलर सदस्य महोदय मेनीपुलेशन कर रहे हैं लेकिन यहां जो गलत इत्तला दी जाती है उसके लिये मेरा निवेदन है। माननीय मन्त्री महोदय अगर तैयार हों तो मैं रोज रोज ऐसी बातें नहीं कहता, "इस बारे में पुनः जांच करेंगे", ऐसा हमेशा कहते हैं। Let a statement come before the House whether his reply was true or my allegation was true.

श्री भोगीलाल पंड्या––मैं दुबारा यही कहता हूं कि इस कार्यवाही को रोकने की कोई आज्ञा नहीं दी गई।

अब अगर आप यह कहते हैं तो और भी मालूम करूंगा। पर ऐसी आज्ञा दी नहीं गई है। पर अगर वे कहते हैं तो क्या तथ्य है, इसको पूरी जानकारी दुबारा प्राप्त करके हाउस में कहेंगे तो यहां बता दिया जायगा या जहां आप कहेंगे वहीं बता दिया जायगा।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी–केस में कमजोरियां हैं, इस नतीजे पर आप कब पहुंचे ?

श्री पंड्या––इसी बात का खेद है कि आप माननीय एडवोकेट होकर पूछ रहे हैं। ऐसी बातें बताई नहीं जाती हैं, वर्ना मुलजिम को फायदा हो सकता है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी––कौनसी धारा का एग्जेम्प्शन आप इसमें चाह रहे हैं ? यह रूल्स ऑफ दी प्रोसीजर का सवाल नहीं है। सरकार कब और किस आधार पर इस नतीजे पर पहुंची कि केस कमजोर है और इसको मजबूत करने के लिये दुबारा जांच की आवश्यकता है ?

Page No.27

श्री पंड्या—मैं समझता हूं कि मैटर ऑफ पब्लिक इन्टरेस्ट में यह सब नहीं बताया जाता होगा।

श्री वेदपाल त्यागी—इसमें क्या पब्लिक इन्टरेस्ट का मैटर इन्वोल्व्ड है ? किसी मुजरिम को बचाने की कोशिश करना क्या पब्लिक इन्टरेस्ट है ?

श्री पंड्या—बचाना नहीं, कोऑपरेटिव एक्ट के अनुसार कुछ जांच बाकी रही, उसको पूरा किया जा रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि यह दुबारा जांच का आदेश हनुमानमल मैढ के द्वारा अर्जी देने के बाद में उसकी अर्जी के उत्तर के रूप में दिया गया है ?

श्री पंड्या—डिपार्टमैन्ट अपनी कार्यवाही कर रहा है और पुलिस अपनी कर रही है। मुझे पता नहीं, इसमें क्या कठिनाई आ रही है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक है। बार बार यह कहा जा रहा है कि केस को मजबूत करने के लिये दुबारा जांच की जा रही है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या यह दुबारा जांच का आदेश हनुमानमल मैढ की एप्लीकेशन पर दिया गया है Is it true ?

श्री पंड्या—आप इसको सूचना दे रहे हैं। पर मैंने बताया कि कोऑपरेटिव एक्ट के अनुसार इन्क्वायरी की जा रही है।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या आप यह बतलावेंगे कि कोऑपरेटिव की कौनसी धारा ऐसी है जिसको पूरा अब किया जा रहा है ? प्रोसीजर को इन्वेस्टिगेट करने की ऐसी कौनसी धारा है ?

श्री पंड्या—मेरे खयाल से वह डिपार्टमैन्ट कानून के माफिक ही काम करता रहता है। इसमें पुलिस के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है और विभाग अपना।

श्री वेदपाल त्यागी—बार बार जो यह कहा जा रहा है कि कोऑपरेटिव एक्ट की खामी पूरी करने के लिये यह जांच दुबारा की जा रही है, तो वह कौनसी धारा है जिसको पूरा किया जा रहा है ?

श्री पंड्या—धारा ४६।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने यह पूछा था कि यह दुबारा जांच की आज्ञा मैढ की एप्लीकेशन पर दी गई क्या यह सच नहीं है ?

श्री पंड्या—विभाग अपना काम नियमानुसार करता है। एप्लीकेशन का जिक्र तो आप कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं। विभाग का काम था वह अपनी कार्यवाही पूरी करे, वह कर रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दुबारा जांच करने के सिलसिले में न तो कोई प्रस्ताव पुलिस की तरफ से सरकार के पास आया और न ऐसी कोई चीज प्रस्तुत की गई थी। फिर किस बिनाह पर यह दुबारा जांच का आदेश दिया गया, जब कि विभाग एक बार अपना काम कर चुका, मामला पुलिस को दिया जा चुका और पुलिस अपनी जांच कर चुकी और सारा मामला साबित हो चुका ?

श्री अध्यक्ष—वह तो उत्तर आ गया, "केस को मुकम्मिल करने के लिये दुबारा जांच की जा रही है"।

श्री पंड्या—केस को मुकम्मिल करने के खयाल से ही दुबारा जांच करने का आदेश दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—यह तो कितनी बार जवाब दिया जा चुका है?

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कैसे आप कह सकते हैं? यह सही है कि मेंढ की एप्लोकेशन पर यह ऑर्डर दिया गया है और एक एम.एल.ए. उसके साथ मिनिस्टर साहब के पास गया था सिफारिश करने।

श्री अध्यक्ष—यह कौन है हनुमानमल मेंढ?

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—यह धारा ४६, बतलाया नहीं क्या है?

श्री अध्यक्ष—वह तो देख लें आप लाइब्रेरी में। Order! We now proceed to another question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—केस को पुलिस में दिये जाने के पहले सरकार ने क्या अपने लीगल एडवाइजर से राय नहीं ली थी?

श्री पंड्या—करने के बाद ही पुलिस को केस दिया गया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो फिर यह दुबारा जांच का आदेश किसने दिया?

श्री पंड्या—विभाग ने।

श्री हरिकृष्ण व्यास—विभाग के किस अधिकारी ने?

श्री पंड्या—यह मैं जानकारी करके बता सकता हूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि यह आदेश डिप्टी मिनिस्टर महोदय ने स्वतः दिया था?

श्री पंड्या—नहीं, रजिस्ट्रार कोआपरेटिव विभाग ने दिया होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं पूछ रहा हूं निश्चित बात। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो, अध्यक्ष महोदय, इसे पोस्टपोन कर दें। १५ दिन बाद सही।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—फिर दुबारा जांच के दर्मियान पुलिस को क्या कहा गया?

श्री अध्यक्ष—The matter is quite clear from the replies and questions.

प्रश्न संख्या २४५

बीकानेर स्थित चिड़ियाघर में राजस्थान बनने एवं उसके पश्चात् पशु पक्षी तथा उन पर व्यय

श्री रामरतन कोचर—क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) बीकानेर स्थित चिड़ियाघर में राजस्थान बनने के समय कौन कौन से पशु-पक्षी कितनी कितनी संख्या में थे और अब उनकी संख्या कितनी है ?

(ख) राजस्थान बनने के बाद कितने पशु-पक्षी मर गये व कितने स्थानान्तरित किये गये तथा कितने नये लाकर रखे गये ?

(ग) राजस्थान बनने से पहले इस चिड़ियाघर पर सालाना कितना कितना रुपया व्यय होता था और राजस्थान निर्माण के बाद से अब तक प्रति साल कितना कितना रुपया व्यय हुआ है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वन मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब नहीं आ सका है। अगली टर्न पर दे दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—इनका पहले पहल यह एक ही सवाल था जो पूछा और उसका ही जवाब नहीं दिया।

(हंसी)

श्री बृजसुन्दर—अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न भी बड़ा लम्बा-चौड़ा था। देखिये तो सही आप कि इसमें पूछा गया है कि जानवरों की, चिड़ियों की संख्या पहले कितनी थी और अब आठ साल बाद कितनी है ?

श्री रामरतन कोचर—यह तो महत्वपूर्ण मामला था और इस पर आपको पहले भी अर्ज किया जा चुका था।

श्री अध्यक्ष—बड़ा इन्नोसेन्ट सा सवाल है और उनका यह पहला ही सवाल है।

श्री बृजसुन्दर—पर बड़ा लम्बा-चौड़ा सवाल है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २४६

कस्टम के उठने के समय स्टाक में रहे हुए पैट्रोल पर सेल टैक्स की वसूली और उसको वापसी का प्रश्न

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—क्या पृथक राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि १ जुलाई, सन् ५४ को राजस्थान में मोटर स्प्रिट सेल्स टैक्स लागू किये जाने के अवसर पर जिन व्यापारियों के पास मोटर स्प्रिट (पैट्रोल) स्टॉक में था तथा जिसका कि कस्टम कर चुका हुआ था उसकी बिक्री पर भी सेल्स टैक्स वसूल किया गया ?

Page No.30

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

(ख) यदि हां, तो क्या कस्टम कर वापिस किया गया ?

(ग) अगर नहीं किया गया, तो क्यों ?

(घ) क्या इस विषय में सरकार का इरादा कस्टम वापिस करने का है ? यदि हां तो कब तक ?

(ङ) सरकार अपने फैसले को कब तक क्रियान्वित करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या–(क) यह सही है परन्तु तारीख ११ अगस्त, ५४ है न कि जुलाई।

(ख) हां।

(ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(घ) उस समय जो पैट्रोल का स्टॉक था, उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगी थी उसको सेल्स टैक्स के बजाय मुजरे कर दी, अतएव वापिस करने का प्रश्न नहीं पैदा होता।

(ङ) ३१-७-५४ को पैट्रोल के फुटकर व्यापारियों ने अपने स्टॉक घोषित कर दिये थे। उस वक्त जो स्टॉक था और उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगी थी वह सेल्स टैक्स के बजाय मुजरा करदी। यदि साल के अन्त में और भी कस्टम ड्यूटी बची तो उस असेसमेन्ट के समय प्रत्यर्पण करने का आदेश दिया गया है।

(च) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी--क्या यह सही है कि कुछ व्यापारियों को जिन्होंने कस्टम चुका दिया था उनसे उसी माल पर सेल्स टैक्स भी अलग से वसूल किया गया और सेल्स टैक्स जो इस तरह से वसूल किया गया उसे वापिस नहीं लौटाया गया ?

श्री पंड्या--यह आपने सूचना दी है, कोई स्पेसिफिक मामला आप लावेंगे तो कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २४७

ग्राम पंचायत मंडोर कार्यालय शासकीय भवन में न होना एवं उक्त पंचायत से उक्त भवन के किराये को बकाया।

श्री हरिकृष्ण व्यास--Will the Public Works Minister be pleased to state :—

(a) Is the office of the Gram Panchayat, Mandore, housed in a Government Building?

(b) If so, since when is the House in possession of the said Panchayat?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(c) What is the total amount paid by the Panchayat so far as rent?

(d) What is the total amount due to be recovered as rent from the same Panchayat in respect of rent for that building?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग)--(a) Yes.

(b) Since 1954.

(c) Nil.

(d) Full rent, approximately Rs. 456/-.

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो यह वसूली करने की कार्यवाही आज तक क्यों नहीं हुई और अब क्या करने की सरकार सोच रही है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--बात यह है कि इस किस्म की बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट में जो दी जाती है वह तहसीलदार द्वारा असिस्टेन्ट इन्जीनियर की स्वीकृति से दी जाती है। चुनांचे तहसीलदार साहब ने पंचायत को अलॉट कर दिया, इन्जीनियर ने अपनी कन्सेन्ट दे दी, अब तहसीलदार से यह पूछा जा रहा है कि आप यह बतलाइये कि बिल्डिंग के कन्स्ट्रक्शन कोस्ट के मुताबिक कितना किराया वाजिब है। अब इसमें यह देर हो रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास-- इसका सरपंच कौन है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--यह मुझे नहीं मालूम। आपने सवाल सरपंच के मुतल्लिक नहीं किया था।

श्री हरिकृष्ण व्यास--पी. डब्लु. डी. ने किरायानामा तो लिखा होगा न ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--यह तो आप एल. एस. डी. से पूछते तो मुमकिन है वे सब बता देते।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि इस पंचायत के सरपंच जिला कांग्रेस कमेटी जोधपुर के सभापति हैं और क्या इस वजह से वसूली की कार्यवाही में ढिले हो रही है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--कतई गलत है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या आज तक किराये के सिलसिले में उनसे कभी मांगने की भी कोशिश की गई थी ?

श्री शाह अलीमुद्दीन--मैंने अर्ज किया कि मांगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जब से टेक ओवर किया है तब से क्या एक्चुअल किराया हो सकता है और जब तक इसका निर्णय न हो आवे तब तक मांग कैसे सकते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या अब यह निर्णय हो चुका है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—जी हां, मगर अभी तक तो सही तरीके से इत्तिला जो तहसीलदार और कलेक्टर को देनी चाहिये थी वह नहीं आई है। ओफिशियल इतला जो है उसके आधार पर तसल्ली देने के लिये कह दिया गया है ताकि आप ज्यादा सप्लीमेन्ट्री प्रश्नों की बोछार नहीं फरमावें।

श्री व्यास—तो कब तक सरकार रकम को वसूली की कार्यवाही करेगी ?

श्री शाह—बहुत जल्दी।

प्रश्न संख्या २४८

बान्दीकुई से गुढा कटला रोड के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने संबंधी शासकीय योजना

श्री विशम्भरनाथ जोशी—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बांदीकुई से गुढा कटला रोड के निर्माण कार्य को शीघ्र चालू करने के लिये वहां की जनता द्वारा बराबर मांग की जाती रही है ?

(२) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब से चालू होगा ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उपमंत्री)—(१) जी हां, कई बार मांग की गई है।

(२) यह काम दूसरी पंचसाला योजना में मंजूर नहीं हुई, इसलिये इसका सवाल ही नहीं पैदा होता है।

श्री जोशी—क्या मंत्री महोदय को इस बात का ज्ञान है कि इसी हाउस के फ्लोर पर सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि इस सडक को जल्दी ही बनाया जायगा ?

श्री शाह—जी हां। ऐसा हुआ है कि यहां से जो ड्राफ्ट प्लान गया था पंचसाला योजना के लिए, उसमें ज्यादा रकम थी। मगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो रकम मंजूर की उसमें उतनी यूनिट सडकों की नहीं बन सकती थी इसलिये कुछ सडकों की कमी करनी पडी और वह सडक भी उसमें नहीं आई होगी।

श्री जोशी—क्या यह सही है कि इस सडक को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जयपुर डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट कमेटी ने शामिल किया था ?

श्री शाह—यह तो मुझे मालूम नहीं है, मुमकिन हो कि ऐसा किया होगा।

श्री जोशी—क्या सरकार उन सडकों के अलावा जिनको अन्तिम रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन द्वारा मंजूर किया गया है और कोई भी सडक राजस्थान सरकार नहीं बना रही है ?

श्री शाह—सरकार ने मांग की है कि सडकों के लिये २० लाख रुपये कम हैं और ५० लाख रुपये मंजूर कर लिये जायं। अगर वह मंजूर हो गई तो वह सडक बनाई जा सकती है।

श्री जोशी—क्या उन सडकों में यह सडक भी ली जायगी ?

श्री शाह—मैं यह नहीं कह सकता हूं। अगर यह सडक ५ हजार की आबादी से जो मुतल्लिक होगा तो ले लिया जायगा।

(घंटी)

श्री जोशी—क्या मंत्री महोदय को यह मालूम नहीं है कि बांदीकुई की जनसंख्या १० हजार है जो कि ५ हजार से ज्यादा होती है ?

श्री अध्यक्ष—यह इनफर्मेशन दे रहे हैं।

प्रश्न संख्या २४६

बीकानेर में पुरुषार्थी दुकानों में पुरुषार्थियों को स्थान न मिलने सम्बन्धी

श्री रामरतन कोचर—क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) बीकानेर में कितने पुरुषार्थियों को अभी तक दुकानों के लिये स्थान नहीं दिया जा सका है तथा उन्हें स्थान देने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(ख) पुरुषार्थियों के लिये सब्जी मार्केट में कितनी दुकानें बनाई गई थीं तथा उनमें से कितनी दुकानें खाली पड़ी हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त मार्केट में शौच गृह एवं मूत्रालय बनाने की योजना थी ?

(घ) उक्त बाजार को बसाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)—(क) बीकानेर में बनाई गई १११ दुकानों में से अभी ५ खाली पडी हुई हैं तो फिर और दुकानें बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ख) ४५ दुकानें बनाई गई थीं और कोई भी दुकान खाली नहीं पडी हुई है।

(ग) जी हां।

(घ) उक्त बाजार को बसाने के लिए सरकार निम्न कदम उठा रही है :—

(१) शौचालय और मूत्रालय बनाने के लिये पी. डब्लू. डी. को लिखा गया है।

(२) नगरपालिका को लिखा गया है कि सब्जी बेचने वाले मालियों को पटरियों से हटाकर मंडी के बीच में लाया जाय।

(३) पुलिस को लिखा गया है कि मंडी के बाहर गाडी वालों को एक स्थान पर जमा नहीं होने दिया जाय।

श्री कोचर—क्या उस मार्केट में बिजली की व्यवस्था हो गई है ?

श्री पंड्या—वह भी हो जायगी ।

प्रश्न संख्या २५०

बसवा व सिकराय तहसील के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था

श्री बी० एन० जोशी—Will the Public Works Minister be pleased to state :—

(*a*) Why has no attention been paid so far to the supply of electricity to the Urban and Rural areas of Baswa and Sikari Tehsils of Jaipur District?

(*b*) Why is the electric supply line not extended from Dausa to Sikandra, Bandikui and Baswa so as to supply electricity to these and a number of other important way-side towns?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—(*a*) A provision of Rs. 80 lacs has been made in the Second Five. Year Plan for taking Rural Electrification Scheme to cover all small towns and villages having a population of 5000 and more. A sum of 2 lacs has also been provided for carrying out the investigation of load survey of these communities. The load survey of such towns and villages having a population of 5000 and above in Baswa and Sikrai Tehsils of Jaipur Districts will be investigated under this scheme.

(*b*) So far the detailed load survey has not been carried out but from the general pattern of rural loads in Rajasthan extension of transmission lines from Dausa to Sikandra, Bandikui and Baswa will not be a remunerative proposition.

श्री जोशी—When this survey was conducted on the basis of which the reply to part (*b*) was given?

श्री शाह—इसका जवाब मेरे पास नहीं है इस वक्त । अगर आप सवाल फिर अलहदा फरमायेंगे तो डेट दे सकूंगा कि कब सर्वे किया गया है ।

श्री जोशी—The question is related to the main question and the Hon'ble Minister is expected to be ready with its reply.

श्री शाह—The Hon'ble Member has never referred about the date of the survey.

श्री जोशी—I did not want the date, but I just wish to know whether survey has already been conducted?

श्री शाह--That I have already said that we have been conducting the survey.

श्री जोशी—I only want to know whether survey had already been conducted under the Rural electrification scheme or the Hon'ble Minister is merely offending the reply?

श्री शाह—I am not offending the reply. The question is very clear and I have replied. Probably the learned Member has not followed it. The detailed load survey has not been carried out but from the general pattern of rural loads of Rajasthan extension of transmission line from Dausa to Sikandara, Bandikui and Baswa will not be a remunertive proposition.

श्री जोशी—What is the basis for this information?

श्री शाह—I have already told the basis. Probably you could not follow the reply.

श्री जोशी—Probably the Hon'ble Minister has not been able to appreciate the question. My question was that the reply from its very nature appears to b of a general nature. If it is applicable to 4 or 5 towns, then it is applicable to al the rural loads of Rjasthan. Therefore, how can he say with special reference t those towns unless the detail survey has been conducted of those places ? I wan to know whether any survey has been conducted ?

श्री शाह—जनरल सर्वे हो चुका है। I have already said that, and in that genera survey this extension scheme from Dausa to Sikandara, Bandikui and Baswa ha not come.

श्री जोशी–The Hon'ble Minister has just said that the towns having a popu lation of 5000 and above would be covered under this scheme for Rural electr fication in the Second Five Year Plan. Then for 4 or 5 towns how can he sa that they are not covered by that plan. This is a contradictory thing.

श्री शाह—Certainly it is not contradictory. The questions are differen It is part (*a*) in reply to which I had given this reply, in which I have mentione that the villages having a population of 5000 and more will be taken under th scheme. This was in reply to question No. (*a*).

श्री जोशी—The reply was that all towns and villages having a populatic of 5000 and above would be surveyed for the purpose of rural electrification. Pa (*b*) also relates to the same. How can he say that these towns are not covere by that scheme which is applicable to all towns having a population of 5000 a above?

श्री शाह—I would request the Hon'ble Member to read the question again and come to an understanding that I have given the correct reply.

श्री जोशी—I have brought the question and no question of reading again arises.

श्री एच० के० व्यास—Is it contemplated to execute survey of all villages and towns having a population of 5000 and above under Rural electricification scheme for which reply has been given under part (*a*)?

श्री शाह—Of course, it is contemplated.

श्री एच० के० व्यास—Is the Hon'ble Minister aware that Sikandra, Bandikui and Baswa also happen to be villages with a population of over 5000, and would he be pleased to state that they also will be included in the scheme?

श्री शाह—The reply was with regard to question (*b*). My friend should think over the matter again that he is putting question in regard to (*a*) now.

श्री वेदपाल त्यागी—Questions (*a*) and (*b*) are inter-connected and if Baswa and other 5 or 6 villages are not included in that scheme and exceptions have been made to that scheme, what is the reason for making such exceptions?

(विराम)

श्री शाह—I would again read the question.

श्री अध्यक्ष—No.

श्री त्यागी—The question is already there and we want the answer.

श्री अध्यक्ष—We have also not been able the follow your supplementaries.

श्री त्यागी—That was the difficulty hereto.

श्री हरिकृष्ण व्यास—My question remains unanswered in view of the reply just now given that villages having a population of 5000 and above will be covered under that scheme.

श्री अध्यक्ष—I don't know whether it was due to English language or difficulty in reply; we have not been able to follow the replies because the reply is too confusing.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं हिन्दी में पूछ रहा हूं।

अभी मंत्री महोदय ने फरमाया कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम में ५ हजार या उससे ज्यादा आबादी वाले कस्बे या गावों को लाये जाने की योजना है। मैं पूछ रहा हूं कि इस तरह की बात को ध्यान में रखते हुए सिकन्दरा, बांदीकुई, बसवा तथा दूसरे ऐसे गांव, जो पांच हजार से ज्यादा की आबादी वाले हैं, क्या उनकी तरफ बिजली लगाने का सरकार का इरादा है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—पांच हजार के गांवों के मुतल्लिक चूंकि अध्यक्ष महोदय ने यह फरमाया कि अंग्रेजी के सवाल जवाब की वजह से गलतफहमी हो गई तो मैं उर्दू में जवाब देना चाहता हूं।

वहां पांच हजार से ज्यादा आबादी के गांवों में हैं, सेन्ट्रल रूरल स्कीम में होता है। यहां सिकन्द्रा, बांदीकुई और बसवा का सवाल है, वह उस स्कीम में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कस्बों के लिये कौनसी स्कीम के तहत बिजली ले जाने की व्यवस्था है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—मैंने अर्ज किया कि एक्स्टेन्शन स्कीम के मातहत ऐसे मुकामों पर बिजली ले जाई जावेगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या कोई क्राइटेरिया मुकर्रर कर रखा है इसके लिए, आबादी के लिहाज से, कन्जम्प्शन के लिहाज से ? क्या कोई क्राइटेरिया मुकर्रर कर रखा है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—एक्स्टेन्शन स्कीम जुदागाना चीज है। वह किसी बड़े पॉवर हाउस से एक्स्टेन्ड होगी, ओरिजिनली जहां बिजली लगाई जावेगी एक्स्टेन्शन होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन इलाकों में एक्स्टेन्शन से बिजली ले जाई जाने का सवाल है या जनरेटर से बिजली पहुंचाना है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—एक्स्टेन्शन से लगाने का। वह भी लोड पर्मिट करेगा तो वह होगा। नहीं तो नया पॉवर हाउस लगाना पडेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वहां कितने कन्जम्प्शन का मामला है जिससे लोड के संबंध की बात कही?

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह तो कन्जम्प्शन के ऊपर है, जांच करने के बाद ही बताया जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितने मिनिमम किलोवाट को मान कर सरकार उस पर विकार कर रही है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह तो किसी एक्स्पर्ट से पूछा जावेगा। अभी इस पर विचार हो रहा है।

(विराम)

Then I will study.

Page No.38

श्री बी०एन० जोशी—सिकन्दरा, बांदीकुई और बसवा रूरल एक्स्टेन्शन स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं तो किस स्कीम के अन्तर्गत आते हैं ?

श्री अध्यक्ष—एक्स्टेन्शन स्कीम का बताया।

श्री बी० एन० जोशी—Sikindra is not a municipal town.
'रूरल' की डेफिनिशन क्या रखी गई है ? For rural extension scheme.....

श्री अध्यक्ष—अंग्रेजी में फिर कन्फ्युजन हो जावेगा।

(विराम)

श्री रामरतन कोचर।

प्रश्न संख्या २५१

भूतपूर्व बीकानेर सरकार व नगरपालिका के बीच बीकानेर की जनता को सार्वजनिक नलों द्वारा निःशुल्क जल देना

श्री रामरतन कोचर—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भूतपूर्व बीकानेर सरकार व नगरपालिका के बीच बीकानेर की जनता को सार्वजनिक नलों द्वारा दिये जाने वाले नि: शुल्क पानी का कोई शुल्क नगरपालिका द्वारा देने का समझोता हुआ था ?

(ख) क्या यह सही है कि बीकानेर में पहले पानी के मीटर लगाये गये थे किन्तु बाद में पानी में क्षार तत्व अधिक होने के कारण हटा लिये गये थे ?

(ग) क्या यह भी सही है कि इसी कारण बीकानेर पॉवर हाउस को मशीनरी के उपयोग के लिए ३२ मील की दूरी पर स्थित श्री कोलायत से बरसाती पानी मंगाना पडता है ?

(घ) क्या सरकार ने नये सिरे से मीटर लगाने के पूर्व यह जांच कर ली है कि बीकानर के कुओं के पानी में से क्षार तत्व समाप्त हो गया है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—(क) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

(ख) हां।

(ग) हां, यह सही है।

(घ) ऐसे मीटर को हासिल करने का इन्तजाम किया जा रहा है जिनमें बीकानेर के पानी का कोई असर न हो सके।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री रामरतन कोचर।

प्रश्न संख्या २५२

बीकानेर का गंगा थियेटर बन्द होने के कारण उसके कर्मचारियों को दूसरे कार्य पर लगाना

श्री रामरतन कोचर—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) बीकानेर का श्री गंगा थियेटर कब से बन्द पडा है ?

(ख) उसके कितने कर्मचारी अन्यत्र लगा दिये गये हैं और कितने कर्मचारियों को कोई दूसरा काम नहीं दिया जा सका है तथा उन्हें कितना कितना वेतन मिल रहा है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—बीकानेर के पानी की ऐसी क्या खासियत है जिससे यह कहा जा रहा है।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—That need not be explained.

श्री शाह अलीमुद्दीन (उप मंत्री)—श्री गंगाथियेटर तारीख १० सितम्बर, ५५ से बन्द है।

(ख) २५ आदमियों में से अब तक २३ मुलाजिमों को दूसरी जगह लगा दिया गया है। सिर्फ २ आदमी बाकी हैं। मैनेजर और बुकिंग क्लर्क अपना निजी वेतन २५५ और ५८ रुपया अपने बजट में अब तक पा रहे हैं।

श्री प्रभुदयाल—थियेटर को बन्द करने का क्या कारण था ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—घाटे पर चल रहा था।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार ठेके पर देने को तैयार है ?

श्री शाह अलीमुद्दीन—यह सोचने के बाद किया जा सकता है क्योंकि अक्सर ठेकेदारों से मुकदमे बाजी करनी पड़ती है। लिटिगेशन पर भी विचार करने के बाद किया जा सकता है।

श्री प्रभुदयाल—क्या म्युनिसिपैलिटी ने मांग की है इसको ठेका देने की ?

श्री अध्यक्ष—Next, postponed Questions.

प्रश्न संख्या २००

सवाई माननगर टाउन इम्प्रूवमेंट योजना झुंझुनू में गवर्नमेंट हाई स्कूल बनाने हेतु ली गई भूमि का मुआवजा

श्री भैरूंसिंह (१६)—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सवाई माननगर टाउन इम्प्रूवमेंट स्कीम झुन्झुनू में गवर्नमेंट हाई स्कूल बनाने के लिये सेठ चिरन्जीलाल टीबड़ेवाल, झुन्झुनू की जमीन जयपुर लैंड एक्वीजिशन एक्ट के मातहत कौनसी तारीख को ली गई ? उक्त जमीन का रकबा क्या है ?

[श्री भैरूंसिंह]

(ख) उक्त जमीन के मुआवजे के बारे में क्या कार्यवाही अब तक हुई ?

(ग) उक्त महानुभाव को कितने रुपये मुआवजे के लिये दिये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) सरकार इस विषय में उक्त व्यक्ति को उसकी जमीन का मुआवजा कब तक अदा करने का विचार रखती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री, राजस्व मंत्री की ओर से)—

(क) श्री चिरंजीलाल टीबडेवाल की जमीन ली गई उसकी तारीख का रेकर्ड से पता नहीं चलता। उसका रकबा २३,६५२ एकड़ था।

(ख) यह वित्त विभाग के विचाराधीन है।

(ग) उक्त महानुभाव को अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(घ) शीघ्र।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि आज से १ वर्ष पूर्व राजस्थान के इस विभाग के मंत्रीजी ने सदन में कहा था कि इस मामले का निर्णय होकर उक्त महानुभाव को कम्पेन्सेशन के रूप में रकम दी जाने वाली है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पहले उत्तर दिया था, उसमें ऐसी बात नहीं है। मुआवजा जरूर मिलना चाहिये और जल्दी ही कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि सरकार ने यह निर्णय नहीं किया है कि श्री चिरन्जीलाल टीबडेवाल को कम्पेन्सेशन में इतना रुपया देना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह मामला प्री मर्जर जयपुर स्टेट के वक्त का है। रेकर्ड इसका अवेलेबल नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि इसका पुराना रेकर्ड अवेलेबल नहीं है। इस पर दुबारा जांच की जा रही है आस-पास की जमीनों को देखकर कि कितनी कीमत दी जा सकती है।

श्री भैरूं सिंह—सरकार के ध्यान में यह बात कब से आयी कि इसका रेकर्ड अवेलेबल नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सन् ५३ में दरख्वास्त दी, उसको फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में भेजा गया। रेकर्ड इसका मांगा गया था तो कलेक्टर ने जवाब दिया कि पुराना रेकर्ड अवेलेबल नहीं है।

श्री भैरूं सिंह—क्या श्री चिरन्जीलाल ठीबडेवाल को यह सूचना भेज दी है कि रेकर्ड अवेलेबल नहीं है और अगर उनके पास रेकर्ड है तो वे पेश कर दें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कलेक्टर से कहा गया कि रेकर्ड हो तो उसको ट्रस करके भेज दें। कलेक्टर ने कहा कि रेकर्ड अवेलेबल नहीं है। उन्होंने सेठजी से जरूर बात की होगी।

श्री भैरू सिंह—की है या नहीं, इसका डेफिनेट जवाब दीजिये ? सरकार को जब यह सूचना मिली कि उनका रेकर्ड अवेलेबल नहीं है तो सरकार ने इस बात की कोशिश की कि श्री चिरन्जीलाल टीबडेवाल से पूछताछ करके रेकर्ड का पता लगायें और अगर रेकर्ड खो गया है तो उस सम्बन्ध के कन्सर्निंग पेपर्स उनके पास हों तो वे पेश करदें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो कलेक्टर की रिपोर्ट से पता चलता है कि रेकर्ड अवेलेबल नहीं है, सेठजी के पास होने का सवाल नहीं है।

श्री भैरू सिंह—यह रेकर्ड झुन्झुनूं के कार्यालय में खो गया था या सचिवालय में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह प्रीमर्जर (Pre-merger) की बात है। उस वक्त भी रेकर्ड नहीं था। ऐसा मुझे मालूम हुआ है कि जबानी पहले के प्राइम मिनिस्टर के हुक्म से जमीन ले ली थी।

श्री भैरू सिंह—यह सरकार को कब मालूम हुआ कि इस सम्बन्ध का रेकर्ड तैयार नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कयास से कहा है कि रेकर्ड नहीं था।

श्री भैरू सिंह—कयास से काम नहीं चलता। रेकर्ड बनाया हुआ था या खो गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दोनों ही बातें हो सकती हैं, बनाया भी हो और खो भी गया हो।

श्री भैरू सिंह—क्या सरकार ने यह जांच की थी कि रेकर्ड बनाया था ? कलेक्टर ने क्या यह लिख कर दिया है सचिवालय को कि इतनी रकम कम्पेन्सेशन की होती है जो उनको पेमेन्ट कर दी जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कलेक्टर का जो जवाब है वह मेरे पास है। The record is not available, that is the reply.

श्री भैरू सिंह—क्या कलेक्टर ने यह लिखा है कि रकम इतनी तय हो चुकी थी, रेकर्ड बना हुआ नहीं है, रकम का भुगतान कर दिया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप जो बात कह रहे हैं वह गलत है। कलेक्टर ने कहा कि रेकर्ड अवेलेबल नहीं है। मेरे पास फाइल मौजूद है। कलेक्टर ने कहा कि इतना रुपया मिलना चाहिये। एफ. डी. ने कहा कि टर्म्स खरीदने की क्या थी ? जब तक टर्म्स मालूम न हों तब तक एफ. डी. ने उसको एग्री नहीं किया। जांच करके ही कम्पेन्सेशन दिया जा सकता है।

(श्री भैरूंसिंह के खड़े होने पर घन्टी)

श्री भैरू सिंह—एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि एफ. डी. में इसलिये भेज दिया कि कलेक्टर और सम्बन्धित विभाग ने निर्णय कर लिया कि श्री चिरन्जीलाल को इतनी रकम कम्पेन्सेशन की देनी है और उस पर फाइनेन्स सेक्रेटरी की राय लेनी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हमारे पास रिकमन्डेशन आयी, हमने एफ. डी. में भेज दी।

श्री भैरू ंसिंह—मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या आपके विभाग ने एफ. डी. को यह लिख दिया कि इतनी रकम कम्पेन्सेशन की देनी चाहिये या एफ. डी. की इच्छा पर ही यह कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट तय करता है।

श्री भैरू ंसिंह—आपके डिपार्टमेन्ट में रुपयों के बारे में तय हुआ या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रुपयों का निर्णय फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट करेगा।

श्री भैरू ंसिंह—इस जमीन की इतनी कीमत देनी है, इस निर्णय पर आपका विभाग पहुंचा या नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कलेक्टर की रिपोर्ट हुई है। टाउन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड का चेयरमेन कलेक्टर है।

श्री भैरू ंसिंह—कलेक्टर ने कितने रुपयों के लिये सरकार से मंजूरी मांगी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कलेक्टर ने ४७,००० रु० के करीब बताया है।

श्री अध्यक्ष—Next Question.

प्रश्न संख्या २०१

झुन्झुनू जिले के पंचायत इन्सपेक्टर श्री धर्मवीरसिंह के विरुद्ध सलामपुर पंचों की शिकायतें एवं सलामपुर के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

श्री भैरू ंसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार के पास झुन्झुनू जिले के पंचायत इन्सपेक्टर श्री धर्मवीरसिंह के विरुद्ध सलामपुर के पंचों की ओर से कोई शिकायत प्रस्तुत हुई कि उक्त इन्सपेक्टर सलामपुर के सरपंच का स्वाध्यायी होने के नाते पक्षपात करता है और सलामपुर पंचायत में पंचों द्वारा प्रस्तुत किये गये सरपंच के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं होने देता ?

(ख) क्या सरकार ने उक्त शिकायत के प्राप्त होने पर इन्सपेक्टर शिवसिंह को १३ सितम्बर, १९५६ को सलामपुर पंचायत में सरपंच के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में निरीक्षण करने के लिये भेजा ?

(ग) क्या यह सही है १३-९-५६ को उक्त सरपंच के विरुद्ध सलामपुर पंचायत में केवल ११ सदस्यों की उपस्थिति में १० सदस्यों ने सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास किया ?

(घ) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि सलामपुर की पंचायत के सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के बावजूद भी उक्त धर्मवीरसिंह ने २२-९-५६ को सलामपुर में सरपंच के साथ

Page No.43

[श्री भैरूंसिंह]

जाकर मीटिंग करवाई और अविश्वास का प्रस्ताव वापस लेने के लिये पंचों को दबाया और यह कहा कि यदि अविश्वास का प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे तो यह पंचायत भंग कर दूंगा ?

(ङ) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच के खिलाफ एक अविश्वास का प्रस्ताव पहले भी १६-८-५६ को पंचायत में आया था और वह सर्व सम्मति से पास हो चुका था ?

(च) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत का सरपंच सलामपुर से २० कोस मुकुन्दगढ़ हाई स्कूल में मुलाजिम है और वहां पर ही रहता है ?

(छ) क्या सरकार यह बतलायेंगी कि उक्त सरपंच के विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ है उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसका जवाब में उस रोज पढ़ चुका था, आज फिर सुन लीजिये।

(क) केवल उप-सरपंच की ओर से शिकायत प्रस्तुत की गई थी।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, लेकिन राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा १६(२) के अनुसार प्रस्ताव नियमानुसार न होने से गिर गया।

(घ) अविश्वास का प्रस्ताव वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी नहीं।

(च) ऐसी सूचना अवश्य प्राप्त हुई है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरूंसिंह—जो शिकायत धर्मवीरसिंह के खिलाफ सलामपुर के पंचों ने पेश की थी उसकी जांच कराई या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री भैरूंसिंह—(क) के उत्तर में कहा है कि शिकायत आई थी। यदि शिकायत आई थी तो उसकी जांच कराई गई या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) के उत्तर में यह कहा गया था कि उप-सरपंच की ओर से शिकायत पेश की गई थी ?

श्री भैरूंसिंह—इसकी जांच करवाई गई या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—शिकायत गलत साबित हुई।

Page No.44

श्री भैरूंसिंह—किस अधिकारी द्वारा जांच करवाई गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—विभागीय अधिकारी द्वारा ।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सच है कि जिस समय अविश्वास का प्रस्ताव आया था उस समय जितने पंचों की आवश्यकता होती है उतने पंचों ने अविश्वास का प्रस्ताव पास किया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आप पंचायत कानून देखिये और अपना सवाल देखिये । आपने सवाल में लिखा है कि केवल ११ सदस्यों ही की उपस्थिति में १० सदस्यों ने सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास किया । १५ सदस्यों का थ्री फोर्थ ११ होता है और आपके प्रश्न में ही लिखा है कि १० ने पास किया ।

श्री भैरूंसिंह—१५ का थ्री फोर्थ सवा ग्यारह होता है तो ११ सदस्य उसको पास कर सकते हैं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पहले आप अपना सवाल पढ़िये । ११ में से १० ने पास किया लेकिन १५ का थ्री फोर्थ १० नहीं होता इसलिये १० पास नहीं कर सकते ।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि अविश्वास का प्रस्ताव ११ व्यक्तियों ने पास किया था और ११ व्यक्ति ही वहां मौजूद थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह बात आपके सवाल से ही गलत है और सवाल को कोन्ट्राडिक्ट करती है ।

श्री भैरूंसिंह—जब ११ सदस्यों ने प्रस्ताव पास किया था तो ऐसा कौनसा कानून था जिसके कारण वह प्रस्तुत पास हुआ नहीं माना गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने यह कब कहा कि ११ पचों ने पास किया ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि ११ सदस्यों की उपस्थिति में १० सदस्यों ने पास किया ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—१० सदस्यों द्वारा पास नहीं हो सकता । १५ में से ११ चाहियें ।

श्री अध्यक्ष—Eleven must be present.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता— थ्री फोर्थ ओफ दी होल नम्बर चाहिये । १५ के थ्री फोर्थ नहीं थे ।

श्री भैरूंसिंह—क्या ऐसा प्रस्ताव श्री धर्मवीरसिंह की मौजूदगी में लाया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नहीं ।

श्री भैरूंसिंह—क्या इस बात की शिकायत सलामपुर के उप-सरपंच ने की थी कि ऐसा प्रस्ताव पास हुआ था जिस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

Page No.45

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो आपकी शिकायत है आप खुद देखिये । वह प्रस्ताव पास कैसे हो गया ? फिर कार्यवाही करने का सवाल ही कहां उठता है जब वह प्रस्ताव लोगलो पास नहीं हुआ है ।

श्री भैरूंसिंह—क्या यह सही है कि सरकार ने कोई जांच नहीं कराई और सरपंच २० कोस की दूरी पर अध्यापक का कार्य करता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ।

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, १९५६ (पुरःस्थापित)

श्री अध्यक्ष—Legislative Business.

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु, (संशोधन) विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—There is one report also.

श्री अध्यक्ष—उसको पहले ले लें ।

सिविल क्लेम के संबन्ध में श्री सन्धु को कारावास में लने सम्बन्धी विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श एवं स्वीकरण

श्री लालसिंह शक्तावत (उपाध्यक्ष)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्नलिखित संबंधित विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन विचारार्थ लिया जाय :

> "That the House do discuss the breach of privilege committed by Tehsildar, Padampur, in arresting and sending to Jail Shri Gurdyal Singh Sandhu, M.L.A., for a civil claim within forty days of the session of the Rajasthan Legislative Assembly."

श्री अध्यक्ष—Motion Moved.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, श्री गुरदयाल सिंह सन्धु, सदस्य, राजस्थान विधान सभा, जिनकी अरेस्ट के सिलसिले में सदन ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया था, जिस प्रस्ताव पर विचार

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कर प्रिविलेजेज कमेटी की रिपोर्ट आज प्रस्तुत हुई है इस सम्बन्ध में मैं कुछ शब्द इस रिपोर्ट और उसके सम्बन्ध में किये गये प्रस्ताव पर अर्ज करना चाहता हूं।

जब यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ, अध्यक्ष महोदय, और जैसा कि इस रिपोर्ट में दर्ज है, इस पर जब जांच शुरू हुई थी तब जिन घटनाओं का उल्लेख है उन घटनाओं के उल्लेख के साथ साथ एक तात्विक प्रश्न और निकला और वह तात्विक प्रश्न यह था कि सरकारी अधिकारियों द्वारा चाहे वह कलेक्टर है और विशेषकर कमिश्नर बीकानेर द्वारा यह कहा गया कि रेवेन्यू का क्लेम सिविल क्लेम नहीं माना जा सकता और उस पर कार्यवाही करने का अधिकार बदस्तूर कायम रहता है। जैसा कि प्रिवेन्टिव डिटेन्शन के सिलसिले में अधिकार रहता है और जैसा कि रिपोर्ट में खुद में उल्लिखित है, आखिरी हद तक कमिश्नर, बीकानेर इस बात को दोहराता रहा, जोर देता रहा और कहता रहा कि इसमें कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं हुआ। अन्त में उन्होंने जरूर कहा कि इस पर भी यदि समिति इस निर्णय पर पहुंचे कि ब्रीच ओफ प्रिविलेज हुआ है तो मैं उसके लिये क्षमा प्रार्थना करना चाहूंगा। जो प्रश्न में उपस्थित करना चाहता हूं सदन के सामने वह इस प्रकार का है कि यह अपोलोजी अनकंडीशनल अपोलोजी नहीं मानी जा सकती। इस प्रकार का माफीनामा संदिग्ध माफीनामा है। अपनी ओर से एरेस्ट को अस्वीकार करता हुआ बाद में यह कहना कि यदि इतना सब मेरे कहने के बाद भी समिति इस निर्णय पर पहुंचती है तो मुझे खेद है, अफसोस है। इस प्रकार की भाषा का जो उपयोग है वह खुद अपने आप जिस रूप में है, इस बात को दोहराती है कि यह अपोलोजी अनक्वालिफाइड नहीं है, यह जो माफी मांगने की क्रिया है वह क्रिया स्वेच्छा से की हुई क्रिया नहीं है, नेकनीयती से मांगी हुई माफी नहीं है। ऐसी स्थिति में अब सदन को यह विचार करना पडेगा, गंभीरता से विचार करना पडेगा कि इस प्रश्न पर क्या रुख अपना सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय, न सिर्फ श्री संधु को उस समय अरेस्ट किया गया, न सिर्फ उनको इस प्रकार की बेजाब्तगी से जेल में रखा गया, बल्कि आज तक रेल से आने-जाने के लिये किराये का खर्चा हुआ उसकी वसूली के लिये सख्ती की जा रही है और कुडकियें शाया की जा रही हैं। जेल में उन्हें रखा गया, उस जेल में उनके रहने का खर्चा वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है। यह स्थिति आज भी चल रही है और उन्हीं अधिकारियों द्वारा यह कार्यवाही की जा रही है जिनका सम्बन्ध ओरिजिनल एरेस्ट से था। ऐसी स्थिति में यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम सारे के सारे कार्य पर विचार करें और सोचें कि उन्होंने जो समिति के सामने शर्त के साथ माफीनामा लिखकर भेजा वह कहां तक नेकनीयती से लिखा हुआ माफीनामा है जहां एक और स्वीकार करते हैं कि प्रिविलेज भंग नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी सदन की समिति इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रिविलेज भंग हुआ था तो मुझे इसके लिये खेद है, अफसोस है। और दूसरी ओर वे मानते हैं कि जो अरेस्ट की गई थी वह सिविल की तहत में नहीं की गई थी। उस क्लेम के सम्बन्ध में जो कुछ वसूल करना था उसके अलावा उनकी अरेस्ट के सिलसिले में जो खर्चा हुआ, जेल में उसको रखने के सिलसिले में जो खर्चा हुआ वह भी वसूल किया जा रहा है और आज तक वसूल किया जा रहा है तो यह कैसे माना जाय कि सदन की प्रिविलेज तोडने के सिलसिले में ऐसा बहाने का रुख अपनाया नहीं जा रहा है।अधिकारियों का सही मानें में ईमानदारी से

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अपनाया हुआ रुख था इस सम्बन्ध में, मैं समझता हूं, थोडा गलत धारणा से काम किया है और स वजह से मैं समझता हूं इस समिति को फिर से यह कार्य सौंपा जाना चाहिये, ऐसा मेरा प्रस्ताव है म उसे अभी लिखकर आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा और विशेष आदेश के साथ यह उसे वापिस सौंपा जाना चाहिये कि वह इस बात की पुनःर्जांच करे कि जिस रूप में कमिश्नर बीकानेर ने आज तक समिति के सामने अपने आपको पेश किया है और आज भी जो विशेषाधिकार समिति को कार्यवाही सदन में पेश की गई है उसको देखा है और जो एपोलोजी दी गई है उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

पहले भी एक बार इस प्रकार का प्रश्न सदन के सामने आया और यह सही बात और दुरुस्त बात थी कि पहला ही मौका था, इस वजह से यह रख लिया कि विशेष सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं, सम्बन्धित अधिकारियों ने माफी मांग ली, वही काफी समझी गई।

यह दूसरा केस है, अध्यक्ष महोदय। यह ऐसा केस है कि जिन अधिकारियों ने डिटेन्शन की आज्ञा दी थी उन्होंने अपने बयानों में, उन्होंने अपनी साक्षी में विशेषाधिकार समिति के सामने कहा-था कि हमने सारी स्थिति को सोच समझ कर, उस पर पूरा विचार करके, तोल नाप कर फिर निर्णय लिया था कि यह विशेषाधिकारों का प्रश्न नहीं है और यह निर्णय लेने के बाद हमने इनके डिटेन्शन का ऑर्डर दिया था। जब कोई अधिकारी कहे कि सारी स्थिति पर सोच लिया, विचार कर लिया और जान बूझ कर समझ बूझकर डिटेन्शन का हुक्म दिया तो यदि इस सम्बन्ध में कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो तो वह अनजान में किया गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जान बूझ कर सोच समझकर कार्य किया है तो उसकी एपोलोजी अनक्वालीफाइड होनी चाहिये कि मैं ने यह कार्य जान बूझकर सोच समझ कर किया उसके लिये मुझे खेद है और भूल को स्वीकर करते हुए समिति के सामने खेद प्रकट करता हूं। पर इसको बजाय यह कहा गया कि इसमें हमने कोई गलती नहीं की सारी बातों को सोच समझकर और ठीक समझकर किया है इस पर भी यदि कमेटी निर्णय करती है कि गलती हुई है तो उसके लिये खेद है।

तो ऐसी सूरत में जो निर्णय लिया गया है कि आगे और कोई कार्यवाही नहीं की जाय, कोई सख्त कार्यवाही नहीं की जाय, और जो एपोलोजी मांगी है वही काफी समझी जाय। मैं समझता हूं इस मामले में इतना लीनियेन्ट व्यू लेना उचित नहीं होगा। समिति के पास यह प्रश्न वापिस प्रेषित किया जाय कि यह सैकिन्ड केस है। जिन अधिकारियों ने यह ऑर्डर दिया है उन्होंने अपने बयानों में कहा है और वे कहते हैं कि पूरी की पूरी समस्या पर सोच विचार कर के जान बूझकर आदेश दिया था, यह उनका सारा समझा बूझा कार्य था, अनजान में किया हुआ कार्य नहीं था, तो ऐसी सूरत में क्या यह दुरुस्त होगा कि इतना लीनियेन्ट व्यू लिया जाय जैसी कि विशेषाधिकार समिति की राय पेश की गई है।

तो मेरा यह सुझाव है कि, जो मैं पेश कर रहा हूं, कि उन दो आदेशों के साथ यह रिपोर्ट पुनः प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द कर दी जाय, और सदन उसे आज्ञा दे कि इन दोनों बातों का निर्णय कर के सदन के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। मैं आशा करता हूं कि मेरे सुझाव स्वीकार किये जायेंगे।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न सदन के लिये विशेष महत्व का प्रश्न है, सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न है इस लिये जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव प्रस्तुत किये हैं, जो विचार व्यक्त किये हैं, उनके समर्थन में मैं भी दो शब्द कहना चाहूंगा।

विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पढी जाय तो दो बातें प्रकट होती हैं, जिस वक्त श्री संधु को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी का उत्तरदायित्व तहसीलदार पर रखा जाता है वह गलत है। तहसीलदार के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि वहां स्थानीय कलेक्टर और कमिश्नर के समक्ष उन्होंने सारी समस्या रख दी थी कि क्या किया जाय? सब की अनुमति से यह गिरफ्तारी हुई इसलिये कमिश्नर साहब की जिम्मेदारी और अधिक हो जाती है। श्री संधु की गिरफ्तारी के समय जो उनका रवैया रहा व इस बात का द्योतक है कि विशेषाधिकार के प्रश्न को जान बूझ कर उल्टा समझा और जब वे विशेषाधिकार समिति के समक्ष आये तो इस बात पर अडे रहे कि जो निर्णय उन्होंने दिया वह उचित ही था। यदि विशेषाधिकार समिति किसी और निर्णय पर पहुंचती है तो वे इस बात को कहने को तैयार थे कि उनको माफी दी जाय और इस प्रकार के माफीनामे पर इतना लीनियेन्ट व्यू लिया गया है। इतना लीनियेन्ट व्यू नहीं लिया जाना चाहिये ताकि अधिकारियों को आयन्दा के लिये सबक मिले कि सदन के सदस्य के साथ जब भी कोई व्यवहार करें तो पूरी पूरी बातों की जानकारी रखनी चाहिये। यह इस सदन के माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का प्रश्न है अतः इसमें इस तरह का व्यू लेना चाहिये कि आयन्दा के लिये सब अधिकारियों को सबक मिले।

यदि यह पहला ही प्रश्न होता तो कहा भी जा सकता था कि इन लोगों को जानकारी नहीं थी पर जान बूझ कर करना और माफीनामे को भी शर्त के साथ रखना, इस तरह के माफीनामे को स्वीकार कर के उनके खिलाफ कोई एक्शन न लेना, यह एक बहुत ही लीनियेन्ट व्यू होगा और आने वाले लोगों के लिये कोई इबरतनाक नहीं होगा।

जब कि डेमोक्रेसी हमारे यहां डेवेलपमेन्ट की स्टेज में है तो हमारे यहां के जितने भी सिविल सर्वेन्टस हैं उनको जानकारी होनी चाहिये कि यदि इस सदन के किसी सदस्य को गिरफ्तार करते हैं या इस तरह की कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध करते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। यह सही है कि जिस कारण से गिरफ्तार किया गया था सिविल नेचर के ड्यूज थे। रेवेन्यू की आड लेकर उन सिद्धांतों को लागू करना जो डिटेन्शन के लिये जरूरी हैं, यह, मैं समझता हूं कानून के साथ खींचातानी करना था।

इसलिये ऐसी हालत में जो प्रस्ताव जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है कि इस रिपोर्ट को पुनः विचारार्थ प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया जावे ताकि वह इसको रिव्यू कर सके कि श्री चोपडा को क्या सजा दी जावे? मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का व्यवहार और बर्ताव किया जा रहा है उसको देखते हुए सदन इस नतीजे पर पहुंचेगा कि कोई सजा कलेक्टर को जरूर दी जानी चाहिये।

श्री लालसिंह शक्तावत (उपाध्यक्ष)—माननीय अध्यक्ष, जो माननीय सदस्यों का यह खयाल है कि कुछ ज्यादा रियायत रखी गई है मेरे खयाल से वह ठीक नहीं है। रिपोर्ट के मुलाहिजे

[श्री लालसिंह शक्तावत]

से मालूम होगा कि पहले जो गिरफ्तारी की गई है वह तहसीलदार ने को, कमिश्नर की जानकारी में हो सकती है, लेकिन आपस में उनके बयानात एक नहीं हैं। इसलिये यह स्पष्ट तौर से मालूम नहीं होता कि कमिश्नर के डाइरेक्शन से तहसीलदार ने उनको गिरफ्तार किया। तहसीलदार को गिरफ्तार करने का, बीकानेर रेवेन्यू लॉज जो बने हुए हैं, उनके अनुसार, अधिकार है कि अगर रेवेन्यू की रकम बाकी हो तो तहसीलदार किसी व्यक्ति को १० दिन तक गिरफ्तार कर सकता है, और अगर १० दिन में रकम जमा नहीं होती है तो कमिश्नर के सामने पेश होने पर कमिश्नर एक महीने की मयाद और बढ़ा सकता है। उस माफिक मयाद बढ़ाई। इसलिये जो गिरफ्तारी की गई वह रकम वसूली के सिलसिले में की गई, जिसके लिये कानून था।

एक तो प्रश्न यह था कि यह सिविल नेचर का मामला है या नहीं? अगर यह बिल्कुल सिविल नेचर का मामला है तो यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अवश्य होता है। इसके लिये हमारे यहां पर भूत-पूर्व एडवोकेट जनरल श्री हजेला थे उनको इस प्रकार के मामले में सलाह ली गई थी तो उन्होंने बताया कि सिविल नेचर, क्रिमीनल नेचर और एग्जिक्यूटिव नेचर इस तरह से तीन प्रकार को नेचर बताई। प्योरली क्रिमीनल नेचर के मामले में तो कोई शिकायत नहीं है। सिविल नेचर के मामले में गिरफ्तारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिये लेकिन यह माल के ताल्लुक का है, और जो स्थिति वहाँ पर उस समय थी उसको देखते हुए मौजूदा कानून के अन्तर्गत गिरफ्तारी की थी। वह प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट से मिलते हुए एक्ट को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से श्री हजेला ने राय दी थी कि इस तरह को गिरफ्तारी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं होती यह भी ब्रीच नहीं है। चूंकि हमारा अधिवेशन शुरू होने के एक सप्ताह बाद गिरफ्तार हुए थे तो कमेटी के सदस्यों के खयाल से यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जावेगा, यह नहीं हो सकता क्योंकि न तो हमारे रूल्स में इसके लिये कोई प्रोविजन है। यह पार्लियामेन्ट या इंगलैण्ड के जनतन्त्र की बात है। इसलिये मेरा खयाल है, और हमारा खयाल यह होगा कि उन लोगों ने ओनेस्टली जैसा बताया कि उनका बोनाफोइड खयाल यह था कि जो गिरफ्तारी कर रहे हैं उसमें कोई ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है इसलिये उसमें यह मुख्य बात थी और इसीलिये उन्होंने गिरफ्तार किया। उनको कोई निजि रंजिश या पर्सनल इन्ट्रेस्ट नहीं था। सिर्फ उन्होंने गवर्नमेन्ट कार्य में गिरफ्तार किया और एक कानून उनके सामने मौजूद था उसकी तहत में। तो यह बात इतनी स्तपष्ट नहीं है कि यह मामला प्योरली सिविल नेचर का था।

जब आप यह देखते हैं कि एडवोकेट जनरल की यह राय है, कमेटी ने यह माना कि माल की रकम की वसूली सिविल नेचर के केरेक्टर में आती है और इसीलिये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, लेकिन चूंकि उन्होंने बोनाफाइड रूप में गिरफ्तार किया, उनका कोई दूसरा इरादा नहीं था, और जिसको वे मानते हैं, और एथॉलोजी में यह कहा है कि हमने उसको गुड फेथ में गिरफ्तार किया था, माल के हित में किया था इसलिये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं हो सकता। यह बात सब कहने के बाद फिर यह कहा कि अगर इसको कमेटी स्वीकार नहीं करे तो इसके लिये माफी चाहते हैं। इसलिये मेरा

[श्री लालसिंह शक्तावत]

यह निवेदन है कि अगर किसी पर कोई जुर्म लगाया जाता है तो वह अपने जुर्म से बचने के लिये जहां तक हो सके समान बातें होती हैं पेश करते हैं, और यही नहीं यह तक होता है कि बहुत सी बातें बढ़ाचढ़ा कर कहते हैं। मगर उन्होंने असल बात साफ साफ कह दी कि असल बात यह है। इससे यह माना जावेगा कि उन्होंने माफी मांगी है वह अनक्वालीफाइड एपोलोजी है। अगर कमेटी यह मानती है कि हमने किया वह गलत है तो हम माफी मांगते हैं। अब ऐसी सूरत में जब वे सरेन्डर करते हैं और मामले को देखते हुए सब बातों पर विचार करके कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है हाउस के बडप्पन को ध्यान में रखते हुए, कि उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था, उनको यहां पर आने जाने में काफी नसीहत हो गई है। इन सब बातों पर ध्यान देते हुए कमेटी ने यह सिफारिश की है कि हाउस उनको माफ करदे। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि दुबारा विचार करने की कोई बात नहीं है, और जो हाउस ने बडप्पन के मातहत उनको माफी दी है वह अगर दी जावे तो उन लोगों पर इसका बहुत बडा और बहुत अच्छा असर होगा। और कुछ लोगों ने, जैसा सुझाव पेश करने वालों ने कहा है, यह गलत खयाल बनाया है। वे यह मानेंगे कि हाउस तो सख्त सजा दे सकता था लेकिन उन्होंने माफी का पावर एक्सरसाइज किया। इसलिये यह संशोधन आवश्यक नहीं है। बाकी जांच पडताल हो ही गई है इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Government is interested.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—Of course, so far as the report is concerned to support the Report, there is no other interest except this.

माननीय अध्यक्ष, यह रिपोर्ट जो प्रिविलेज कमेटी की तरफ से पेश हुई है और जिसके लिये जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव पेश किया है कि यह वापिस प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर दी जावे, मैं नहीं समझ पाया कि उनका इससे क्या मतलब है? एक ऑफिसर ने गलती की और माफी चाहता है तो फिर भी माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उसको सजा दी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आल्टर्नेटिव माफी मांगी गई है। वे यह कहते हैं कि अगर इसको गलती समझते हैं तो माफी दी जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास—उनके ध्यान में यह बात नहीं थी कि एसेम्बली का सेशन चल रहा है और उसके अनुसार ४० दिन के अन्दर किसी सदस्य को अरेस्ट नहीं करना चाहिये। वे इसको सिविल लाइबिलिटि नहीं मानते हैं। सिविल कोर्ट की डिक्री को ही सिविल लाइबिलिटि मानते हैं।

श्री बहुत सी बातें ऐसी भी हो सकती हैं, नेकनियती के साथ, ईमानदारी के साथ गलती कर सकता है। गलती करने पर अगर उसको बताया जाय और उसके बाद यदि माफी मांग ली जाती है तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा नोबल बात और क्या हो सकती है? इसलिये मेरा निवेदन यह है जो राय कमेटी ने दी है उसी को काफी मानकर इस केस को ड्रॉप कर दिया जाय।

And the hon'ble member is a member of that Committee. Members of the Committee of Privileges for 1956-57, Shri H. K. Vyas's name appears at No. 9.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I don't raise that matter because I don't want to create any other controversey. But since it has been raised. तो सब से पहले मैं यह सबमिट करदूं••

श्री दामोदरलाल व्यास—One minute. It is very unusual that a member without giving any Note of Dissent comes before the House and opposes the Report which is unanimous.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is really very unusual. What is more unusual is to talk here without knowing the facts.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member has to act different roles.

श्री हरिकृष्ण व्यास—उधर बैठने वाले माननीय मित्र को बड़ा जोश है, लेकिन जोश यदि जानकारी के साथ हो तो बहुत ठीक हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मित्र की जानकारी के लिये प्रस्तुत कर दूं कि इस रिपोर्ट को कन्सीडर करते समय जो मीटिंग बुलाई गई थी वह चार घंटे के नोटिस से बुलायी गई थी। २४ तारीख को नोटिस इश्यू किया गया था। इस सत्र के शुरू होने के दिन वह मीटिंग हुई और उसी दिन रिपोर्ट कन्सीडर हो गई मैं उस दिन यहां शहर में मौजूद नहीं था, मुझे सूचना मिली ही नहीं।

श्री अध्यक्ष—Any way the motion has been allowed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I didn't expect that the hon'ble member will touch me.

श्री दामोदरलाल व्यास—क्या ये दुबारा बोल सकते हैं जब कि ये अपने ऐतराज रख चुके, क्या ये पॉइन्ट्स रेज कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—Come to the point please.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने तो रेज नहीं किया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष—His objection is very genuine.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But if you hear me fully.... The report was never sent to me.

श्री अध्यक्ष—Once the Report is there I am not going back. You should have sent your Note of Dissent.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I was never asked to give a Note of Dissent.

श्री अध्यक्ष—Your signatures must be there.

श्री हरिकृष्ण व्यास—They are not there. Sir.

श्री अध्यक्ष—On the report as adopted?

श्री हरिकृष्ण व्यास—The Draft Report for consideration was sent to the hon'ble members but the Report for adoption was never sent to me.

श्री अध्यक्ष—It is not necessary. Any way come to the point.

श्री हरिकृष्ण व्यास—प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, कि हमें इसमें क्या एटीट्यूड लेना चाहिये ? यह हमें तात्विक रूप से देखना चाहिये । मैंने जो प्रश्न उपस्थित किया था वह एक उसूल का प्रश्न है और इस रूप में उसूल का प्रश्न है। अज्ञान की स्थिति में अगर कोई आदमी गलती करता है, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं, अज्ञान की अवस्था में कोई गलती करदे और जिस समय उसे यह ध्यान दिलाया जाय कि अमुक अमुक गलती तुमने करदी ओन दी फर्स्ट अपोर्चुनिटी अपोलाइज करदे तो उसके साथ यह एटीट्यूड लिया जा सकता है कि उसको कोई सजा नहीं देनी चाहिये । जो यह कबूल कर लेता है कि अज्ञान की अवस्था में उससे यह गलती हो गई अतः उसे माफ किया जाय ऐसी स्थिति में अगर हम उसके साथ सख्ती करते हैं तो उस कदम को हम अमानवीय और अव्यवहारिक कह सकते हैं । किन्तु इस परटीक्यूलर केस में स्थिति क्या है यह हमें देखनी होगी । आफिसर कन्सर्न्ड पहले तो यह कहता है कि मेरे यह ध्यान में था कि चालीस दिन के अन्दर अरेस्ट नहीं होना चाहिये सिविल क्लेम के लिये । पहले तो एडमिट करता है मुझे यह मालूम था कि हाउस का प्रीविलेजेज का प्रश्न उठ सकता है और उसने यह सब चीजें ध्यान में रख कर सोच समझ कर निर्णय लिया है, यह मेरा पोइन्ट नंबर वन है ।

दूसरा पोइन्ट यह है कि जब उनके ध्यान में लाया गया कि अमुक २ गलती आपने की है आपको इस पर क्या कहना है । उस गलती को कन्सर्न्ड ऑफिसर के ध्यान में लाये जाने पर वे यह कहते हैं कि मेरी समझ में इस प्रकार की कोई गलती नहीं की, और उसी समझ की बिना पर मैंने काम किया । आज भी मेरी समझ के मुताबिक मैंने कोई गलती नहीं की है। आपकी समझ के मुताबिक अगर आप इसे गलती मानते हैं तो मेरी माफी है। अब हमें देखना है कि क्या हमें इस प्रकार की चीजों को एनकरेज करना है ? यह उसूल का प्रश्न है । मैं यह मानता हूं कि अगर कोई अधिकारी गलती करे और उस गलती पर भी यह कहे कि अगर आप इसे गलती मानते हैं तो माफ करें । मैं इसको ठीक नहीं मानता । जहां सदन की मानहानि का प्रश्न है मैं यह चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों के दिमाग में यह बात आजाय कि उन्होंने गलती की है और यदि फस्ट अपोर्चुनिटी पर गलती स्वीकार करलें तो उसको माफी के लिये कन्सीडर किया जा सकता है । लेकिन जो आखरी दम तक इस बात पर अड़ा रहे कि जान बूझकर मैंने यह कार्य किया मेरी समझ के मुताबिक मैं सही मानता हूं । तो ऐसी हालत में अगर हम उसे माफी देते हैं तो यह ठीक नहीं होगा । हो सकता है उसे कुछ सजा मिलने पर जिसमें सरकार की गलती नजर आती है मेरे उधर बैठे हुए माननीय मित्र ने जो रुख लिया है वह तो उदासीनता की ओर ले जाने वाला

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

रख हूँ मैं चाहता हूं कि हमें ऐसा रुख अपनाना चाहिये ताकि अधिकारियों के ध्यान में यह बात आजाय कि आयन्दा से कम से कम ऐसी गलती नहीं होने पाये। मैंने अपना प्रस्ताव केवल इसलिये रखा है कि सदन के एक सदस्य का सम्मान सारे सदन का सम्मान है। उसी इरादे को सदन के सम्मुख रखने के लिये यह प्रस्ताव रखा है। वैसे मैं अपने इस प्रस्ताव पर ज्यादा प्रेस नहीं करना चाहता लेकिन इतना अवश्य चाहता हूं कि आयन्दा कभी ऐसा मौका आये, किसी भी सदस्य के प्रीविलेज का प्रश्न हो, उस पर गंभीरता से विचार किया जाय, और जिस प्रकार की अपोलोजी की टेन्डेन्सी को हम एनकरेज कर रहे हैं उसको नहीं करनी चाहिये। मैं अपने सुझाव पर प्रेस नहीं करना चाहता इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष--My attention was drawn very late that the hon'ble member was on the Privileges, Committee otherwise.

क्या सदन की यह अनुमति है कि इस कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

सर्व सम्मति से रिपोर्ट स्वीकृत हुई।

राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५६

(अग्रेतर खण्डशः विचार विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास—क्लॉज १५ ए।

श्री अध्यक्ष—१५ ए का स्वरूप क्या होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास–As amended, Sir.

श्री अध्यक्ष--वह अमेन्डमेन्टेड ही पढ दीजियेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां। Shall I read in English?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं हिन्दी में ही होगा वह।

श्री दामोदरलाल व्यास--अमेन्डमेंट तो हिन्दी में दे दिया है।

श्री अध्यक्ष—१५ ए का अमेन्डमेन्ट दे दिया हिन्दी में ?

श्री दामोदरलाल व्यास--(1) Will stand as it is.

(2) Will be deleted.

(3) Will stand as it is.

[श्री दामोदरलाल व्यास]

सब क्लॉज (४) में संशोधन के पश्चात् यह शक्ल हो जायगी :

"सहायक आयुक्त को उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये लेखे की यथार्थता को मालूम करने के लिये ऐसी जांच करने की शक्ति होगी, जिसे वह उपयुक्त समझे, किन्तु ऐसी जांच तभी की जायगी जब कि उप धारा (३) में उल्लिखित समिति ने ऐसी जांच के लिये निवेदन किया हो।" 'या उसके किसी सदस्य' ये शब्द निकाल दिये जाएं। Only on a request of the committee and not of a member.

"The Assistant Commissioner shall have power to make enquiries, as he thinks fit, to verify the correctness of the accounts but such enquiry shall be made only by a complaint made by the Committee, or any member thereof the underlined words will be deleted.

(5) Sub-clauses will remain as it is.

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १५ ए के उपखण्ड (२) को विलोपित किया जावे ।

(स्वीकृत)

उप खण्ड (२) को विलोपित किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि उप-खण्ड (४) में जो संशोधन श्री दामोदरलाल जी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १५ ए को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

खण्ड १५ ए संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना ।

श्री दामोदरलाल व्यास—Then clause 27.

श्री अध्यक्ष—(श्री भैरोंसिंह से) आपके संशोधन रद्द हो गये या विद्ड्रा करते हैं ?

श्री भैरूंसिंह—विद्ड्रा करने का तो सवाल ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड १५ ए में जो संशोधन श्री भैरोंसिंह जी ने रक्खे वे स्वीकार किये जावें ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये ।

(विराम)

Page No.55

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि खण्ड १५ ए स्वीकार किया जावे, संशोधित रूप में ।

(स्वीकृत)

खण्ड १५ ए संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना ।

श्री दामोदरलाल व्यास--खण्ड २६ में मेरा संशोधन इस प्रकार है :—

" २० दिन के अन्दर " प्रतिस्थापित किया जावे ।

उप खण्ड (२) को विलोपित किया जावे ।

" सहायक आयुक्त द्वारा जारी किये गये किसी निर्देश का पालन करने में " लोप किया जाय ।

This is in pursuance of the discussion held in the House and in common agreement with the wishes of the hon'ble members.

श्री चांदमल मेहता--अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे दूं ? मुझे अपना अमेन्डमेन्ट विद्ड्रा करना पडेगा । मैं इसके उप खंड (१) में जो मेरा संशोधन है उसको वापिस लेने की इजाजत लेना चाहता हूं ।

सब क्लॉज (२) को विलोपित करने का मेरा भी संशोधन था पर अब जब कि मन्त्री महोदय ने रख दिया है तो मैं अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं ।

और उप खंड (४) के सम्बन्ध में जो संशोधन माननीय मन्त्री महोदय ने रखा है उसमें थोडी कसर रह गई है । उसमें मेरा निवेदन था कि जो ट्रस्ट में अपने हित रखने वाले हों, उन्हीं को असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त करे, ऐसा उसमें समावेश होना चाहिये, और इस बात का ध्यान माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी आकर्षित किया था, और ऐसा प्रोविजन देश में भिन्न २ राज्यों में जो एक्ट बने हैं उनमें भी है । तो इसलिये मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करलें तो अच्छी बात होगी । वे और एक बात का विचार कर लें कि जब असिस्टेन्ट कमिश्नर किसी को नियुक्ति करे तो ऐसा न हो कि जैनों के मन्दिरों में हिंदू को या मुसलमान या सिक्ख को या बौद्ध को नियुक्त कर दे और इसी तरह दूसरे धर्मों के मन्दिरों में दूसरों को नियुक्त कर दे । तो मंत्री महोदय इस पर फिर विचार कर लें । वैसे मुझे तो बहरहाल अपने संशोधनों को विद्ड्रा करना ही है, और वह मैं करता हूं ।

श्री दामोदरलाल व्यास—I think, I have already made a full statment in the House yesterday, and I think that should have been sufficient for the hon'ble member's satisfaction.

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २६ के अन्तर्गत जो संशोधन श्री चांदमल जी मेहता ने रखे हैं, वे उन्हें वापिस लेना चाहते हैं, क्या सदन की यह अनुमति है कि वे अपने संशोधन वापिस ले लें ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री भैरूंसिंह (१६)—खण्ड २६ में मेरा प्रस्ताव भी है । मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री भैरोंसिंह को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

श्री भैरूंसिंह—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

(विराम)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज २६ के अन्तर्गत जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने रक्खे हैं वे स्वीकार किये जावें ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २६, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जावे ।

श्री भैरूंसिंह—कोरम नहीं है, अध्यक्ष महोदय, और क्लॉजेज, पास कर दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—मेरे सहित भी १५ रह जाते हैं ।

(घंटी)

To day will be the last day of this Assembly. So I think the members should enjoy the Lobbies less.

राज श्री हिम्मतसिंह—पास हुए वे सब भी बेकार हुए ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २६ को, संशोधित रूप से, स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

खण्ड २६, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

खण्ड ३

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड ३० के ऊपर मेरे एमेन्डमेंट्स पर कल बहस हो चुकी है । मुझे केवल जवाब देना है, क्योंकि they were taken as moved.

श्री **भैरू सिंह**--मूव कर दीजिये कि खण्ड ३० पर कौन २ से एमेन्डमेन्टस् हैं ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**--The amendments were taken as moved; and the discussion was continued by the members who discussed that clause and particularly discussed my amendments. I have only to give the reply There is another amendment by Shri Nathu Ram Mirdha which may be accepted.

श्री **अध्यक्ष**—आप ही मूव कर दीजिये ।

श्री **दामोदरलाल व्यास**—All right; अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से, क्लॉज ३० (सी) में जो एमेंडमेंट मैंने पेश किया है उस एमेंडमेंट में एक और एमेंडमेंट पेश कर रहा हूं ।

उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध और जोडा जाय :--

किन्तु शर्त यह है कि परामर्शदाता बोर्ड या ऐसी किसी स्थानीय परामर्श दात्री समितियों का कोई सदस्य बोर्ड या समिति के ऐसे सार्वजनिक प्रन्यास के विषय में मतदान में भाग नहीं लेंगे जो कि केवल उस धर्म के व्यक्तियों के लाभार्थ हों जो कि उस सदस्य का धर्म नहीं हो ।

स्पष्टीकरण--इस उप-खण्ड में धर्म का तात्पर्य निम्नलिखित धर्मों में से हो :--

(क) दिगम्बर जैन धर्म,

(ख) श्वेताम्बर जैन धर्म, और

(ग) सिर्फ अन्य हिन्दुओं के धर्म ।

श्री **भैरू सिंह**--यह तो वही बातें हैं । सिर्फ अन्य हिन्दुओं में प्रत्येक अलग अलग आ जाय; हिन्दू, सिक्ख और बौद्ध ।

श्री **दामोदरलाल व्यास**--किन वर्डिग्स में करवाना चाहते हैं । I think that will be alright, but if the Hon'ble Member is very keen the Sikhs may be admitted. I have no objection.

श्री **अध्यक्ष**--और बाकी के ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**--बाकी एमेंडमेंट मेरा है ।

श्री **अध्यक्ष**—They stand as they are.

श्री **दामोदरलाल व्यास**--जी हां । क्लॉज ३० (सी) में जो मेरा एमेंडमेंट है उसमें यह एमेंडमेंट है । That may be amended as such.

श्री **अध्यक्ष**--यह ठीक है । ३० ए०, बी०, और सी०, ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वह हैं जैसे रहेंगे।

श्री अध्यक्ष—इनके जो एमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में क्या कहना है?

श्री शम्भूसिंह—इसमें, अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक एमेंडमेंट था।

श्री अध्यक्ष—कल मूव नहीं किया आपने ?

श्री शम्भूसिंह—कल मूव कर दिया था, लेकिन उसके मुताल्लिक जवाब नहीं दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास—जवाब सब का अर्ज करता हूं।

श्री अध्यक्ष—अभी इनके ही एमेंडमेंट्स का जवाब नहीं दिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास—नहीं साहब, इनका भी।

अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज ३०, ३० ए ३० बी और ३० सी जिन कारणों से रखे गये हैं वे तो इस क्लॉज में जो एमेंडमेन्ट्स पेश किये हैं और जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में आये हैं उनसे स्पष्ट है। आम तौर पर सरकार का यह विश्वास है कि जहां तक कि धर्म के मामले हों वहां तक सरकारी अधिकारी किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें, और जहां तक हो सके जो यह प्रन्यास संबंधी मामलात हैं उनमें इस तरह के एडवाइजरी बोर्ड कायम हों, वे एडवाइजरी बोर्ड उस धर्म से संबंधित लोगों के हों, और उन प्रन्यासों के मुताल्लिक जब कभी भी कोई अवसर उनके समक्ष आये तो वे असिस्टेंट देवस्थान कमिश्नर को सलाह दे सकते हैं और सलाह देने के उपर जो सलाह आये उसके ऊपर वह कार्यवाही करे। इसके अन्दर यह सुभीता रखा गया है कि अगर एडवाइजरी बोर्ड और असिस्टेंट कमिश्नर देवस्थान के बीच किसी प्रकार का कोई मतभेद होगा तो वह मामला सेन्ट्रल एडवाइजर बोर्ड के पास जायगा जो कि देवस्थान कमिश्नर के यहां होगा और सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड को राय फाइनल होगी, और असिस्टेंट देवस्थान कमिश्नर को बोर्ड की राय पर कार्यवाही करनी पड़ेगी। इसलिये बोर्ड्स का प्रोवीजन रखा है। ३० ए बी और सी में वह इसी कारण रखा गया है कि माननीय सदस्य ने जो कल अपने कुछ एमेन्डमेन्ट्स रखे हैं

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वे इस प्रकार के हैं कि मेरे खयाल से जो एमेन्डमेंट मैंने अभी पेश किया है उससे उनको भी संतोष हो जायगा कि अब तो बोर्ड के अन्दर इस बात का खयाल नहीं रहेगा कि जिसमें उनके एतराजात थे। श्वेताम्बरों के लिये श्वेताम्बर बोर्ड होगा और दिगम्बरों के लिये दिगम्बर बोर्ड रख दिया है। जिस धर्म से संबंधित मसला पेश होगा तो उस समय उसी धर्म के लोग उस पर वोट दे सकेंगे और दूसरे लोगों को वोट देने का, डिसकशन में भाग लेने का, कोई अधिकार नहीं होगा। यह चीज इसमें होगी ताकि दूसरों को कोई एतराज करने का मोका नहीं मिलता है।

बाकी के जो एमेन्डमेन्टस् पेश किये हैं उन एमेन्डमेन्टस् को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं। अलबत्ता आज का जो अमेन्डमेन्ट है सेक्शन ३० सी में सिर्फ बोर्ड की व्यवस्था की गई है और उस बोर्ड

[श्री दामोदरलाल व्यास]

में तमाम धर्मों के लोगों को नामीनेट किया जायगा, और उन्हीं लोगों को उस बोर्ड में सलाह देने का, व बोर्ड के डिसकशन में भाग लेने का, या मत देने का अधिकार, जो मैंने एमेंडमेंट रखा है, उसी के तहत होगा ।

जो माननीय मित्र भीलवाड़े की तरफ से आये हैं उन्होंने जो सुझाव दिया है मैं उसकी बडी कद्र करता हूं, माननीय उपाध्यक्ष, और मैं समझता हूं कि अब मेरा एमेन्डमेन्ट जो कि मैंने अभी प्रस्तुत किया है उसके बाद में वह खुद ही महसूस करेंगे कि उनका जो एमेंडमेंट है वह कोई आवश्यक नहीं रह जाता है । और उनका मतलब सिर्फ इतना सा था कि संबंधित धर्म के लोगों को राय देने का मौका मिले, वही एमेंडमेंट मैंने अपने नये एमेन्डमेंट में रख दिया है । मैं समझता हूं कि उनको उससे संतोष होगा ।

दूसरी बात यह है कि जो मैंने एमेंडमेंट कल रखा था सेक्शन ३० बी में उस एमेंडमेंट को अब मैं इन व्यू ऑफ माईलेटेस्ट एमेंडमेंट आफ टू डे इन सेक्शन ३० सी, और ३० ए में जो संशोधन है उनको विलोपित किया जायगा और उनको विद्ड्रा करने की अनुमति चाहूंगा ।

श्री **भैरूंसिंह**--मेम्बर्स के क्वालिफिकेशन्स और डिस्क्वालिफिकेशन्स के बारे में . . . .

श्री **दामोदरलाल व्यास**-माननीय उपाध्यक्ष, कल दांता-रामगढ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो एमेंडमेंट पेश किया था उसमें यह लिखा है कि जो सदस्य होंगे उनकी यह क्वालिफिकेशन होनी चाहिये और कुछ डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिये । मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं । वह उचित है और वाजिब है कि जो सदस्य उस एडवाइजरी बोर्ड के बनाये जाय उनको क्वालिफिकेशन्स और डिस्क्वालिफिकेशन्स प्रस्क्राइब करनी चाहिये । लेकिन इस एक्ट में उसको प्रेस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है । जो क्वालिफिकेशन्स और डिस्क्वालिफिकेशन्स उन्होंने बतायी है उस संबंध में इसमें रूल्स बनाये जायेंगे जब वे जरूर उसमें एम्बोडीड की जावेगी, यह मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं ।

रावत श्री शंभूसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मने खंड ३० ए के संबंध में संशोधन प्रस्तुत किये उसके विषय में माननीय मंत्रीजी ने अपने जवाब में बताया है । उन्होंने इस खंड पर एक संशोधन प्रस्तुत कर दिया है और वह संशोधन हमारे सामने है । मैंने अपने संशोधन में कम्पोजिशन आफ बोर्ड के संबंध में सुझाव दिया है । बोर्ड होगा उसमें कम्पोजिशन किस प्रकार से होगा ? माननीय मंत्रीजी का जो संशोधन है उसमें यह है कि निम्नलिखित तीन वर्ग का बोर्ड बनाया जावेगा । वह बोर्ड किस प्रकार का होगा, उसके पर्सनलस कौन २ होंगे, इसमें खुलासा नहीं किया गया है । माननीय मंत्रीजी का जो संशोधन है उसमें केवल एक ही बात है । उन्होंने तीन वर्ग मान लिये हैं, (१) दिगम्बर जैन के लिये, (२) श्वेताम्बर जैन के लिये और (३) हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यासों के लिये । ये तीनों वर्ग के लिये परामर्शदाता बोर्ड बनेंगे । प्रश्न यह रह जाता है कि वह किस प्रकार के होंगे और उनमें मेम्बर कौन २ शरीक होंगे ? मैंने संशोधन रखा है कि उस प्रन्यास में हित रखने वाले इन्ट्रेस्टेड व्यक्ति होने चाहिये । उसी प्रन्यास के धर्म से संबंध रखने वाले व्यक्ति होने चाहिये । इसमें यह

[रावत श्री शम्भू सिंह]

संदेह रह जाता है कि जो बोर्ड माननीय मंत्री जी के सुझाव के अनुसार बनने वाले हैं वे ठीक प्रकार से अन्जाम देने वाले होंगे या नहीं ? इसलिये मैं अपने इस संशोधन को प्रेस करता हूं।

श्री **भैरूं सिंह**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खंड ३० के विषय में जो संशोधन प्रस्तुत किये थे उन सब के संबंध में माननीय राजस्व मंत्रीजी की ओर से आश्वासन मिला है कि वे सब बातें रूल्स के अन्तर्गत इन्कोरपोरेट कर ली जावेंगी। उसके बाद में मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि उनको प्रेस करने के बारे में सदन में प्रकाश डालू। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस आश्वासन के कारण मुझे मेरे संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री **उपाध्यक्ष**—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री **भैरूं सिंह**—मैं संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष**—प्रश्न यह है कि क्लॉज ३० ए पर जो संशोधन श्री शंभूसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)।

क्लॉज ३० के पहले के संशोधन वापिस लें।

श्री **दामोदरलाल व्यास**—क्लॉजेज ३० बी और ३० सी के जो मेरे पहले के संशोधन हैं उनको मैं वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं और ३० सी के बारे में जो अभी संशोधन प्रस्तुत किया है उसको तो रखना चाहूंगा ?

श्री **उपाध्यक्ष**—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री **दामोदरलाल व्यास**—मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं।

(विराम)

My amendment is regarding 30c now.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३० ए स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खंड ३० ए विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ३० बी स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खंड ३० बी विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ३० सी में जो संशोधन श्री दामोदरलाल व्यास ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३० सी, संशोधन रूप से, स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३० सी, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज १

श्री दामोदरलाल व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज १ पर

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष—रावत श्री शंभूसिंह ।

रावत श्री शंभूसिंह—खंड १ के ऊपर जो मेरा संशोधन है उसको मैं मूव नहीं करना चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह (दाता रामगढ़) ।

श्री भैरूं सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खंड १ मेरे संशोधन इस प्रकार हैं :—

उप खंड (१) में जो संशोधन प्रस्तुत करना चाहिये उसको, माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्तुत नहीं करना चाहता ।

उप खंड (३) में मेरा संशोधन इस प्रकार से है :—

" इस उप-खंड में निम्नलिखित शब्द और जोड दिये जायं ;

किन्तु ऐसा निर्देशन रिट्रॉस्पेक्टिव नहीं होगा " ।

उप खंड (४) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय : —

"इसका प्रयोग केवल उन सार्वजनीन प्रन्यासों पर होगा जिनके प्रशासन में कोई सारगर्भित दोष है या कोई प्रन्यासधारी या कोई अन्य व्यक्ति घोर असावधानी, विश्व्यघात, दुरुपयोग या दुराचार का दोषी है जिससे उस प्रन्यास को हानि हुई है इस संबंध में घोषणा राजपत्र द्वारा ही की जायगी ।

किन्तु शर्त यह है कि ऐसी घोषणा करने के पूर्व सरकार प्रस्तावित घोषणा की निर्धारित रीति से सार्वजनिक सूचना देगी और उस सार्वजनीन प्रन्यास में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों को प्रस्तावित घोषणा के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हों, घोषणा की तारीख से ६० दिन की अवधि में प्रस्तुत करने के लिये आमंत्रित करेगी तथा उन पर विचार कर परामर्शदाता बोर्ड की सलाह से निर्णय करेगी । "

उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून के खंड १ में यह व्यवस्था की गई है कि इस कानून का नाम क्या होगा, राजस्थान के किन क्षेत्रों में यह प्रभावशील होगा, और इस कानून में जितने क्लॉजेज रखे गये हैं ये क्लॉजेज किस समय प्रवर्तन में आवेंगे ?

इसका प्रयोग किन सार्वजनिक प्रन्यासों पर होगा इस व्यवस्था के अनुसार उप-खंड (३) में उल्लेख किया गया है कि यह क्लॉज तुरन्त प्रवर्तन में आयेगा, तथा इस अधिनियम के अन्य क्लॉजेज ऐसी तारीख को प्रवर्तन में आयेंगे जिनका कि सरकार राजस्थान राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा निर्देश करे। "और उप-खंड (४) में यह लिखा है कि " इसका प्रयोग केवल हिन्दू सार्वजनिक प्रन्यासों पर होगा"। मैंने अपने दो संशोधन उप खंड (४) में प्रस्तुत किये हैं। इसका कारण एक विशेष महत्वपूर्ण घटना से है उपाध्यक्षजी, कहने को यह बात अवश्य कही जायगी कि माननीय राजस्व मंत्रीजी एक संशोधन प्रस्तुत करने वाले हैं और उस संशोधन की परिभाषा से ऐसा ज्ञात होता है कि हमारी सरकार राजस्थान में हिन्दू सार्वजनिन प्रन्यास एक्ट की धाराओं को या उनमें से कुछ क्लॉजेज को अमल में लायेगी जिनका वह प्रयोग करना चाहेगी या एक ही प्रकार के ऐसे मंदिरों में उपयोग में लायेगी जिनके बारे में सरकार राजस्थान राज-पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करे। इसका मतलब यह है कि सरकार स्वयं महसूस करती है कि राजस्थान में ऐसे कई धार्मिक प्रन्यास हैं जिन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये। मैं भी मानता हूं कि ऐसे कई प्रन्यास हैं जिन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये। इसको लागू करने के दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो जब प्रन्यास के धन का दुरुपयोग हो तो इसे लागू करना चाहिये ताकि धन का दुरुपयोग होता हो तो रोका जाय। दूसरी बात यह है कि प्रन्यासों के लिये लोगों की भावना

[श्री भैंरूसिंह दांता रामगढ]

उसी प्रकार को बनी रहे जिस भावना के द्वारा अब तक प्रन्यासों का निर्माण होता रहा है। यदि दुरुपयोग रोकने के [illegible] का काम करते हैं [illegible] उसके कारण हमारा दृष्टि भेद हो जावे तो इसमें कौन [illegible] है कि जिसके कारण भविष्य में भी [illegible] प्रकार के प्रन्यासों का निर्माण होता रहेगा। जब ये [illegible] भविष्य में बाधक बनती हैं तो इसे लागू करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार की भावना कुछ और है। लेकिन सरकार ने [illegible] हथियार अपने हाथ में लिया है जिसके कारण मर्जी आवे जब, मर्जी आवे जिस पर, और मर्जी आवे जिस तरीके से इसको लागू कर सकती है। इसके लिये सरकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि सरकार किन कारणों से इस बिल को सारी धाराओं को प्रन्यासों पर लागू कर सकती है। मैं और आगे चलता हूं। सरकार वर्गीकरण करके एक वर्ग के प्रन्यासों पर इसका नियंत्रण करेगी और राज-[illegible] में इस सिलसिले में विज्ञप्ति प्रकाशित होगी तब उन पर नियंत्रण किया जायगा। इन दोनों चीजों को स्वीकार करली जाय तो भी सरकार के हाथ बांध देने चाहिये इस बात के लिये कि वह स्वेच्छा से काम नहीं करेगी बल्कि सरकार अपने अधिकारों द्वारा नुगालते में डालने में भी बंध जाय और गैरवाजिब तरीके से काम न हो इसलिये दो शब्द रखे हैं। यह उन्हीं प्रन्यासों पर लागू होना चाहिये जिन के बारे में सरकार को मालूम हो कि इनमें कोई सारगर्भित दोष है या कोई प्रन्यासधारी या कोई अन्य व्यक्ति घोर असावधानी, विश्वासघात, दुरुपयोग या दुराचार का दोषी है जिससे उस प्रन्यास को हानि हुई है, और यदि प्रन्यास की संपत्ति ऐसे लोगों के हाथ में रही तो निश्चित रूप से ट्रस्ट को आर्थिक नुकसान होगा और जिस रिलिजियस ओब्जेक्ट कोओब्टेन करने का काम करते हैं वह काम पूरा नहीं होगा। यदि ऐसी तसल्ली सरकार को हो जावे तो निश्चित रूप से वह उसका उपयोग करे।

मैंने पहले भी निवेदन किया था कि ट्रस्ट के ओब्जेक्ट को पूरा करने की जो क्रियाएं हैं वे ऐसी क्रियाएं हैं जो समाज के अधिकार में हैं। उनको लेने की चेष्टा सरकार को तभी करनी चाहिये जब कि वे राष्ट्र-विरोधी हों या समाजविरोधी हों, या युग विरोधी साबित हों। मैं निश्चित रूप से कहता हूं ट्रस्ट के निर्माण की भावना समाजविरोधी या राष्ट्र विरोधी नहीं है। ट्रस्ट के निर्माण के बाद उसके प्रशासन को अपने हाथ में लेना वाजिब नहीं कहा जा सकता। मैं समझता हूं, यदि कोई बिल्कुल ही फार्वर्ड व्यूज आदमी हो और पाश्चात्य युग में रहता हो तो वह कह सकता है कि ट्रस्ट का काम समाज के हाथ में रहना पुरानी युग की बात हो गई है, आज के युग में इसकी आवश्यकता नहीं है। वर्ना प्रन्यासों का निर्माण और उस पर समाज का अधिकार कदापि राष्ट्र-विरोधी या समाज-विरोधी या युग विरोधी नहीं है। इस पर समाज का ही अधिकार होना चाहिये। ये दोनों चीजें सरकार के लिये भी हानिकारक नहीं है। सरकार यदि समझे कि प्रन्यासधारियों के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है तो उसको रोकने के लिये सरकार नोटिस निकाले और प्रन्यासधारियों को सुनने का अवसर दे और वे सरकार को तसल्ली नहीं दिला सकें कि निश्चित रूप से काम सुचारु ढंग से चलता नहीं रहेगा तो हमें केवल इस बिल के कुछ प्रोविजन्स ही लागू नहीं करने चाहिये बल्कि सरकार का पूर्णतः उस पर अधिकार हो जावे तो भी हमें आपत्ति नहीं होगी। यदि समाज के आदमी उसका काम सुचारु रूप से नहीं चला सकते, बाधायें उपस्थित होती हैं या ऐसी कमियें हैं जिनको वे स्वयं दूर

[श्री दाता रामगढ़]

नहीं कर सकते तो सरकार को सहायता करना आवश्यक है। मैं समझता हूं आज का समाज काफी उत्साही सजग और सतर्क है और यह समझता है कि अपने आप यदि बुराई को दूर नहीं कर सकता है तो निश्चित रूप से कानून को सहायता या सहारा लेना चाहिये। यदि समाज सजग है तो उसको किसी के सहारे की भी आवश्यकता नहीं पडेगी। मेरा संशोधन यदि स्वीकार किया जाता है तो राजस्व-मंत्रीजी जिस मूल भावना के कारण संशोधन प्रस्तुत करने वाले हैं उस भावना को बल देगा। सरकार बंधन में आती है तो आये लेकिन इस डर से सरकार अपने पर बोझा क्यों ले। राजस्थान के जितने हिन्दू सार्वजनिक प्रन्यास हैं उनके सिलसिले में यह कानून है यदि जनता उनका प्रबन्ध सुचारू रूप से करती है तो उसे करने दें। इसमें दो राय नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ में अपना संशोधन प्रस्तुत करता हुआ निवेदन करूंगा कि यह संशोधन है और इसमें सारी बातों की व्यवस्था है और इसमें राजस्व मंत्रीजी ने समय समय पर जो भावना व्यक्त की है उसका बिल्कुल समर्थन है। मैं समझता हूं उधर बैठनेवाले साथी भी मेरे संशोधन को स्वीकार कराने में मेरी मदद करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—माननीय उपाध्यक्ष, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पडता है कि मैंने जो संशोधन खण्ड (१) में पेश किया है उसको गौर के साथ माननीय सदस्य पढ़ते तो कोई वजह नहीं थी कि अपने संशोधन पेश करते।

मैंने बार बार सदन में अर्ज किया है कि सरकार की नीति सिर्फ यह है कि जितने सार्वजनिक प्रन्यास हैं उनमें सरकारी दखल नहीं होना चाहिये। सरकार चाहती है उनकी प्रापर्टी जो भी मूवेबल या इम्मूवेबल है वह बिलकुल सेफ कस्टडी में रहे, कोई मिसयूज नहीं कर पायें। जितना हो सके लिस्ट हस्तक्षेप सरकारी अधिकारियों का इसमें रखा जाना चाहिये था। उतना रखा गया है, यहां तक कि एड्वाइजरी बोर्ड में कमिश्नर और असिस्टेन्ट कमिश्नर को वोट का अधिकार नहीं दिया है और वे खुद अपना फैसला कर सकते हैं। और इस कानून को जितना हो सकता है लिबरल बनाया गया है।

इसी तरह देखेंगे तो यह सेक्सन (१) का अमेंडमेंट मैंने पेश किया है, ज्योंही यह बिल पास होगा सभी प्रन्यासों पर लागू नहीं होगा। इसमें एक तरीका ऐसा रखा गया है कि सरकार की तरफ से इसको एप्लाई करने के लिये इसका वर्गीकरण किया गया है कि किस प्रन्यास की सालाना आमदनी कितनी है उस लिहाज से, उसकी केपिटल वेल्यू कितनी है, इस लिहाज से और दूसरे लिहाज से वर्गीकरण कर सकते हैं, गजट में एक नियत तारीख मुकर्रर करके नोटिसेज इश्यू किये जायेंगे और उनके ओब्जेक्शन्स जो होंगे वो उनके ट्रस्टीज से इन्वाइट किये जायेंगे उनके ओब्जेक्शन्स को सुनने के बाद में इस कानून को उस प्रन्यास पर एप्लाई करना है कि नहीं इस बारे में सरकार निर्णय लेगी। बहरहाल कोई इक्विटेबल डिटरमिन करना होगा, गजट में कोई एक तारीख नियत करके उन प्रन्यासों के जो ट्रस्टीज हैं उनके ओब्जेक्शन्स सुनने के बाद फैसला करते हैं तो जो एप्रीहेन्सन माननीय सदस्य को है वह नहीं रहेगा।

माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट पेश किया है, उस भावना को समझ कर कि जो अमेन्डमेन्ट मैंने पेश किया है और सेक्शन (१) में एक अमेंडमेंट मैं फिर पेश कर रहा हूं उसके बाद महसूस करेंगे कि उन्होंने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसके पेश करने की आवश्यकता नहीं है।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

सब क्लॉज (१) का अमेन्डमेन्ट मैंने जो पेश किया है उसके लिये में अर्ज करूंगा कि That may be taken as moved. पहले ओरीजिनल अमेन्डमेन्ट पढ़ कर सुना देता हूं।

"खण्ड १ के उप-खण्ड (३) और (४) के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जावे।

"(३) यह क्लॉज और क्लॉज १५ ए तुरन्त प्रवर्तन में आयेंगे, तथा इस अधिनियम के अन्य क्लॉजेज हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यासों के किसी वर्ग पर ऐसी तारीख को जिसका कि राजस्थान सरकार राजस्थान राजपत्र में विज्ञप्ति द्वारा निर्देश करे, लागू होंगी ?

किन्तु शर्त यह है कि ऐसी विज्ञप्ति के प्रकाशन के पहले उसका आलेख उससे प्रभावित होने वाले सर्व व्यक्तियों की जानकारी के लिये राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित किया जायगा और उसके साथ एक सूचना प्रकाशित की जायगी जिसमें उस तारीख का उल्लेख होगा जिसको या जिसके बाद आलेख पर विचारणा की जायगी और जिसके पहले आपत्तियां अथवा सुझाव लिये जायेंगे।

(४) क्लॉज (३) के अन्तर्गत विज्ञप्ति के हेतु सरकार हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यासों का वर्गीकरण ऐसे प्रन्यासों की आमद या उनकी कुल सम्पत्ति के मूल्य या अन्य धार्मिक बातों (फेक्टर्स) के आधार पर कर सकती है।"

यह मेरा ओरीजिनल अमेंडमेंट है। This is my original amendment. This may be taken as moved and with your permission I want to put a further amendment to this amendment.

वह इस तरह से है।

खण्ड (१) के उप-खण्ड (३) में जिस संशोधन की सूचना सरकार की तरफ से दी गई है उसमें निम्नलिखित संशोधन किया जावे;

"प्रस्तावित उप-खण्ड (३) में शब्द 'यह क्लॉज और क्लॉज १५ ए तुरन्त प्रवर्तन में आयेंगे तथा इस अधिनियम के अन्य क्लॉजेज' के स्थान पर शब्द 'यह क्लॉज तुरन्त प्रवर्तन में आयेगा तथा इस अधिनियम के अन्य क्लॉजेज, अलावा १५ ए के' प्रतिस्थापित किये जावें।"

यह हो जायगा। Sub-clause (3) of Clause (1) will be read as follows:—

"यह क्लॉज तुरन्त प्रवर्तन में आयेगा तथा इस अधिनियम के अन्य क्लॉजेज, अलावा क्लॉज १५ ए. के हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यासों के किसी वर्ग पर ऐसी तारीख को जिसका कि राजस्थान सरकार राजस्थान राज-पत्र में विज्ञप्ति द्वारा निर्देश करे, लागू होंगे।"

This is the amendment which seeks to say that clause 15A will not apply immediately.

[श्री दामोदरलाल व्यास]

अब सेक्शन १५ ए. के बाद का दूसरा अमेंडमेंट इसका इस तरह होगा खण्ड (१) में प्रस्तावित उप-खण्ड (४) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खण्ड जोड़ दिया जावे।

"(५) क्लॉज १५ ए. केवल उस तारीख को प्रवर्तन में आयेगा जिसका कि सरकार राजस्थान राज-पत्र में विशेष विज्ञप्ति द्वारा निर्देश करे और सरकार, नगरों की जनसंख्या को ध्यान में लेकर, भिन्न भिन्न नगरों के लिये भिन्न भिन्न तारीखों का निर्देश कर सकती है।"

This is the amendment to the amendment which I had already submitted.

इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि दांतारामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने जिन विचारों से अपना अमेंडमेंट पेश किया है वे उसको वापिस लेंगे और जो अमेन्डमेन्ट मैंने पेश किया है उसके स्वीकार करने के बाद क्लॉज (१) स्वीकार किया जाय।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय राजस्व मंत्री जी ने......

श्री दामोदरलाल व्यास—समझ तो लीजिये पहले कि अमेंडमेंट्स क्या हैं।

श्री मानसिंह महार—अच्छी तरह समझ लिया। माननीय उपाध्यक्ष, राजस्व मंत्रीजी ने जिस पेचीदी भाषा में हमारे सम्मुख अमेंडमेंट रखे हैं उसका मैं विरोध करता हूं। उपाध्यक्ष जी, अभी दांतारामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, दिखाने के लिये माननीय मंत्री जी ने अपना अमेंडमेंट प्रस्तुत किया है कि क्लॉज १५ ए. इस एक्ट के लागू होते ही लागू नहीं होगा इसके लिये गजट में अलग नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल भुलावा मात्र है इसमें किसी प्रकार का रिलीफ नहीं मिला है। उनके यह अमेंडमेंट प्रस्तुत करने से यह बात जरूर सदन के समक्ष आई कि राजस्व मंत्री जी महसूस करते हैं कि क्लॉज १५ ए. को राजस्थान में चालू करना, लागू करना आवश्यक नहीं है, यह बात तो हमें मालूम हुई। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी गलती को शायद देर से ही महसूस किया सही, पर किया।

यह हमारी निश्चित धारणा है कि वे अगर इस क्लॉज को अमल में नहीं लाना चाहते हैं तो इस आशय का एक साफ अमेंडमेंट लाना चाहिये था।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि इस क्लॉज को अमल में नहीं लाना चाहिये, न मैंने कोई भूल की है और न कोई भूल स्वीकार की है वैसे माननीय सदस्य को अधिकार है कि वे जैसा चाहें कहें। मैंने तो आवश्यक समझ कर इस क्लॉज को इस बिल में रखा उसको पास करा दिया, इसको कब किस पर एप्लाई करना इसका तरीका निश्चित कर देंगे।

श्री मानसिंह महार—राजस्व मंत्रीजी शायद अपने ख्याल में फंस गये, इसलिये यह क्लेरिफिकेशन उन्हें देना पड़ा। इस प्रकार की भूल करके उस भूल पर पर्दा डालने को

[श्री मानसिंह महार]

कोशिश की जाती है पर एम. ए. लेज. ऐसे नहीं होते कि इसको नहीं समझें । बात यह है कि अगर आपको इतनी जल्दी है तो क्लॉज १५ ए. जो धर्मादा के बारे में है उसको अलग क्यों किया ? पर बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस समय हमारे राजस्व मंत्रीजी इस कानून को पास कराने के लिये सदन के माननीय सदस्यों को भुलावे में डालना चाहते हैं, उनको लोबी में जा जाकर कह दिया कि धर्मादे वाले क्लॉज को लागू ही नहीं करेंगे । पर बात यह है कि यह कानून लागू होते ही लोगों के ऊपर धोंस जमाई जायगी कि अब धर्मादे के लिये यह कानून लागू करते हैं, गजट में शाया करते हैं, या तो धर्मादे में से हमको चंदा दो नहीं तो तुम पर भी यह कानून लागू करते हैं । यह बडी गलत परम्परा होगी । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को चाहिये कि इस कानून के अन्दर यह व्यवस्था करे कि कम से कम ५ वर्ष तक या दस वर्ष के लिये क्लॉज १५ ए. अमल में नहीं आयेगा । अगर इस प्रकार की बात को इस प्रकार से इस कानून में रख देते तो हम इसको स्वीकार कर लेते पर इस प्रकार मुगालते में डालने की कोशिश की गई है, इसको हम कतई स्वीकार नहीं करते । दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है उसको उन्होंने काफी डिटेल में समझाया है पर मैं एक बात पेश करूंगा वह यह है कि हिन्दू शब्द इसमें नहीं रखना चाहिये । हिन्दू शब्द के बजाय रिलीजियस शब्द कर देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी । आज का हमारा भारतवर्ष जो सेक्यूलर स्टेट है, उसमें हिन्दू, ईसाई, और मुसलमान शब्दों को यूज करना सेक्यूलर स्टेट को एक प्रकार से चुनौती देना है । मैं नहीं समझता था कि आज सन् १९५६ में जब कि हम ५७ में गुजरने वाले हैं उस समय भी हमारी सरकार हिन्दू, मुसलमान, ईसाई इनको अलग अलग समझती है । मैं यह समझता हूं कि अब तो हमारे लिये सब बराबर हैं ।

श्री मोहनलाल भटनागर—५७ में क्या हो जायगा ?

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, १९५७ में अगले आम चुनाव होने वाले हैं । चुनाव में मुसलमान और ईसाई नाराज हो जायेंगे, अगर यह हिन्दुओं को तरक्की देने के लिये है । यदि इससे हिन्दुओं के मन्दिरों को लाभ पहुंचेगा और मुसलमानों और ईसाईयों को फायदा नहीं पहुंचेगा तो वे लोग नाराज हो जायेंगे और अगर इस बात से यानि इस बिल से मन्दिरों और मठों को नुकसान पहुंचाने की बात समझते हैं तो मैं यह कहूंगा कि हिन्दू लोग व जैन भाई आदि नाराज हो जावेंगे। इसलिये अगले आम चुनाव में नजदीक आ रहे हैं, इसको तीसरी रीडिंग पर भी मैं कुछ निवेदन करूंगा मगर यहां पर मैं यह निवेदन करूंगा कि हिन्दू शब्द को जोड कर भारत वर्ष की सेक्यूलरी नीति है उसको एक प्रकार से समाप्त करना है । मैं यह कहूंगा कि आपकी सेक्यूलरी स्टेट में हिन्दू शब्द नहीं होना चाहिये ।

(घंटी)

यदि हिन्दू शब्द को हटा कर उसकी जगह रिलिजियस शब्द कर दिया जावेगा तो मैं यह कहूंगा कि सबसे अच्छा होगा । यही चन्द शब्द कह कर मैं यह कहूंगा कि दांता रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखे हैं वे उचित हैं और उनके सुझाव बहुत अच्छे हैं और हम सबको उनका समर्थन

[श्री मानसिंह महार]

करना चाहिये। माननीय राजस्व मंत्रीजी की तरफ से जो अमेंडमेंट पेश हुए हैं वे मेरे खयाल से बहुत ही गोलमाल हैं और उसमें बहुत रहस्य भरा है। इसलिये ऐसे खतरनाक अमेंडमेंट को मंजूर न करें। मैं आशा करता हूं कि सदन इसका समर्थन करेगा और माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जो संशोधन रखा है उनके लिये उनको बाध्य करेंगे कि वह उनको वापिस ले लें।

श्री भैरू सिंह (१६)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्रीजी ने पहले कुछ संशोधन प्रस्तुत किये थे और आज उन्होंने उन संशोधनों में एक और संशोधन प्रस्तुत किया है। उसका मतलब यह है कि सरकार की इस संबंध में अभी तक कोई निश्चित नीति नहीं है। जिस समय जिस प्रकार का सुझाव उनके समक्ष प्रस्तुत होता है अगर उसके लिये ऊपर से किसी प्रकार का दबाव आया तो वह प्रस्ताव मैं समझता हूं कि स्वीकार कर लिया जाता है और अगर ऊपर से कोई दबाव नहीं आए तो यदि कोई वाजिब सुझाव भी किया गया हो और वाजिब सुझाव में यदि राजनैतिक प्रभाव नहीं तो मैं यह समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री उस प्रकार के वाजिब प्रस्ताव को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष, राजस्व मंत्री ने बताया कि जो संशोधन उन्होंने पेश किया है वह बहुत अच्छा है। यदि इस अच्छी बात को क्लेम करने का हक वे खुद अपने पास ही रखें तो बहुत अच्छा होगा। आपने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार प्रन्यासों का वर्गीकरण होगा। उन पर यह धारायें कब लागू होंगी उसके बारे में तारीख निश्चित करने की व्यवस्था की गई है। निश्चित की गई तारीख जो एक प्रकार से सार्वजनिक सूचना होगी वह गजट में छापा की जावेगी। इसका तात्पर्य यह होगा कि राजस्थान की सरकार कहने के लिये यह नहीं चाहती कि उन प्रन्यासों पर सरकार का अधिकार हो मगर उन्होंने यह थोडे से शब्दों में ऐसे अजीब ढंग से यह बात कही कि सरकार उस पर विचार करेगी कि कितनी इन्कम पर यह धारा लागू होगी और कितनी इन्कम पर यह धारा लागू नहीं होगी। इस आधार पर सरकार मन्दिरों का वर्गीकरण करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष, यदि मेरा संशोधन स्वीकार किया जावे तो उसके साथ में राजस्व मंत्री का संशोधन स्वीकार कर लिया जावेगा। मैं समझता हूं कि यह सारा मूल कानून से इतना जुड़ा है कि हम इसको किसी रूप में अलग नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार चाहती है कि हम इन्कम के बारे में कोई बेसिस तय करे, यदि उनको कोई बेसिस तय करना है और हमें उनको कन्ट्रोल में लाना है तो लें। लेकिन किन को लें, सारे सार्वजनिक प्रन्यासों को लें या ऐसे प्रन्यासों को लें जिसमें धन का दुरुपयोग होता है। जिसमें किसी प्रकार की प्रबन्ध में कोताई रहती है, जिनका प्रबन्ध अच्छा नहीं हो उनको लें या जहां विशेष प्रकार की गडबड हो उनको लें, जिनमें धन के दुरुपयोग की घटनाऐं होती हैं उनको ऐसे प्रबन्ध में लें या सारे राजस्थान के प्रन्यासों पर कन्ट्रोल करें। माननीय उपाध्यक्ष, यदि यहां पर दूसरे राज्य की नकल भी की जावे तो मैं आपके समक्ष मद्रास में जो इस प्रकार का हिन्दू रिलिजियस इन्डोमेंट एक्ट है, बिहार और उडिसा का इस प्रकार का एक्ट है उसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि यदि सरकार चाहे तो इस प्रकार के प्रन्यासों पर जिसमें कोई शिकायत नहीं हो और वे सरकार के अधीन हों उनको भी मुक्त कर सकती है। लेकिन हमारे यहां राजस्थान सरकार इन सारे के सारे प्रन्यासों को इसके प्रतिकूल अपनी इच्छा से इस प्रकार से लेगी और

[श्री भैरूसिंह (दातांरामगढ़)]

इस कानून को लागू करके सरकार उन पर अपना नियंत्रण थोपना चाहती है। मैंने पहले भी कहा है कि उनको स्थिति इस शर्त पर मंजूर को जावे कि यदि किसी में दुराचार नहीं हो, किसी विशेष प्रकार की अनियमितता मालूम नहीं हो तो उनको आजादी से काम करने को इजाजत दी जावे। कोई रजिस्ट्रेशन या किसी प्रकार का हिसाब आदि पेश करने की आवश्यकता नहीं और अगर एक दो में इस प्रकार की गडबडी होती है और सारे के सारे प्रन्यासों पर इस प्रकार का कानून थोपना मैं समझता हूं कि इन्साफ नहीं है और यह तो अन्याय ही होगा।

माननीय उपाध्यक्ष, प्रन्यासों के पीछे एक जबर्दस्त त्याग की भावना होती है। जब कभी कोई व्यक्ति काम करना स्वीकार करता है तो वह व्यक्ति वहां पर काम इसलिये नहीं करता कि उसको तनख्वाह लेना है। वह इसलिये नहीं करता कि संपति का उपयोग अपने स्वार्थ को पूर्ति के लिये करेगा। लेकिन उसका एक ही दृष्टिकोण होता है और वह होता है सेवा भाव। कोई जब ट्रस्टी बनाया जाता है तो वह यह देखता है कि सारे रिलिजियस आब्जेक्ट्स पूरे है या नहीं। कोई भी ट्रस्टी यह नहीं चाहता कि सब प्रापर्टी अपने काम में ले ली जावे। लेकिन हमारी समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार सारे प्रन्यासों पर यह प्रतिबन्ध क्यों लगा रही है। राजस्थान सरकार के अधीन सार्वजनीन प्रन्यासों में कुछ ऐसे प्रन्यास है जिन पर अभी भी सरकार का कन्ट्रोल और नियंत्रण है उनका प्रबन्ध भी सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। जो मन्दिर, मठ सरकार के नियंत्रण में हैं उनमें भी कई गडबडी होती है तो समझ में नहीं आता कि इनको हाथ में लेने से क्या फायदा होगा। सरकार को मैंने बताया कि पी. ए. सी. में इस बात का ज्ञान हुआ कि देवस्थान विभाग में मन्दिरों के कन्ट्रोल में जिन पर वे कन्ट्रोल करते है उनके हिसाबों में लाखों रुपयों का गबन होता है तो मामूली मन्दिरों में सेवक के रूप में उन पर किस प्रकार का इल्जाम लगावे। इल्जाम खुद पर हो और थोपा चाहे किसी दूसरे पर यह कैसे हो सकता है। मान लीजिये कि इल्जाम भी थाप दिया। झूठे इल्जाम के लिये हम उनको दंड दें यह सम्भव नहीं हो सकता। इस प्रकार के कानून बनते हैं तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि हम ऐसे वर्गीकरण के रूप में प्रन्यासों को छोड़ दे जिसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की बात नहीं हो।

वर्गीकरण इस बात का हो सकता है कि ५ हजार रुपये से अधिक या ५०० रुपये से अधिक के जितने भी प्रन्यास हों उनको इस कानून से मुक्त कर दिया जावे। इसके ऊपर के प्रन्यास जो हों वे इसमें आ सकते है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन प्रस्तुत करता हुआ सदन से चाहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री के संशोधनों को अगर स्वीकार किया जाता है तो उसके बाद में लाजिमी हो जाता है कि मेरे संशोधनों को भी स्वीकार किया जाय। दोनों संशोधन इन्टर रिलेटेड है। माननीय राजस्व मंत्री महोदय के संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके माने यह होंगे कि हम सरकार के हाथ में ऐसे अधिकार दे रहे हैं जिसमें वे स्वेच्छाचारिता का परिचय देने के लिये मन्दिरों पर अबाध रूप अधिकार देने के लिये एक हथियार देते हैं जिस हथियार का उपयोग नहीं होगा दुरुपयोग ही होगा। इन शब्दों के साथ सारे संशोधनों को प्रस्तुत करता हुआ सदन से मांग करता हूं कि मेरे दोनों संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाय

Page No.70

[श्री भैरूंसिह (दातारामगढ़)]

अगर मेरे संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जाता है तो राजस्व मंत्रीजी के भी संशोधन बिलकुल मंजूर नहीं किये जायं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरूंसिंह ने खंड १ पर रखे हैं, स्वीकार किये जायं ।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ।

श्री भैरूंसिंह—हां पक्ष जीता ।

श्री दामोदर व्यास—ना पक्ष जीता ।

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड (१) पर जो संशोधन श्री भैरूंसिंह ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ।

(मतदान के पश्चात)

ना पक्ष जीता ।

श्री भैरूंसिंह—हां पक्ष जीता, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री दामोदर व्यास—ना पक्ष जीता ।

श्री उपाध्यक्ष—जो सदस्य इस संशोधन के पक्ष में हों वे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जायं ।

श्री भैरूंसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण मसला है और इस विधान सभा का भी आखरी मौका है इसलिये लोबीज में जाकर मतदान हो तो ठीक रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—खड़े होकर ही मतदान हो जाय ।

श्री भैरूंसिंह—केवल गिनती ही नहीं होनी चाहिये, बल्कि नाम भी रेकर्ड होने चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—खड़े होकर ही मतदान होना ठीक रहेगा । इसमें समय कम लगता है ।

श्री भैरूंसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जो कोई सदस्य डिविजन क्लेम करता है, किसी प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में, तो उस सदस्य का, जो डिविजन क्लेम करता है, उसका यह अधिकार होता है कि वह चाहे तो नाम रेकर्ड करवा सकता है । इसी अधिकार के अन्तर्गत मैं चाहता हूं कि इस संबंध में जो मतदान हो रहा है उसमें नाम रेकर्ड किये जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—डिवीजन की बाबत जो रूल हैं उसमें दो नियम हैं, एक तो यह है कि या तो खड़े होकर मतों की गणना कर ली जाय और दूसरा नियम यह है कि एक्चुअल डिविजन करके गिनती कर ली जाय । उसमें स्पीकर को अधिकार है कि वह जिस किसी भी तरीके को पसन्द करे, अपनावे । उसी रूल के माफिक खड़े होकर मतदान करना ही मैं उपयुक्त समझता हूं ।

(कुछ विराम के पश्चात्)

Page No.71

श्री उपाध्यक्ष—पक्ष में ७ और विपक्ष में ४५ । आपका (श्री भैरूंसिंह का) संशोधन गिर गया ।

श्री भैरूंसिंह—ऑन ए पाइन्ट आफ ओर्डर, सर । उपाध्यक्ष महोदय, जो गिनती हुई और जो आपने रिजल्ट बताया कि हां पक्ष में केवल सात मत आये, मैं निवेदन करूंगा कि इस पक्ष में सात आदमी नहीं थे बल्कि १५ आदमी थे । इसलिये मेरा निवेदन है कि दुबारा काउण्टिंग करा लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—आपको अगर इसमें 'हां' पक्ष की गिनती में शक है तो दुबारा खड़े हो जायं ।

श्री भैरूंसिंह—जब तक नाम रिकार्ड नहीं होंगे तब तक यह गिनती भी सही हो जाय, इसमें भी शंका है । इसलिये इस गिनती में भी शायद गलती न रह जाय इसलिये सबके नाम रेकार्ड करा लिये जायं ।

श्री हिम्मतसिंह—आंखों देखो परशुराम कभी न झूठी होय । ऐसी गप्प हांक दें कि सात ही हैं । ऐसा अन्धेर तो नहीं होना चाहिये ।

श्री भैरूंसिंह—उनकी तरफ भी गिनती दुबारा हो जानी चाहिये साहब ।

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने तो क्लेम नहीं किया ।

श्री भैरूंसिंह—उन्होंने क्लेम नहीं किया, पर मैं क्लेम करता हूं । उनकी भी गिनती की जावे । उनकी गिनती ४६ नहीं है, कम है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड (१) पर जो संशोधन श्री दामोदरलाल जी ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड (१), संशोधित रूप में, स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

(खण्ड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना ।)

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जावे ।

श्री भैरूंसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुसूची में मेरा अमेन्डमेन्ट है । मैंने जो लिस्ट दी है, उसमें है ।

Page No.72

श्री उपाध्यक्ष—आपके पास है, मूव करिये।

श्री भैरू सिंह—नहीं करना है।

श्री उपाध्यक्ष—यहां तो पता नहीं है।

श्री भैरू सिंह—वह सर्कुलेट नहीं हुआ। शायद कोई ऐतराज कर दे, इसलिये मूव नहीं करना चाहता।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची जो क्लॉज ४६ पर है स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

प्रश्न यह है कि टाइटिल व प्रीएम्बल को स्वीकार किया जावे।

श्री शम्भूसिंह—इस पर मेरा एक अमेन्डमेन्ट है।

उपाध्यक्ष महोदय, टाइटिल पर मेरा संशोधन इस प्रकार है। शीर्षक में से "हिन्दू" शब्द विलोपित कर दिया जावे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि यह बिल हमारे सामने प्रस्तुत है इसमें इसका नाम राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास बिल है पर मैं समझता हूं कि इसमें से हिन्दू शब्द जो है उसे विलोपित कर दिया जावे और केवल राजस्थान सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक इसका नाम रहने दिया जावे।

मैं इसका कारण बताता हूं। यह कहा जाता है कि यह सेक्युलर स्टेट है। तो इस सेक्युलर स्टेट में हिन्दू शब्द का इस्तेमाल करना मेरे खयाल से ज्यादा मुनासिब नहीं होगा और चूंकि यह कहा जाता है कि यह बिल सभी वर्गों के फायदे के लिये बनाया जा रहा है तो फिर इसको सभी वर्गों के लिये लाभदायक होना चाहिये और सारे ही वर्गों को इससे फायदा उठाने का मौका दिया जाना चाहिये और यदि इसमें कुछ हानिकारक बात सरकार को नजर आती है तो फिर यह हिन्दुओं को हानि के वास्ते क्यों रक्खा जावे। इसके पूरे ढेरे को ही नहीं, इस सारे कानून को ही सरकार को उठा लेना चाहिये। और यदि यह प्रयोजन है कि हम हिन्दुओं पर ही मनमानी करके आप हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करते जाए तो इसको मैं कदापि उचित बात नहीं समझता। आप यह जानते हैं कि कुठाराघात होने पर भी हिन्दू कुछ आवाज बुलन्द नहीं कर सकेंगे तो उनकी इस कमजोरी का नाजायज फायदा उठाना शोभाजनक नहीं है किसी के भी लिये। ऐसी स्थिति में इस विधेयक को बिलकुल उठा लेना चाहिये और यदि यह हितकारक कानून माना जाता है तो फिर इसमें से हिन्दू शब्द कम किया जाकर समाज के सभी तत्वों, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिक्ख, जैन, बौद्ध आदि सभी तत्वों को समान रूप से इसका लाभ उठाने का मौका मिलना चाहिये। इसलिये मैं अपील करता हूं कि यह हिन्दू शब्द इसमें से कम हो जाना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अब इसके जवाब की आवश्यकता नहीं है। इस हिन्दू और अ-हिन्दू के नाम पर इस बिल में काफी बहस हम कर चुके हैं और माननीय सदस्य हिन्दू महासभा के अध्यक्ष बताये जाते हैं और वे ही हिन्दू नाम को मिटाना चाहते हैं।

(हंसी)

तो ऐसा करना मैं तो कम से कम नहीं चाहता। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—'हिन्दू' शब्द को कटाने का तात्पर्य यह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—Order ! Order !

(घंटी)

श्री शम्भुसिंह—मैं ने जो इसमें संशोधन रक्खा है उसका मतलब क्या है, यह मेरे खयाल से माननीय मन्त्री महोदय के ख्याल में आया नहीं है। उनको समझ में यह बात बैठी नहीं है इसलिये मैं बताना चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं समझ गया साहब, समझ गया। अब अधिक आप समझाने की कोशिश मत करिये।

श्री शम्भुसिंह—तो फिर इसको आप मानलें। अगर यह हितकारक कानून है तो यह सभी के लिये समान हितकारक और लाभदायक होना चाहिये और ऐसी स्थिति में सभी को इसका लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिये। आशा है, आप इसमें से 'हिन्दू' शब्द को अलग कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री शंभुसिंह ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि बिल के टाइटल और प्रीएम्बल स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

बिल के टाइटल प्रीएम्बल विधेयक के अंग बने।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक को पारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष—Motion moved.

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम १३२ के तहत इसके ऊपर एतराज करता हूं कि इस बिल के अन्दर बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं और बहुत से बिल तो सर्कुलेट किये भी गये पर बहुत से अमेंन्डमेन्ट उन्होंने या तो मौखिक ही रक्खे हैं और कुछ उन्होंने अपने पास कागज पर लिख कर ही पेश किये हैं इसलिये इसका थर्ड रीडिंग आज ही न लिया जावे। हमें इन पर विचार करने के लिये समय दिया जाय। नियम १३२ इस प्रकार है :—

[श्री मानसिंह महार]

"If any amendment of the bill is made, any member may object to any motion for being made on the same day that the Bill be passed and such objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made."

श्री उपाध्यक्ष--मैं जान गया।

श्री मानसिंह महार--तो मैं आशा करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष, कि हमारे हितों की रक्षा करते हुए आप यह मौका हमें अवश्य देंगे इससे हिन्दू धर्म की भी रक्षा होगी। इस प्रकार के महत्वपूर्ण बिल को आज का आज ही जल्दबाजी में पास किया जावे, यह गलत होगा।

सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रद्दोबदल हुए हैं, उसमें इतने एमेंडमेंट स्वीकार किये गये हैं कि जिसकी कोई हद्द नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं स्वीकृति देता हूं कि यह बिल आज ही लिया जाना चाहिए।

(सरकारी पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

श्री मानसिंह महार--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक के तृतीय वाचन पर बोलते हुए सदन के समस्त सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार के काले कानून को यहां पास नहीं करके इस धर्म विरोधी भावना को सदन के अन्दर नहीं आने दें, और हिन्दू, जैन, बौद्ध और सिखों के धर्मों की रक्षा करें।

माननीय उपाध्यक्षजी, दिखावे के लिये यह कहा जाता है कि यह कानून धार्मिक स्थानों का सुधार करेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह कानून सुधारने के बजाय धार्मिक स्थानों को बहुत भारी ठेस पहुंचायेगा। धार्मिक स्थानों को ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह निश्चित धारणा है कि धर्म के मानने वाले व्यक्तियों, को धर्म में जो आस्था है उनको इस कानून के पास होने से बहुत भारी धक्का लगने वाला है। मैं यह समझता हूं कि यह कानून अगर पारित कर दिया जाय तो धार्मिक स्थानों को जो दान वगैरह मिलता है, बहुत से बड़े बड़े आदमी जो दान वगैरह देते हैं वह भी उन स्थानों को नहीं मिलेगा। तो एक प्रकार का जो हमारे धार्मिक स्थानों को बहुत बड़ा लाभ पहुंचता है वह नहीं पहुंचेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज चाहे जो कहा जाय लेकिन धार्मिक स्थानों पर जाकर देखा जाय तो उन स्थानों में बहुत सी जगह अच्छी २ पाठशालायें चल रही हैं, बहुत सी जगह साधु महात्माओं को रोटियां दी जाती हैं और उनका प्रबन्ध किया जाता है और उन स्थानों पर साधु महात्मा लोग हरि कीर्तन वगैरह करते हैं और भगवान के नाम की गूंज हुआ करती है। हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारों में तो लंगर ही चला करते हैं।

मैं तो यहां तक उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि अगर हम देखें तो पंजाब और पेप्सू के अन्दर तो सिखों के गुरुद्वारों के प्रबन्ध के लिये एक बिल्कुल ही अलग तरीका है, लेकिन वहां पर तो पंजाब और पेप्सू में एक नीति अपनाई जाती है कि कुल सिखों के गुरुद्वारों का प्रबन्ध करते हैं और यहां

[श्री मानसिंह महार]

पर सिखों को भी इस कानून के तहत हिन्दुओं के साथ लगा दिया गया है। मैं नहीं समझता, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज हमारे देश में यह कैसा सेक्युलेरिज्म है ? कहने को तो कहा जाता है कि भारत एक सेक्यूलर स्टेट है। बहुत ही बड़ी सेक्यूलर स्टेट है। लेकिन पंजाब के अन्दर एक कानून होता है तो राजस्थान के अन्दर दूसरा, बंगाल में तीसरा और बम्बई में चौथा कानून बनता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो बात होती है वह बहुत ही गलत है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून में सबसे बड़ी कमियां जो हैं वे दो हैं। एक मुख्य कमी इस कानून के अन्दर है जिसकी वजह से मेरे मित्रों को इसको कभी भी पारित नहीं करना चाहिये। वह कमी यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह कानून मुसलमानों और इसाईयों पर लागू नहीं होता है। इस कमी को देखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस कानून को कतई पास नहीं करना चाहिये। मैं यह समझता हूं कि यह कानून जो है वह सब धर्म वालों पर लागू होना चाहिये। अभी जब कि 'हिन्दू' शब्द को हटाने की बात कही गई, तो भीलवाड़े की तरफ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि आप तो हिन्दू महासभा के प्रेसीडेन्ट हैं। उनको यह मालूम होना चाहिये कि यह हिन्दू महासभा ऐसी सभा है जो केवल हिन्दूओं के लिये ही बनी हुई है। वह यह नहीं समझते हैं कि आप उस कांग्रेस के सदस्य हैं, आप यह जो कानून बना रहे हैं वह उस कांग्रेस के सदस्य हैं जो कि अपने विधान के अन्दर, भारत के विधान के अन्दर यह कहना चाहती है कि हम सब धर्म वाले को एक मानेंगे। सभी धर्मों को बराबरी की निगाह से देखेंगे। एक तरफ तो आप अपने विधान में, जो कि आपके लिये मैं कहूंगा कि एक प्रकार से गीता और महाभारत ही माना जाय, उसके अन्दर आप कहते हैं कि सब धर्मों को बराबर मानेंगे, और दूसरी ओर आप राजस्थान के अन्दर एक कानून लाते हैं जिसके अन्दर मुसलमानों की मस्जिदों का इन्तजाम करने का आपके पास कोई चारा नहीं रहता है, जिसके तहत आप हमारे क्रिश्चियन भाइयों के जो धार्मिक स्थान हैं उनके लिये किसी भी प्रकार का इन्तजाम नहीं करते हैं। इसका यह जवाब मिला कि उनके लिये इन्तजाम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे यहां पर बहुत कम तादाद में हैं। मैं कहूंगा कि मुसलमानों के धार्मिक स्थान इतने अधिक हैं कि हिन्दुओं और जैनों के स्थानों के करीब बराबर होंगे। ऐसी सूरत के अन्दर इस कानून के अन्दर सबसे बड़ी, उपाध्यक्ष महोदय, जो कमी है वह यह है कि मुसलमान भाइयों और इसाईयों को इसके अन्दर नहीं जोडा गया है। तो मैं सदन के समस्त सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस कानून के अन्दर "हिन्दू" शब्द जो लगाया गया है तो एक सेक्यूलर स्टेट पर कलंक लगाने की बात होगी। एक तरफ तो कहा जाय कि हम सेक्यूलर हैं, हम धर्म को नहीं मानते हैं। हम तो कहते हैं कि सब धर्मवाले बराबर हैं, उस बात को एक तरफ कहा जाता है, और दूसरी तरफ केवल हिन्दू, जैन, बौद्ध और सिखों के धार्मिक स्थानों के लिये सरकार इन्तजाम करने के लिये प्रयत्नशील होती है, लेकिन उन गरीबों की तरफ ध्यान नहीं देती है। सबसे बड़ा ऐतराज मेरा यही है।

दूसरी बात जो इसके मुताल्लिक मैं निवेदन करना चाहता था, उपाध्यक्ष महोदय, वह यह थी कि इस कानून के अन्दर जो आज क्लॉज १५ ए के बारे में माननीय मंत्रीजी ने जो बात की है वह बिल्कुल गलत है। मैं यह आशा करता था कि मंत्री महोदय धारा १५ को बिल्कुल

Page No.76

[श्री मानसिंह महार]

विलोपित कर देगें, लेकिन यह हमारे दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने इसको विलोपित करना उचित नहीं समझा। वह नहीं हुआ तो उन्होंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है कि क्लॉज १५ ए को तब लागू किया जायगा जब कि हम इसके लिये अलग से गजट में शाया करेंगे कि फलां तारीख से धर्मादे की रकम का भी ट्रस्ट बनेगा या और कोई इन्तजाम होगा। यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात रहती है, उपाध्यक्ष महोदय। मैं यह आशा करता था कि उन्होंने अपनी भूल को जो महसूस किया है वह उलट फेर करके किया है। उनको चाहिये था कि कम से कम टाइम लिमिट कर देते कि धर्मादे की धारा को ५ वर्ष या १० वर्ष तक लागू नहीं किया जायगा। पिछली दफा जब मैं बोल रहा था तब मंत्री महोदय ने तपाक से कहा था कि उन्होंने महसूस नहीं किया है। आप महसूस नहीं करते तो यह नई बात क्यों रखते? यह निश्चित बात है, कि आप नट जाय वह अलग बात है, किन्तु आपने महसूस अवश्य किया है। मैं इस बात का खास तौर से इसलिये विरोध कर रहा हूं कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और इस बात से चुनाव के अन्दर फायदा उठाया जाय। जो व्यापारी लोग २, ४ या १० लाख अपनी वार्षिक आय में से धर्मादा

(घंटी)

निकालते हैं उनके ऊपर दबाव डाला जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो पांच ही मिनिट हुए हैं,

श्री उपाध्यक्ष—इस बात के सम्बन्ध में ही आप कहिये।

श्री मानसिंह महार—बिल्कुल इसी बात के सम्बन्ध में हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

तो इस बात से यह नतीजा निकला, उपाध्यक्ष महोदय, कि हम यह देखेंगे कि उनके ऊपर दबाव पड़ेगा। उनसे कहा जायगा कि हम इस धर्मादे का ट्रस्ट बनाते हैं अगर तुम लोग इस प्रकार का कतई वायदा नहीं करते हो तो। इसलिये मुझे निवेदन करना यह है कि जो धर्मादे की क्लॉज है १५ ए उसे तो बिल्कुल ही डिलीट कर देना चाहिये था। मेरी तो निश्चित धारणा है कि क्लॉज १५ए एक बहुत ही कलुषित क्लॉज है, और इसको डिलीट कर देना चाहिये लेकिन अगर इसे रखना ही था तो मंत्रीजी को कम से कम सदन को कान्फिडेन्स में लेने के लिये कुछ समय निर्धारित कर देना चाहिये था कि हम इस धारा को पांच वर्ष लागू नहीं करेंगे या दस वर्ष लागू नहीं करेंगे। तो मैं यह आशा करूंगा उपाध्यक्षजी कि इसके अन्दर ये दूसरी बातें हैं, इसके रहते हुए मैं इस कानून को तो "काला कानून" की संज्ञा देता हूं। और मैं समझता हूं कि राजस्थान की धर्मप्राण जनता पर यह कानून एक अभिशाप होगा। मैं यह मानता हूं कि राजस्थान को धर्मप्राण जनता इस कानून को कभी स्वीकार नहीं करेगी।

(विरोधी पक्ष की ओर से आवाज)

आपका धर्म ही नहीं है। मैं तो धर्मप्राण जनता की बात कर रहा हूं। एक तरफ हिन्दू मुसलमानों को एक करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वे हिन्दुओं के लिये ही बिल पास कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य—यह आपके मुंह से शोभा नहीं देता है।

श्री मानसिंह महार—मैं मानता हूं, उपाध्यक्षजी, इस कानून के लिये मेरा बोलना भी शोभा नहीं देता। मैं शर्म मानता हूं कि राजस्थान विधान सभा में ऐसा काला कानून आये जो हिन्दू धर्म को नेस्तनाबूद करने वाला है। यह वह कानून है जो ट्रस्ट की आड़ में हिन्दू धर्म को नष्टभ्रष्ट करने वाला है। आज तक हमारी सरकार ने कई षडयन्त्र किये हैं, मन्दिरों पर कब्जा जमाया, यही नहीं गोविन्ददेवजी और गोपीनाथजी के मन्दिरों में चोरी करवाई गई और उनका पता नहीं चला। ये सारी बातें होते हुए भी माननीय उपाध्यक्षजी, जब ये सारे षडयन्त्र विफल हो गये तो अपने तौर हमारी सरकार ने इस कानून को प्रस्तुत करके हमारे सामने रखा। मैं यह समझता हूं कि अगर इस कानून को हम पास कर देंगे तो हिन्दू धर्म जैसी चीज नहीं होगी, हिन्दू धर्म की जो पवित्रता है वह खत्म हो जावेगी। मैं अपने जैन भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि यह कह कर कि आपका ट्रस्ट होगा, उनमें जैनियों को रखा जावेगा, वह एक भुलावा मात्र है। आपके मन्दिरों की जितनी पवित्रता है वह उस दिन नष्टभ्रष्ट हो जावेगी, आपके महात्माओं और मुनियों की जो पवित्रता है वह उसी दिन नष्टभ्रष्ट हो जावेगी जब असिस्टेन्ट कमीशनर उस दिन वहां जावेगा, जूते पहने हुए टोप सिर पर नहीं हाथ में होगी, वह वहां जावेगा, मूर्ति का ध्यान नहीं होगा, वहां जाकर कहेगा, यह चीज इधर लाओ, यह तुमने गलत किया है। वे तो यहां तक करेंगे, अगर किसी मन्दिर में जावेंगे, किसी शिवजी के मन्दिर में जल चढ़ाना तो दूर रहा, हमारी सरकार के कृपा पात्र ईसाई और मुसलमान होते हैं, वो उन्हीं लोगों को वहां भेजेंगे, उनकी देवताओं से क्या श्रद्धा होगी। हमारे लोग जब इन लोगों को इस तरह की कार्यवाही करते देखेंगे तो उनकी भी भगवान में श्रद्धा कम होगी। मैं जैन भाइयों से निवेदन करूंगा कि इस कानून का जो तोड़ कर विरोध करें। और उपाध्यक्षजी, इस सदन में दो तीन सिक्ख भाई भी मौजद हैं, मैं उनसे भी अलग से निवेदन करूंगा कि जब कि यह आखरी समय आया है, यह काला कानून पास होने जा रहा है, हमारी सरकार अपनी ग्रुप-मेजोरिटी से इसको पास कराना चाहती है, अपनी जिद्द पर अड़ी हुई है, इतनी छोटी २ बातों को भी मानने के लिये तैयार नहीं है, इसको दो तीन दिन बाद लाती या १५ तारीख दिसम्बर को लाती तब भी हम मानते, लेकिन वो तो अपनी जिद्द पर अडी हुई है, वह तो इन जैन मन्दिरों में, हिन्दू मन्दिरों में, सिक्खों के गुरुद्वारों में अनाप शनाप धन भरा हुआ है, करोडों रुपये के जेवरात हैं, उन पर किसी प्रकार कब्जा किया जाय। वह चमक है जेवरात की, हीरे के मोतियों के जेवरात की, उन्होंने बाध्य कर दिया है हमारी सरकार को कि वे इस प्रकार की कार्यवाही करें। लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह हमारे धर्म के लिये अच्छा नहीं है। हम यह चाहते हैं कि इस कानून को पास करने से पहले हमारे धर्म के विद्वानों को बुलाया जाय। इस प्रकार का अगर हमको किसी प्रकार का नियन्त्रण करना था तो हिन्दू धार्मिक स्थानों पर तो कोई वैदिक नीति अपनाई गई होती या अगर हमको गीता से कोई बात मिलती, उस आधार पर कानून बनाया गया होता तो कोई बात थी, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन ये बातें हुई, बिहार और बम्बई के अन्दर कुछ अंग्रेज अफसरों की प्रेरणा से हिन्दू मन्दिरों को नष्टभ्रष्ट करने के लिये कानून बने और हमारी सरकार ने वेद और गीता से, जिसको रूस, इंगलेण्ड, फ्रान्स, अमेरीका, ऊंची मानते हैं, हमारी गीता ऐसी पुस्तक है जिसको लोग बहुत उच्च निगाह से देखते हैं, हमारे वेद ऐसे हैं जिनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, उन धार्मिक पुस्तकों से तो कोई बात नहीं ली जाती, इन चीजों की ओर ध्यान नहीं दिया और एक वेस्टर्न प्रणाली के आधार पर, पाश्चात्य देशों की नकल करने के आधार.

[श्री मानसिंह महार]

पर क्यों कि ऐसे कानून पाश्चात्य देशों में हैं, और बम्बई और बिहार में ऐसे कानून पास कर दिये गये हैं, हमें भी पास करना है, यह कोई दलील हुई ? कहा यह गया है कि हमने इस कानून को देख लिया है, दूसरे प्रान्तों में ठीक ढंग से चल रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की धर्मप्राण जनता में जितनी धर्म के अन्दर आस्था है उतनी भारत के और प्रान्तों में नहीं है। राजस्थान के धार्मिक स्थानों में जितनी सम्पत्ति है वह और कहीं नहीं है। राजस्थान वह प्रान्त है जहां नाथद्वारे में बम्बई के बड़े बड़े वैष्णव आते हैं और आकर वहां पर लाखों रुपयों की संपत्ति चढ़ाते हैं। राजस्थान वह प्रान्त है जहां शाहपुरा के रामद्वारे में लोग आते हैं और लाखों की संपत्ति का दान करते हैं। राजस्थान वह प्रान्त है जहां जैनों के बड़े बड़े स्थानों में कई प्रकार का दान वगैरह करते हैं। और अब तो राजस्थान के अन्दर आबू और मिलने जा रहा है। मैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार १ तारीख को इस प्रकार का काला कानून न रखती तो आबू के जैन भाई यह समझते कि राजस्थान सरकार अच्छी है। बम्बई तो हमारे धार्मिक स्थानों पर नियंत्रण कर रही थी, हमारे धार्मिक स्थानों को उभरने नहीं देती है, राजस्थान सरकार ने तो धार्मिक मामलों में छूट दे दी। यह बड़ा अच्छा अवसर था आने वाला को दिखाने के लिये। वही आबू जो इतने दिनों से बम्बई सरकार द्वारा कुचला हुआ था आज हमारे साथ आ रहा है। अगर हम ऐसी बातें नहीं करेंगे तो वे क्या महसूस नहीं करेंगे कि यहां आने में फायदा नहीं हुआ। क्या हुआ ? ए. आई. सी. सी., पी. सी. सी. की मिटिंग वहां कर लेने से या लोगों को वहां जमा कर लेने से आबू को राहत नहीं होने वाली है। मैं यह भी कहता हूं, आज यह कहा जाता है कि एक तरफ आबू है, दूसरी तरफ अजमेर के अन्दर ख्वाजा साहब की दरगाह जैसी चीज आ रही है उसके लिये भी कोई इन्तजाम करना होगा।

(विराम)

कहा जाता है कि अलग एक्ट है। लेकिन हमारी सरकार को इन्तजाम करना जरूरी है। वह तो सेन्ट्रल एक्ट होगा। पुष्कर राज हमारे मातहत आ रहा है। इन धार्मिक स्थानों को अगर बरबाद करना है तो वे लोग आकर कहेंगे कि ऐसे प्रान्त में जाकर फंसे कि जहां कोई उन्नति नहीं मिली। अगर ऐसा कानून न बनता तो वे ऐसा महसूस करते कि राजस्थान वह प्रान्त है कि यहां आये तो आबू में जो मन्दिरों पर पाबन्दियां थी वे खत्म हो गई। अब हम हमारे धार्मिक मामलों पर आस्था के साथ काम कर सकते हैं।

लेकिन इस बात की ओर कौन ध्यान देता है ? महत्व तो यह दिया गया कि आबू के राजस्थान में आते ही पी. सी. सी. की मिटिंग वहां की जाय तो सब कुछ हो गया। मैं कहता हूं दावे के साथ कि आबू के जैन भाइयों का कोई सुधार नहीं होने वाला है। चाहे हमारे मित्र आबू पहाड़ की ओर ललचायी दृष्टि से भले ही देख रहे हों लेकिन उनको तो सैर सपाटा करने के लिये आबू पहाड़ मिल गया इससे वे अपनी इच्छा भले ही पूरी कर लें लेकिन आबू की जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं निवेदन करता हूं कि आज यह बिल पास करते समय आबू का खास ध्यान रखना चाहिये। मैं अब खत्म करनेवाला हूं, उपाध्यक्षजी।

श्री मथुरादास माथुर—नहीं अभी और कहिये ।

श्री मानसिंह महार—सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक के तृतीय वाचन पर बोलते हुए सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यदि आपको अपने आप को हिन्दू, सिख या जैन कहलाने का गौरव है या बौद्ध कहलाने का गौरव है या आर्यसमाजी कहलाने का गौरव है या ब्राह्मण व्यास कहलाने का गौरव है तो धर्म के नाम पर यह कहा जायगा कि आप अपना वोट इस कानून के पक्ष में मत दो। धर्म इसके लिये खुद दुहाई देता है। यहां धर्म के नाम पर, हमारे धर्म पर कलंक लगाया जा रहा है। हिन्दू धर्म के नाम पर हमारे यहां के तीन पंडित जो ट्रेजरी बेन्चेज पर आगे विराजमान हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग ही यदि हिन्दू धर्म की हत्या करेंगे तो कोई शोभा की बात नहीं होगी। एक मंत्रीजी से तो खास निवेदन करूंगा, जो कि धर्म में आस्था रखते हैं और भगवान को भगवान समझते हैं कि जब इस काले कानून पर वोटिंग हो उस समय सदन से बाहर पधार जावें। वे यदि अपने नाम को काले कानून के साथ जोड़ेंगे तो मुझे दुःख होगा। मैं परबतसर से आनेवाले मित्र को बढ़ाई करता हूं, वे जानते थे कि यह काला कानून आज पास होगा इसलिये वे सुबह से ही नहीं आये हैं। वे जानते थे कि हमारी तो वहां कोई मानता नहीं है लेकिन जहां हिन्दू धर्म और जैन धर्म की हत्या होती है वहां योग क्यों दें और उन लोगों का साथ क्यों दें।

श्री हरिराम निनाना—धर्म की हत्या नहीं होती है, उसके साथ न्याय होता है।

श्री मानसिंह महार—मैं ऐसे डिस्टर्बेन्स को तो कुछ समझता ही नहीं हूं। तो मैं यह मानता हूं कि सदन में जो ऐसे सदस्य हैं जिनकी धर्म पर कोई आस्था नहीं है....

श्री हरिराम निनाना—जरूर है। हम धर्म जानते हैं और असली धर्म जानते हैं। आप नकल से कह रहे हैं।

श्री मानसिंह महार—मालूम है, मुझे आपके असली धर्म के बारे में। आप ईसाई मिसनरियों से जूएं निकलवाते हैं, आपके धर्म को बढ़ाई नहीं करता। आपका धर्म वह है जिसके कारण पहले सवर्ण हिन्दू आपके हाथ का नहीं खाते थे। मैं उनसे कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं धार्मिक पंडितों से और जैन और सिख भाईयों से कह रहा हूं कि इस धर्म विरोधी काले कानून को पास करते समय वे इसके पक्ष में अपना वोट न दें और एक तरफ चले जावें। मैं मानता हूं कि उनको मजबूर किया जायगा लेकिन वे ऊपर या इधर उधर चले जावेंगे तो अच्छा होगा। मैं जैन भाइयों की तारीफ करता हूं। प्रमुख जैन भाई जो धर्म में आस्था रखते हैं आज यहां मौजूद नहीं हैं। एक तो जयपुर से आये हुए सदस्य हैं जो आज गायब हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—वे यहां ही हैं और इसके पक्ष में वोट देंगे।

श्री भैरूंसिंह—वे पक्ष में वोट नहीं देंगे।

श्री मानसिंह महार—राजस्व मंत्रीजी गवर्नमेन्ट में बैठकर इस कानून को पास करते हैं, यह ठीक है लेकिन ब्राह्मण और वैश्य का कर्त्तव्य होता है कि वह अपने धर्म की रक्षा करे। यदि

[श्री मानसिंह महार]

ऐसा नहीं करेंगे तो अपने माता पिता को क्या मुंह दिखायेंगे ? मैं तो कानून की तरफ वोट देकर घर जाऊंगा तो मेरी माताजी, मुझे घर में नहीं घुसने देंगी। इसी तरह की हालत दूसरी लोगों की भी हो सकती है। राजस्व मंत्रीजी भी बड़े विचार में हैं, उनको भी इसका दुख: है, लेकिन वे मजबूरी के रूप में वोट देदें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमारे गृह मंत्रीजी इससे बच जांय तो अच्छा होगा, नहीं तो ब्रह्मपुरी और गंगापोल चौकडी में धार्मिक लोग बहुत हैं इसलिये आयन्दा मुश्किल हो जायगी। ये चन्द शब्द कह कर प्रार्थना करूंगा कि धर्म के मामले में धर्म की हत्या न करें और वोटिंग के समय कहीं इधर उधर चले जावें तो अच्छा रहेगा। हम यह चाहेंगे कि इसका वोटिंग लोबी में हो और नाम रेकार्ड किये जावें ताकि मालूम हो सके कि कौन धर्म में आस्था रखता है और नहीं रखता है। मैं सब मित्रों से निवेदन करूंगा कि इस कानून का विरोध करें और इस काले कानून को फेंकें।

रावत श्री शम्भुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक का तृतीय वाचन हो रहा है। मैं इसका विरोध करने के लिये खडा हुआ हूं। इस सदन के सम्मुख आज तक जितने भी विधेयक प्रस्तुत हुए हैं और पास होकर अधिनियम में परिवर्तित हुए हैं उनमें से, मैं समझता हूं, इससे बढ़कर धर्म पर आघात करनेवाला और कोई कानून पास नहीं हुआ है। यदि मैं दूसरे शब्दों में इसको काला कानून कहूं तो अनुचित नहीं होगा। मन्दिरों के सद्प्रबन्ध का जहां तक ताल्लुक है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसी प्रन्यास के सम्बन्ध में कोई शिकायत हो कि मिसएप्रोप्रिएशन या ब्रिच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है तथा किसी स्थान के वास्ते कोई शिकायत हो तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स आदि के द्वारा प्रबन्ध किया जा सकता है और बहुत से स्थान तो ऑलरेडी देवस्थान विभाग के पास हैं, तो मैं समझता हूं इस प्रकार का सार्वजनीन प्रन्यास कानून बना कर इन निजी स्थानों और निजी मन्दिरों को प्रन्यास के रूप में लाकर दखल करने की कोशिश की जा रही है यह बहुत ही अनुचित है।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसमें जो ट्रस्ट की व्याख्या आई है वह बिल्कुल अपूर्ण है। पब्लिक ट्रस्ट के वास्ते लिखा है पब्लिक ट्रस्ट से तात्पर्य सार्वजनीन धार्मिक प्रयोजन या पुण्यात्मक प्रयोजन या दोनों के हेतु किसी व्यक्त या प्रलक्षित प्रन्यास से है······

श्री उपाध्यक्ष—जनरल बातें कहें।

श्री शम्भुसिंह—इस वास्ते मैं कहता हूं कि यह विधान की दृष्टि से भी अपूर्ण कानून है। ट्रस्ट की प्रोपर्टी एन्ट्रस्ट की जावे लेकिन जिसकी स्वयं की प्रोपर्टी है उसको ट्रस्ट कैसे कहेंगे ? खास कर मन्दिरों के वास्ते ऐतराज करता हूं। मन्दिर बहुत से ऐसे हैं जो पर्सनल प्रोपर्टी हैं और उनके देवता डिटीज हैं और वे मन्दिर उन डिटीज की प्रोपर्टी मानी जाती हैं और ऐसे डिटीज कानून की दृष्टि से ज्यूरिस्डिक्शन में शामिल होते हैं और जो डिटीज हैं उन पर वाद आता है और डिटीज की तरफ से वाद लाया जा सकता है तो यह एक प्रकार की पर्सनल प्रोपर्टी हुई। पर्सनल प्रोपर्टी में कैसे हस्तक्षेप किया जाता है, यह समझ में नहीं आता ? यह कानून पास हुआ तो यह कोर्ट में चेलेन्ज होगा और यह टिक नहीं सकता। ज्यूरिस्डिक्शनल परसन्स को कैसे ट्रस्ट मान सकते हैं ? यह पर्सनल प्रोपर्टी

[रावत श्री शम्भूसिंह]

है जिसको विधान से संरक्षण मिला है। उसमें यदि हस्तक्षेप हो और धर्म के मामलों पर कुठाराघात हो तो, माननीय उपाध्यक्षजी मैं यह कहता हूं कि इसमें जो ट्रस्ट वाक्य है वह गलत है, हम उन्हें ट्रस्ट नहीं कह सकते। निजी संपत्ति को ट्रस्ट के रूप में कैसे लाना चाहते हैं? कई स्थानों पर मन्दिरों और मठों को भी घुसेड दिया है। मठ पर्सनल प्रोपर्टी में होते हैं।

श्री जगतसिंह झाला--माननीय उपाध्यक्ष, सदन में कोरम नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर—कोरम है।

श्री जगतसिंह झाला—कोरम कैसे है? १३ आदमी बैठे हैं, गिन लिये जावें। बिना कोरम कैसे पास कराया जा रहा है?

श्री मथुरादास माथुर--१६ सदस्य बैठे हैं, गिन लीजिये। आपकी गिनती में कुछ फर्क है।

रावत श्री शम्भूसिंह—सबसे बडा ऐतराज इस कानून के सम्बन्ध में मुझे यह है कि यह प्रन्यासों के वास्ते ही कानून बनाते जो कि वास्तव में प्रन्यास हैं, ट्रस्ट हैं पर जो निजी सम्पत्ति है उनको ट्रस्ट कैसे बनाया जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। तो जबरदस्ती मठों और मन्दिरों को भी इसमें लाया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रोपर्टी को दान में दे देता है तो फिर दान लेने वाले की प्रोपर्टी हो जाती है, उसे प्रन्यास या ट्रस्ट नहीं कहा जा सकता, उस प्रोपर्टी का वह दान लेने वाला व्यक्ति चाहे जैसे उपयोग करने को स्वतन्त्र है। किसी स्थान को दान में देने के बाद, गिव ओफ करने के बाद में ट्रस्ट कैसे कहा जा सकता है? मुझे तो आश्चर्य होता है कि हमारे राजस्थान में बडे बडे कानून के जानने वाले व्यक्ति हैं और राजस्व मन्त्रीजी स्वयं एक बहुत बडे वकील हैं उन्होंने इस कानून को सदन में कैसे पेश किया?

इसके अलावा यह कानून भेद-भाव मूलक कानून है। हमारा राज्य सेक्युलर स्टेट कहा जाता है, इसमें सभी के लिये समान रूप से कानून पेश करने चाहिये पर इसको हिन्दुओं के लिये रख कर भेद-भाव मूलक बना दिया गया है। यदि इस कानून से किसी को इन्जरी पहुंचती है....

(श्री जवानसिंह, सभापति, पदासीन)

और वह व्यक्ति या समाज अगर कोर्ट में जावे और कोर्ट ने इस कानून को भेदभाव मूलक देखा तो यह कानून कैसे ठहर सकेगा? इसके साथ ही यह कानून राजस्थान की बहु संख्यक धर्मपरायण जनसंख्या की जनता की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचने वाला कानून है। कोई भी कानून इसलिये बनाया जाता है कि यहां के नागरिकों का हित हो, न कि कानून इसलिये बनाया जाता है कि यहां के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को इस प्रकार के कानून के सामने बलिदान कर दिया जावे। राजस्थान की जनता की धार्मिक भावनाएं है उनकी कद्र नहीं करते हुए, उनका आदर नहीं करते हुए राजस्थान सरकार ने इस प्रकार का कानून पेश किया और अन्तिम रूप से उसे पास करने को उद्यत् है, यह राजस्थान की धार्मिक जनता पर कुठाराघात है। आज बहुमत के आधार पर यहां कोई भी

[रावत श्री शम्भूसिंह]

कानून पास करवाया जा सकता है पर इसके पेश करने में जो उत्तेजना फैली हुई है वह इसके पास कराने में बढ़ी तो सरकार को विदित हो जायगा कि इस प्रकार के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने से क्या परिणाम हो सकता है। आज राजस्थान में जगह जगह इस कानून के कारण असंतोष फैला हुआ है सरकार को चाहिये कि इस असंतोष को बढ़ने न देवें।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि यद्यपि हमने इस कानून पर कन्सीडरेशन कर लिया है तो भी कोई जल्दबाजी नहीं है, इसके तृतीय वाचन को रोक देवें और इस कानून को उस समय तक पास न करें जब तक कि हमें भली भांति विदित हो जाय कि जिस काम को हम करने जा रहे हैं उसके जरिये कोई बड़ा अनर्थ तो नहीं कर रहे हैं, जो यहां की धर्म परायण बहुसंख्यक जनता की भावनाओं को दुख और कष्ट पहुंचाता हो।

तो मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके तृतीय वाचन को स्थगित कर देवें और आशा है कि हम लोग निकट भविष्य में ही फिर मिलने वाले हैं, उस समय इस बिल पर विचार किया जा सकेगा।

श्री जगतसिंह झाला--माननीय चेअरमेन महोदय, राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५६ के तृतीय वाचन के विरोध में बोलते हुए मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस धारा सभा के बनने के बाद में यह पहला कानून है जो राजस्थान की बहुसंख्यक जनता की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला कानून है, यह एक दुख का विषय है, साथ ही यह उस वक्त पास कराया जा रहा है जब कि इस धारा सभा के ५ साल समाप्त होते हैं आज के दिन. यह और भी अधिक दुख का विषय है। यह कानून केवल हिन्दुओं पर लागू किया गया है। यह कानून केवल हिन्दुओं पर लागू किया गया है जिसको देखने से प्रतीत होता है कि राजस्थान सरकार और खास तौर से भारत सरकार की नीति के विरुद्ध है। भारत सरकार अपने आपको सिक्यूलर स्टेट कहती है, एक जाति के लिये कानून बनाना सेक्युलर स्टेट के प्रिन्सिपल्स के और हमारे कॉन्स्टीट्यूशन के उसूलों के कतई विपरीत है।

इस बिल में 'हिन्दू' शब्द रखा गया है, हमने इसका बहुत विरोध किया है कि यहां 'हिन्दू' शब्द नहीं रहना चाहिये, सब के लिये समान रूप से यह कानून लागू होना चाहिये। वक्फ एक्ट को मुलाहिजा फरमायेंगे तो उसमें धर्म पर कुठाराघात नहीं किया गया है, बहुत आजादी रखी है पर इस कानून में हमारे धर्म के ऊपर बहुत कुठाराघात किया गया है। इसमें ईसाइयों और पारसियों को भी नहीं रखा गया है, हमने बहुत कहा कि उनको भी रखना चाहिये, ईसाई हमारे यहां धर्म परिवर्तन करते हैं तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये, पर केवल उन लोगों के वोट लेने के लिये उनके साथ यह रियायत की गई है; मुसलमानों को भी अलग इसी लिये रखा है, केवल हिन्दुओं पर आपका रोष है वह आप इस तरह प्रकट करते हैं।

क्लॉज १५ ए को और कलुषित बनाया गया है कि जब सरकार चाहेगी तब लागू करेगी, इसके कई नतीजे हो सकते हैं, जैसे जमवा-रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि आप उन लोगों

Page No.83

[श्री जगतसिंह झाला]

पर दबाव डालेंगे कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो हम आपके धर्मादे पर भी यह कानून लागू करते हैं और आप के प्रन्यास को, धर्मादे को, हम अपने नियन्त्रण में लेते हैं। तो इस प्रकार धर्मादे को राजनीति में घसीट कर लाना यह धार्मिक स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप नहीं तो और क्या है ? ट्रस्ट तो आपके बने हुए हैं पर कार्यवाही कौन करता है नियमों के माफिक। डूंगरपुर में, ऋषभदेवजी के मन्दिर में ट्रस्ट होते हुए भी कैसे मन्दिर को खोला है और ट्रस्टियों को बिना शरीक किये हुए मन्दिर में प्रोपर्टी को देखने के लिये उच्चाधिकारी जाते हैं तो यह निस्सन्देह शर्म की बात है, इस तरह की घटना हुई उसमें कितना ही सोना चोरी गया है, कलश आदि ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को आपत्ति हो रही है कि देखा जाय। आपका राजनैतिक उद्देश्य है इसीलिये आप अपने आदमियों को रखते हैं, कोटा के मोती लालजी को, धारीवालजी को रखा है उसका मकसद भी आपका यह है कि हजारों की प्रोपर्टी जो मन्दिरों की है वह ले ली जाय।

मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि धर्म को और धर्मादे को राजनीति में घसीट कर आप यह कानून बनाना चाहते हैं इसलिये इसका विरोध करना पड रहा है।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि अभी आपने यह बताया कि दो तीन क्लॉजेज इसमें ऐसी रखेंगे जो किसी तरह से मन्दिरों पर आक्षेप नहीं पहुंचाएगी। लेकिन आपने धाराओं को नहीं बदला। आपने कमिश्नरों को जाने की आज्ञा दी है मगर आपने उसमें यह नहीं बताया कि किस तरह के कपडे पहिनेंगे जिस समय वे मन्दिरों में जावेंगे और किस तरह की छान-बीन करेंगे। कमिश्नर कोई भी जाति का हो सकता है, वह मुसलमान हो सकता है, ईसाई हो सकता है। आपने इसमें कोई भी बात नहीं रखी कि हिन्दुओं के मन्दिरों में जाने के लिये केवल हिन्दू को ही इस प्रकार का अधिकार होगा कि वह हिन्दुओं के मन्दिर में प्रवेश करे। जब मन्दिरों में दूसरी जाति का व्यक्ति जावेगा तो उसका नतीजा यह होगा कि जो पूजा होती है, वह बन्द हो जावेगी और फिर आपका मतलब यह होगा कि सब मूर्तियें एक जगह रख दी जावें और मन्दिरों का हजारों की संख्या में जो रुपया है उसको लेकर आप अपने काम में लेवें। यही आपका मकसद है और इसी को लेकर आपने यहां पर इस कानून को रखा है। हमने इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजने के लिये प्रस्ताव रखा था मगर माननीय मन्त्री महोदय ने इसको नहीं माना। यदि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये रख देते तो लोग कहते कि आपने उचित कार्य किया। मैं यह कहूंगा कि यह काला कानून है। मैं इस पर आपका विशेष समय न लेते हुए यही कहूंगा कि मुझे इसका घोर विरोध है और यह कानून राजस्थान की पब्लिक के हित में नहीं है इसलिये इसको पारित नहीं किया जावे।

श्री सरदारसिंह—माननीय चेअरमैन, हिन्दू ट्रस्ट बिल जो आज पास हो रहा है उसके बारे में मैं भी निवेदन करना चाहता हूं। यह हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास बिल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से आये हुए माननीय मन्त्री महोदय श्री दामोदरलालजी व्यास द्वारा सदन में प्रस्तुत होकर, जो उन्हीं का बनाया हुआ है, यह पास हो रहा है इसके लिये मुझे बडा भारी खेद है। क्योंकि इसमें कोई हित तो नहीं होने जा रहा है और इसके अलावा समय भी ऐसा आ रहा है, पांच साल की अवधि समाप्त हो रही है और जब उस क्षेत्र में भी हम लोग जावेंगे तो उधर से लोगबाग कहेंगे कि आप ने अच्छा काला कानून बनाया, बडे पूजनीय वेद व्यासजी हैं, आपके जरिये यह काला कानून पास हो रहा है

[श्री सरदारसिंह]

इसलिये मुझे बडा भारी खेद है। मैं यह नहीं चाहता कि राज्य के अधीन जो बडे बडे मन्दिर हैं उनका जो पैसा रुपया है वैसे ही खराब लोग बरबाद किया करें। इसका इन्तजाम जरूर होना चाहिये। लेकिन मैं यह कहूंगा कि इसके लिये सरकार के पास और भी बहुत से साधन मौजूद हैं। सरकार के पास तहसीलदार हैं, एस. डी. ओ. हैं और वे इसका इन्तजाम कर सकते हैं। समझ में नहीं आता कि फिर इस प्रकार के कानून की क्या आवश्यकता है ? इसलिये इस काले कानून को पास करने से लोगों को क्या क्या तकलीफ होगी उसके लिये मैं अर्ज करना चाहता हूं। मैं यह निवेदन करूंगा कि इससे भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ जावेगा और वह किस तरह से बढ़ जावेगा उसको मैं एक मिसाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। हाल ही में १॥ महीने की बात है, हमारे यहां से ३ मील के फासले पर एक गांव है वहां पर दो शख्स जाते हैं और कहते हैं कि हम धर्मार्थ डिपार्टमेन्ट के आदमी हैं। मन्दिर के पुजारी से कहते हैं कि आपके मन्दिर का सामान बताओ। पुजारी ने कहा कि मेरे मन्दिर में क्या सामान है, यहां पर तो लोग आकर ठाकुरजी का चर्णामृत ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि जेवर क्या रहे और आमदनी क्या होती है वह बताओ। उसने फूटी ढोलकी और फटी झालर लाकर उनके सामने रखदी और कहा कि मेरे पास तो यह सामान है। इतने में वहां के गांव के आदमी इकट्ठे हो गये और उनको कहा कि तुम कौन हो ? क्या तुम्हारे पास कुछ लिखा हुआ है ? उन्होंने कहा कि हम धर्मार्थ डिपार्टमेन्ट के आदमी हैं। उसमें से एक आदमी ने कहा कि हम १० रुपये लेंगे। अगर नहीं दोगे तो हम केस बना कर चालान करेंगे . . . .

श्री दामोदरलाल व्यास—ये कौन से आदमी थे ? आपके डिस्ट्रिक्ट में धर्मार्थ विभाग का नामोनिशान नहीं है, फिर ये आदमी कहां से आगये ?

श्री सरदारसिंह—उनके नाम का तो पता नहीं। मगर यह सही है कि आज कई आदमी धर्मार्थ विभाग के बन कर रुपया ले जाते हैं। अगर इस प्रकार का जब कानून बन जावेगा तो इस कानून की आड में लोग शिकार खेलेंगे। इसलिये मेरा यह विचार है कि कानून नहीं बनाया जावे; इस कानून के अलावा भी कई साधन सरकार के पास हैं। बेचारे कई लोगों के पास ऐसे मन्दिर हैं कि जिनको राज से कोई सहायता नहीं मिलती है वे लोग मांग-मांग कर लाकर अपने मन्दिर का खर्च चलाते हैं। आप आबू के मन्दिर को देख लीजिये। वहां एक बाबा है रामानन्दी बिल्कुल फक्कड साधू है। वह किसी से मांगता नहीं। जो कोई वहां पर अपनी मर्जी से श्री रघुनाथजी पर चढ़ा कर जाता है उसी से वह अपना सारा इन्तजाम करता है, और बहुत से आदमी खाना भी खाते हैं। जब ऐसा कानून जारी हो जावेगा तो उसको भी मैनेजर रखना होगा और हिसाब-किताब रखना होगा। बडी दिक्कत होजावेगी बल्कि कोई भी भेंट नहीं चढ़ावेगा, वे लोग आज तक इस कानून की मुखालफत करते रहे हैं और बम्बई सरकार से लडते रहे और जब उनको यह मालूम हुआ कि यह राजस्थान में आबू मिल जाएगा तो उनको बडी खुशी हुई कि वे इससे मुक्त रहेंगे और चीफ व्हिप साहिब भी जानते हैं। उनसे कह रहे थे कि हम राजस्थान में मिलने वाले हैं हमको बम्बई में बहुत तकलीफ थी। हम यहां राजस्थान में सुख पूर्वक रहेंगे। धर्म पर आघात होगा आप भी वहां पर जावेंगे, वहां पर पी. सी. सी. की मीटिंग हो रही है और वे आपसे कहेंगे तो आप इस काले कानून का क्या जवाब देंगे ?

[श्री सरदारसिंह]

इसलिये मैं यही कहना चाहता हूं कि यह काला कानून है और इसका घोर विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि यह बिल्कुल पास नहीं किया जाना चाहिये। दूसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से मन्दिर हैं उनकी भोग-पूजा के लिये जो रुपया सरकार से मिलता था वह बन्द हो गया है। मन्दिरों में भेंटें भी नहीं आती हैं इसलिये उन मन्दिर की सेवा पूजा तो दरकिनार मरम्मत नहीं हो रही है। जहां मन्दिरों में लोग धर्मादे के नाम से देते थे वह भी कहते हैं कि सरकार के नियन्त्रण में मन्दिर आजावेंगे तो लोग पैसे नहीं देंगे तो फिर उन मन्दिरों की क्या दशा होगी ? क्या सरकार की यह नीति है कि मन्दिरों को खत्म कर दिया जावे ? अगर मन्दिरों को रखना है तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि मन्दिरों की सेवा पूजा होती रहे, कानून के जरिये से कतई नहीं की जावे। इसलिये मैं यह नम्र निवेदन करूंगा और माननीय मुख्य मन्त्रीजी से भी यह अर्ज करूंगा कि आप जैसा मुख्य मन्त्री अभी तक देखा नहीं। आप १९४८ से और जब से पोपुलर गवर्नमेन्ट थी बराबर माननीय मन्त्री रहे हैं। और ऐसा कोई भी व्यक्ति आप नहीं बता सकते जो पोपुलर गवर्नमेन्ट बनी तब से आज तक बराबर मन्त्री रहे हों ऐसे तो आप योग्य आदमी हैं, आपके वक्त में यह काला कानून नहीं होना चाहिये और यह अर्ज करूंगा कि अब तो वृहद राजस्थान बनने वाला है अजमेर और आबू भी इसमें मिलजावेंगे अब तो आप बडे मुख्य मन्त्री रहेंगे, आपकी जुबली होने का समय है। इस खुशी में यही अर्ज करूंगा कि इस बिल को पास नहीं करें।

श्री भैरूंसिंह—माननीय सभापति, इस बिल का विरोध. . . .

(घंटी)

श्री सभापति—मैं यह जानना चाहूंगा कि जितने सदस्य इस वाद-विवाद म भाग लेना चाहते हैं, वे कृपया खडे हो जावें।

(कुछ सदस्यों के खडे होने के पश्चात्)

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ)—माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि सत्तारूढ दल के श्री मुखियाजी भी अपना भाषण देंगे। मैं यह कई देर से देख रहा हूं कि इस बिल के सम्बन्ध में जितनी रुचि हमारे राजस्व मन्त्रीजी ने नहीं बताई उससे भी कहीं अधिक रुचि इसमें शायद मुखियाजी की है, इसका कारण यह है कि मुखियाजी पीछे से थोडा इशारा करके कुछ न कुछ उन्हें कहते आ रहे थे। उनके दिमाग में किसी भी समय कोई ठीक बात आयी नहीं कि उनको पीछे से इशारा मिलता और राजस्व मन्त्री बदल जाते, उन्हीं के इशारे के बाद राजस्व मन्त्री बदल गये उसके बाद से इन्होंने एक रवैया बना लिया है कि जिस प्रकार का कानून है उसी प्रकार से इसे पास किया जाय। उस समय जिस समय कि इस बिल पर सदन में चर्चा हुई माननीय राजस्व मन्त्री से हमें इस बात का आश्वासन मिला था सरकार की इस प्रकार की नीति नहीं कि जिसके कारण धार्मिक मामलों में धार्मिक प्रन्यासों पर सरकार का ज्यादा से ज्यादा हस्तक्षेप हो। लेकिन सरकार केवल इतना ही चाहती है कि उनकी व्यवस्था ठीक प्रकार से हो। आज जिस व्यवस्था का अधिकार धार्मिक प्रन्यासों को है वह सन्तोषजनक व्यवस्था सरकार के दृष्टिकोण से नहीं समझी गई। इसी के कारण सरकार यह समझती है कि उन सारे प्रन्यासों के नियमन की व्यवस्था की जाय। लेकिन जब इस प्रकार का आश्वासन

[श्री भैरूसिंह]

मिला कि जितनी भी धारायें पारित की जायगी उन सब धाराओं के अन्दर सरकारी की नीति इस प्रकार समावेश करने की है उसी नीति के आधार पर बाकी की धाराओं का निर्माण उसी प्रकार होता रहेगा। लेकिन आज हम सारी धाराओं को पास करके जब हम इस बिल का तृतीय वाचन कर रहे हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार का विश्वास राजस्व मन्त्री ने शुरूआत में दिलाया था वह किसी भी अंश में पूरा नहीं हुआ। लेकिन विश्वास के साथ जो सदन से बिल पास कराने की बात कही वह विश्वास के आधार पर नहीं बल्कि सरकार अपने बहुमत के आधार पर उसे पास करने की चेष्टा कर रही है। मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं कि इन प्रन्यासों के नियमन करने के सम्बन्ध में एक दृष्टिकोण आज अपनाया जा रहा है। मैं यह समझता हूं कि अगर इस कानून के बनने के बाद धार्मिक और सार्वजनिक प्रन्यासों को आज जो संख्या है अगर इस कानून के लागू होने के बाद अगर प्रन्यासों की संख्या बढ़ती है तो हम यह मान सकते हैं कि कानून का सदुपयोग हुआ है। जहां आज बड़े धार्मिक प्रन्यास हैं उनका प्रश्न आता है आज इस युग के अन्दर जो धर्म को समझते नहीं हैं जिनको पता नहीं धर्म क्या है, उसका ज्ञान नहीं रखते। सभापति महोदय, आज ही हमें अखबार में देखने को मिला कि शिक्षा सम्मेलन में जो भाषण हुए उनमें ऐसे ऐसे व्यक्ति भी आये हैं जो यह मानते हैं कि इस युग के अन्दर धर्म की आवश्यकता नहीं, आज ही हमने अखबारों में देखा इसी सम्मेलन के दौरान में शिक्षा गोष्ठी में भाषण देते हुए आचार्य काका कालेलकर ने कहा कि आज के युग के अन्दर जो धर्म की शिक्षा के लिये कहते हैं वह शिक्षा आज के युग के अनुकूल नहीं है। महज इस प्रकार का वातावरण ही आज इस सारे सदन में दृष्टिगोचर हो रहा है, यह जो आजकल का वातावरण बनता जा रहा है इन चीजों का नियमन इस बात के लिये आवश्यक है धार्मिक ट्रस्टों का नियन्त्रण सरकार के अधिकार में आजाय। यह तो हरकतें जो धर्म विरोधी सरकार है वही कर सकती है और उसी प्रकार की हरकत आज हमारे राजस्व मन्त्री करने जा रहे हैं इस बिल को पारित करवा कर। उनका कहना है कि हम राजस्थान में जो हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास हैं उनमें जो धन का दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने के लिये हम यह कानून बना रहे हैं। मेरा यह मानना है कि यह कानून किसी भी रूप में आवश्यक नहीं। जिस संविधान में धर्म के बारे में हम लोगों को छूट दे रखी है, हम अपने धर्म के प्रचार के लिये जो भी सुविधा हमें संविधान द्वारा मिली है उस संविधान के आधार को एक व्यवस्था के नाम पर सरकार इस बिल द्वारा धार्मिक मामलों में कुठाराघात करने की चेष्टा कर रही है। संविधान की धारा २५ के अन्तर्गत जो हमें धर्म स्वतन्त्रता का अधिकार मिल रहा है उस मूलभूत अधिकार पर, जिसमें हमें यह पूर्ण स्वतन्त्रता मिल रही है कि हम चाहे जिस धर्म को स्वीकार करें, हम जिसके द्वारा चाहते हैं नैतिकता के वातावरण में हम अपने धर्म का पालन कर सके आज हमारी सरकार धार्मिक ट्रस्टों में दुरुपयोग के नाम पर उसकी आड में सारे धार्मिक दृष्टिकोण को छोड कर इस कानून की आड में उन ट्रस्टों पर सरकार अपना कब्जा जमाना चाहती है।

सभापति महोदय, इस बिल में मैंने जो संशोधन रखे और उनको प्रस्तुत करते हुए मैंने जो कुछ कहा उस पर माननीय राजस्व मन्त्री ने भी उत्तर दिया लेकिन जिस ध्येय को सामने रखकर यह बिल बनाया जा रहा है हम यह कैसे मान लें कि राजस्थान में जितने भी सार्वजनीन प्रन्यास हैं उनमें अव्यवस्था है? आप हमें कम्पेरिजन कर बताइये, हमारे सामने आंकड़े रखिये कि इन इन धार्मिक प्रन्यासों में

[श्री भैरूंसिंह]

सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिये सरकार उन पर निगरानी रखना चाहती है। लेकिन हमें एक भी दृष्टान्त ऐसा नहीं दिया गया जिसमें यह कहा गया हो कि इस जगह दुरुपयोग हो रहा है, केवल यह कह देना कि दुरुपयोग को रोकने के लिये हम कानून बना रहे हैं, इससे काम नहीं चल सकता। इसके लिये हमें कम्पेरिटिव आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे जिससे लोगों को यह विश्वास होजाय कि हां वास्तव में इन इन जगह दुरुपयोग हो रहा है और सरकार के हाथ में जाने से सुव्यवस्था होगी। अगर अच्छी व्यवस्था करने के लिये ऐसी हालत में अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसको जनता सहर्ष स्वीकार करने के लिये तैयार है। किन्तु जहां कोई कम्पेरिजन नहीं, जहां यह भी आंकड़े नहीं कि इन इन जगह दुरुपयोग हो रहा है इसलिये हमें यह कानून बनाने की आवश्यकता है केवल आशंका है इसी पर कानून बना कर लागू कर देना एक प्रकार से धर्म के ऊपर अनुचित आक्षेप कर धर्म के कार्य जो लोग वालिन्टियरली कर रहे हैं उन व्यक्तियों को निरुत्साहित करना, आपके सामने उनकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं, सरकार ने इस कानून के मुकाबले जिनको तुच्छ समझ रखा है उनकी भावनाओं को एप्रीशियेट करना तो दूर रहा उल्टो उनकी निस्वार्थ सेवा को कलंकित करके सब अधिकार सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार की शक्ति नहीं तो हमें कमसे कम विनोबा भावे के शब्दों में जो आज गांव गांव पैदल चल कर मनुष्य मात्र की सेवा कर रहे हैं, मनुष्य को बता रहे हैं कि उनके क्या कर्तव्य हैं कम से कम उनके व्याख्यानों से तो हमें नसीहत लेनी चाहिये। अगर हम यह सोचें आज जो हम कानून बना रहे हैं उससे लोगों की धार्मिक भावनाओं पर क्या असर पड़ेगा; क्या लोग कभी इस बात को पसन्द करेंगे कि सरकार उनके धार्मिक ट्रस्ट की ट्रस्टी हो और क्या लोग ट्रस्ट की आमदनी बढ़ाने के लिये सरकार के हाथ में आजाने पर उसमें डोनेट करते रहेंगे ? सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डोनेट करने वाला व्यक्ति कम से कम यह इच्छा जाहिर करेगा कि जो रकम वह दे रहा है उस रकम को खर्च करने में उसके आदेश का पालन किया जाय या जिस कार्य के लिये उसने वह ट्रस्ट बनाया उसी कार्य के लिये उसका प्रयोग करें। लेकिन आपने इस बिल की एक धारा में विलय की बात लगाकर उस भावना को बिल्कुल समाप्त कर दिया, आपको डोनेट करने वाले की इज्जत का ख्याल नहीं, उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं, उसका किसी प्रकार का एप्रीसियेशन नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस कानून के लागू होने के बाद कोई भी ट्रस्ट बनने वाला नहीं। इस कानून के लागू होने के एक साल के बाद में या दो साल बाद में अगर कमीशन बैठाया जायगा और उसको इस बात की जांच सौंपी जाय कि इस कानून के लागू होने के बाद क्या प्रन्यासों की संख्या बढ़ी है या घटी है। मैं यह बताना चाहता हूं, सभापति महोदय, अगर सोसाइटी के इन अधिकारों पर अगर सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं सरकार अपने कार्य में कभी भी सफल नहीं होगी। अगर सरकार इस बात की गारन्टी दे कि अगर कमीशन की रिपोर्ट उसके फेवर में न हो तो वे इस बिल को वापिस ले लेंगे तो मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम इस बात के लिये सहमत होजायेंगे कि कमीशन बैठाकर जांच करली जाय। मैं राजस्व मन्त्री से विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि आप इस कानून को जनता में इसके प्रति विश्वास पैदा कर पास करिये न कि अपने बहुमत के बल पर, तभी इस कानून के प्रति लोगों में विश्वास पैदा होगा और सही मायने में इसमें कार्य हो सकेगा। आज सरकार का यह कहना है कि वह तो दुरुपयोग को रोकने के लिये इस प्रकार

[श्री भैरूंसिंह]

के कानून बना रही है जो सरकार यह कहती है वह दुरुपयोग को रोकना चाहती है मैं उनसे निवेदन करूंगा अगर आप विधान सभा के प्रश्नोतर काल में जिस समय प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर दिये जाते हैं उसी पर आप यदि गौर फरमावेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकार के हाथ में जो आज तक धन है, वह भी सुरक्षित नहीं, तो जनता यह कैसे विश्वास करेगी कि धार्मिक प्रन्यासों का पैसा उनके हाथ में सुरक्षित रहेगा ?

कभी आता है तकावी देने का प्रश्न, कभी आता है एग्रीकल्चर के लिये रुपये देने का प्रश्न (घंटी) मैं नाम नहीं ले रहा हूं पर बता रहा हूं कि इन कारणों से ऐसा निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि सरकार के पास आज जो धन है वह भी किसी रूप में सुरक्षित नहीं, तो यह बाकी का धन किस प्रकार सुरक्षित रहेगा ? इसलिये चाहूंगा सभापति महोदय, मैं, कि इन्हें इसकी कभी स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए, इसके पीछे सरकार के अब तक के पांच साल के कारनामों का अनुभव है। और यह तो एक राजस्थान का सामान्य रूप था, अब तो आगे चल कर बहुत वृहद् रूप होगा अजमेर मिल रहा है वह मिलेगा और तब भी अगर राजस्थान के लोगों की धार्मिक भावनाओं को खत्म करने वाले प्रस्ताव पेश करेंगे तो आप अपने वोटरों के प्रति भी विश्वास घात करेंगे। मैं अपने सदन के साथियों से भी कहूंगा कि वे अपने कर्त्तव्य को पहिचानें। वे इस धोखे में न आवें कि ये धारायें और यह कानून बनाकर प्रन्यासों की कोई व्यवस्था कर दी गई है, यह किसी एक वर्ग पर लागू नहीं होगा या वर्गीकरण के आधार पर लागू होगा। यह वर्गीकरण का धोखा केवल उस समय तक लागू हो सकता है जब तक कि आम चुनाव न हो जावें। जितने भी मतावलम्बी हैं वे आज सरकार पर दबाव डाल रहे हैं उनको चुनाव तक खुश रखने के लिये यह एक धोखा खडा किया गया है। उनको धोखा देने को यही बात है कि वर्गीकरण की धारा इसलिये रक्खीगई है कि इसे सब पर लागू नहीं कर रहे हैं और तुरन्त लागू नहीं कर रहे हैं। और मैं भी मानता हूं वे लागू नहीं करेंगे और इसलिये नहीं करेंगे चूंकि उनको चुनाव में लोगों से वोट लेने हैं। पर आगे चलकर वे मनमानी करनेवाले हैं यह निश्चित है और इस वर्गीकरण की सत्ता का जो उन्होंने अपने हाथों में ली है भंयकर दुरुपयोग करने वाले हैं। इसलिये वोटों की दृष्टि से आगे की कल्पना की जाती है तो यह नैतिकता की दृष्टि से भी एक घोर अपराध है। मैं माननीय मन्त्रीजी से अपील करूंगा कि वे अपने मुखियाजी (श्री मथुरादास माथुर, चीफ व्हिप) की राय न लें। अगर उन्होंने उनकी राय ले ली तो जिस प्रकार के मुखिया जी के काम हैं और जिन कामों की वजह से जिस प्रकार की स्थिति में वे हो गये हैं, उसी स्थिति में आपको भी लाकर छोडेंगे।

इन शब्दों के साथ मन्त्री महोदय से अपील करते हुए और सदन के अन्य सदस्यों से भी अपील करते हुए कि वे इस बिल का घोर विरोध करें और अगर बहुमत के बल पर वे इसको पास करते हैं तो वे अपने अपने वोट रेकार्ड करवाकर बतादें जनता को कि किन्होंने इसे पास किया है और कौन इसके विरोध में रहे थे, हमने यह अपना कर्त्तव्य इस प्रकार पूरा किया तो निश्चित रूप से जो कुछ हम अपनी ओर से सेवा समाज की कर सकते हैं उसमें हम कमी नहीं करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर--माननीय चेअरमेन, हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल पर इस सदन में काफी दिनों से बहस हो रही है और थर्ड रीडिंग की स्टेज पर भी जो भाषण सुनने में आये हैं और जो भिन्न भिन्न संशोधन सदन के सामने पेश किये गये हैं उनको सबको देखते हुए मुझे आशा थी कि थर्ड रीडिंग पर ज्यादा विरोध इस बिल का नहीं होगा, क्योंकि इस सदन के तीन मेम्बर ही ऐसे हैं जिन्होंने इस बिल के ऊपर बहस करके अपने मुखियापन का नमूना पेश किया है।

श्री मानसिंह महार—अब आप पेश कर दीजिये।

श्री भैरूं सिंह—जैसा कि आप कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर--मुझे इस सदन के समक्ष बड़े खेद के साथ यह बात रखनी पड़ रही है कि इस बिल को भी एक चुनाव का अंग बनाकर जो धर्म के नाम पर चर्चाएं की गईं और जो इसे चुनाव का एक स्टन्ट बनाया जा रहा है उसके लिये हमें और आपको, सबको आपत्ति होनी चाहिये। वैसे यह कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार और कांग्रेस की तरफ बैठने वाले साथी कुछ धर्म में कम श्रद्धा रखते हैं। यह एलीगेशन जिन लोगों की तरफ से आता है मुझे उनसे यही कहना है कि वे खुद अपनी तस्वीर आइने में देखें तो अच्छा होगा। धर्म के नाम पर आगे आने वाले तीन चार महीनों के लिये तैयारी करना बहुत ही अधर्म का काम है और इसके लिये मुझे बड़ा खेद है।

(करतल-ध्वनि)

मैं चाहता हूं कि कम से कम धर्म को राजनीति से अलग रक्खा जाय।

श्री भैरूं सिंह--आप क्यों मौका देते हैं हमें इस बात का?

श्री मथुरादास माथुर--हमने आपको काफी सुना है। अब दस पन्द्रह मिनिट हमें भी सुनाने का अवसर दें। धर्म और ढोंग क्या है, मैं यह बात आपके सामने रखना चाहता हूं।

माननीय चेअरमेन, जो कुछ भी भाषण यहां हुए इस सिलसिले में उनमें कोई ऐसा सुझाव नहीं रक्खा गया जिसकी वजह से हम यह मान सकें कि इस की कोई उपयोगिता नहीं है। वैसे हिन्दू ट्रस्ट बिल, पब्लिक ट्रस्ट बिल की जो धाराएं हैं वे क्यों बनाई जा रही हैं; इस पर आप गौर करें। हम सब लोग जो सदन में हैं वे यह चाहते हैं कि धर्म के अन्दर राजनीति का कम से कम हस्तक्षेप हो। मगर इस समाजवाद के युग में, जिस प्रकार के समाज की रचना हम हमारे इस देश में बनाने जा रहे हैं, जिसकी कि रूपरेखा हमने और देश के अन्दर सभी ने मन्जूर की है उसमें भी धर्म क्या ऐतिहासिक रोल प्ले कर सकता है यह इन धर्म के लोगों को सोचना चाहिये। मुझे खेद इस बात का है कि हम बिना समझे धर्म को राजनीति में घुसाने की यहां कोशिश कर रहे हैं। मैं यह स्पष्ट करदूं कि हमने विरोधी पक्ष वालों की दलीलों और संशोधनों पर, उनकी राय पर इस सदन में भी और सदन से बाहर भी चर्चा करके उनको यथा सम्भव समावेश करने का प्रयत्न किया है। फिर भी राजस्व मन्त्रीजी के हरेक काम को अधार्मिक कहना यह कहां तक धर्म का काम है, जोकि स्वयं धर्म के नाम पर बडी लम्बी लम्बी बातें करते हैं?

[श्री मथुरादास माथुर]

मैं खास तौर से दांतारामगढ़ से आने वाले सदस्य से और उस तरफ बैठने वाले और दो तीन अन्य सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि उन्होंने इस बिल का विरोध करने के बारे में जिन कुछ लोगों के कहने पर या न जाने कुछ कारणों से जो विरोध निभाया है, जो फर्ज अपना अदा किया है मैं अर्ज करूं कि उन्होंने अपना वह फर्ज बड़ी जिम्मेदारी से अदा किया है। बल्कि काफी आगे बढ़ कर उसे निभाया है, जितना उन्हें करना था उससे कहीं ज्यादा उन्होंने कर दिया। यह ठोक है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

विरोधी दल में बैठने वालों की यह परम्परा रही है कि सरकार की तरफ से जो भी कहा जाय उसके मैरिट्स पर विचार न करके हर चोज को बुरा कहना।

यह मैं मानता हूं कि सरकार के इन्तजामात में भी कई खामियां रहती हैं, जहां पर अरबों रुपयों के मामिले होते हैं वहां सैंकड़ों रुपयों को गबर्न भी हो सकता है, इसको रोकने की कोशिश भी की जाती है। फिर भी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, यह तो होंगी भी। इन्हें कोई रोक नहीं सकता। बड़े बान्धे में जिसमें लाखों-करोड़ों रुपये खर्च होते हैं छोटे मोटे लीकेज होते ही हैं। इसलिये सरकार की मशीनरी जो अरबों रुपया का इन्तजाम करती है इसमें इतनी कोशिशों के बावजूद सैंकड़ों रुपयों के गबन अगर होजाते हैं तो ये तो कितनी भी कोशिशों के बावजूद रुक नहीं सकेंगे, तो इतने से लीकेज से इस में कोई दिक्कत नहीं पड़नी चाहिये। इन चीजों को लेकर यह कह देना कि इसमें भी सरकारी मशीनरी काफी गबन करेगी, यह कहां तक मुनासिब होगा ?

फिर धर्म और चीज है और मन्दिरों का इन्तजाम और चीज है। हम धर्म के बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। केवल इन्तजाम को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। अब जनता जो सेवा पूजा के निमित्त भेंट पूजा के रूप में जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा इन मन्दिरों में देती है, उस जनता के इस पैसे का सही इन्तजाम करना, इसका दुरुपयोग न हो ऐसा प्रबन्ध करना सरकार का फर्ज हो जाता है। इसका भार सरकार पर होगा।

यह ठीक है कि सरकार अगर ठीक न हो तो उसे बदलने का सबको हक है। पर जब एक चुनी हुई सरकार हो तो उस पर भरोसा रखना पड़ेगा।

अब इन चैरिटेबल ट्रस्टों की बात सुनिये। इनमें अमूमन रुपये पैसे के दुरुपयोग की बातें सुनने में आती रहती हैं। आज ईस मन्दिर का पुजारी इतना लेकर भाग गया, कल उसका पुजारी इतना जेवर लेकर चलागया, फलां मन्दिर की जमीन का अपनी व्यक्तिगत जमीन के नाम से पट्टा करवा लिया, उन पर दुकानें बनवालीं, किराया लेते हैं, जब हम कहते हैं कि वह जमीन तो मन्दिर के नाम की है तो जवाब देते हैं कि हमारी जमीन है, उस पर लिमिटेशन्स लागू नहीं होती। इस तरह की कई बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो हमारा मकसद यह है कि इसकी सुव्यवस्था हो। जिस काम के लिये समाज का एक व्यक्ति पैसा देता है उसका पूरा सही इन्तजाम हो। उसके लिये हम उचित प्रबन्ध करना चाहते हैं, उनकी धार्मिक परम्पराओं में हम कोई बाधा नहीं डालना चाहते।

[श्री मथुरादास माथुर]

अब ट्रस्ट के बोर्डों के बारे में भी कहा गया, उसके लिये यह तसल्ली दी है कि हम उसी मजहब के जानने वालों को उस बोर्ड में रक्खेंगे। तो इस तरह से यह कहना कि धर्म के ऊपर कोई कुठाराघात हो रहा है, धर्म के हित की कोई बात नहीं सुनी जाती है, धर्म पर जुल्म हो रहा है, उचित नहीं है और धर्म के नाम पर हाथ उठा कर वोट मांगे जाते हैं तो उससे वोट नहीं मिल सकते हैं।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि राजनीति में......

श्री मानसिंह महार—वोट तो शायद पैसों से मिलते हैं।

श्री मथुरादास माथुर—जरा गोर से सुनिये। आपको शायद मेरा यह आखिरी भाषण सुनने को मिल रहा है। मुमकिन है कि अगले चुनाव में आप सदन में आये या नहीं। (हंसी)।

तो, माननीय उपाध्यक्ष, मैं अर्ज कर रहा था कि मैं यह चाहता था कि इस बिल के अन्दर बिल के जो आब्जेक्ट्स बताये गये हैं कि किस लिये यह कानून बनाया जा रहा है उसको देखते। धर्म का ठेका राजस्थान में उस ओर बैठने वाले सदन के ४, ५ सदस्यों ने ही नहीं ले रखा है। धर्म एक देशव्यापी चीज है। वह एक संसारव्यापी चीज है। राजस्थान में ही धर्म वाले लोग रहते हों ऐसी बात नहीं है। हिन्दुस्तान के हर कोने में वे रहते हैं। जो आज बड़े २ मंदिर हैं या चेरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर जो धन आता है उसकी सुव्यवस्था करना हमारा धर्म है। उस धर्म की पाबन्दी करना हमारा धर्म है। धर्म को सुव्यवस्था से चलाना हर धर्म के मानने वाले का कर्तव्य है। उनको सुव्यवस्था हो यह भी सरकार का धर्म हो। धर्म की पाबन्दी के लिये कानून बनाने पड़ते हैं। धर्म के नाम पर जो अधर्म कर रहे हैं उनको रोकना भी धर्म है। धर्म की पाबन्दी के लिये सरकार कानून बनाना चाहती है तो उसका स्वागत करना चाहिये। केवल उन्हीं लोगों को ऐतराज हो रहा है जो कि सचमुच में धर्म को नहीं मानते हैं। धर्म के नाम पर अधर्म को पनपा रहे हैं। लोगों को धर्म के नाम पर उल्लू बना कर अपनी ठेकेदारी समाज में कायम रखना चाहते हैं। उनके ऊपर इस कानून से कुठाराघात हो रहा है इसलिये वे चिल्लाते हैं। जो सच्चे धर्म के मानने वाले हैं उन्होंने कभी नहीं कहा है कि धर्म पर कुठाराघात हो रहा है। सच्चे धर्म के मानने वाले में से किसी ने नहीं कहा। धर्म के नाम पर जो ठेकेदार हैं, समाज के कुछ व्यक्ति हैं वे समाज के मुखिया बनना चाहते हैं, वे धर्म के मुखिया लोग ही इसी तरह के लोग हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों ने तार चिट्ठियां दिलवाकर राजस्थान को हवा को खराब करने की कोशिश की है। हमने भी उन लोगों से बातचीत की है। मेरे पास भी कई लोग अलग २ समाज के आये हैं। उन्होंने मुझ से चर्चा की है। मैंने उनसे पूछा है कि मुझे सूची दीजिये कि आपके धर्म के मानने वाले मंदिरों व ट्रस्टों की सुव्यवस्था करने वाले इस कानून को कौन २ सी ऐसी धारायें हैं जो उस काम में बाधक सिद्ध होती हैं। अगर आप अपने धार्मिक स्थानों का अच्छे से अच्छा इन्तजाम करवाना चाहते हैं और सरकार कानून के जरिये से उसमें सहयोग देना चाहती है तो आपको क्या आपत्ति हो सकती है ?

इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह कहा गया है कि सेक्यूलर स्टेट में धर्म पर कुठाराघात किया जा रहा है। सेक्यूलेरिज्म के नाम की इसके साथ चर्चा करते हैं वे यह नहीं समझते हैं कि सेक्यूलेरिज्म

[श्री मथुरादास माथुर]
के मायने क्या हैं ? विधान की दुहाई दी गई है, धर्म की दुहाई दी गई है और सेक्यूलेरिज्म की दुहाई दी गई है और न जाने किन किन की दुहाइयां दी गई हैं। वे नहीं कहना चाहते हैं कि लोगों को बहकाने के लिये वे आज धर्म के नाम की दुहाई देकर अपना खुद का उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह की चर्चा सदन में होती है। बिल की धाराएं तो अलग रह जाती हैं और प्लेटफार्म की स्पीचेज़ चल जाती हैं और बाहर जाकर लोगों से कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, हमारे ऊपर धर्म टिका हुआ है और हमारे कन्धे उससे अलग हो जायेंगे तो धर्म गिर जायगा। हमारी धार्मिक परम्परायें जो चली जा रही हैं, चाहे जैन धर्म हो या सनातन धर्म उनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। यह हिन्दू ट्रस्ट बिल उन्हें कमजोर नहीं कर सकता है, बल्कि यह तो उनकी जड़ों को और भी मजबूत करेगा। हरेक धर्म के मानने वाले का फर्ज है कि वह इसमें सहयोग दे। हम जो जनता के नुमायन्दे हैं वह यह समझते हैं कि हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिये जनता ने हमें चुनकर भेजा है। जनता यह नहीं चाहती है, हमारी कन्स्टीटुएन्सी यह नहीं चाहती है कि धर्म के नाम पर और कोई बदइन्तजामी हो। अगर बदइन्तजामी नहीं है और अच्छा इन्तजाम है तो खतरा किस बात का है ?

श्री भैरू सिंह—अच्छा इन्तजाम है तो फिर कण्ट्रोल किस बात का ?

श्री मथुरादास माथुर—मैंने अर्ज किया कि मैं जानता था कि जब मैं बोलूंगा तो लोगों को उछल-कूद करने का मौका मिलेगा। सात दिन से जो आपको ओर से अधार्मिक भाषण हो रहे थे उन्हें हमने अपनी धार्मिक क्षमता से सुने हैं तो मुझे भी आप जरा मौका दीजिये कुछ कहने का।

माननीय उपाध्यक्ष, आज यहां धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी चर्चाएं की गई हैं तो मैं आपके सामने यह अर्ज कर रहा था कि हमारे यहां की जनता यह चाहती है, अगर आप जनता में विश्वास रखते हैं, अगर आप धर्म में विश्वास रखते हैं, तो हमारे यहां की जनता यह चाहती है कि हमारे यहां पर जो जनता द्वारा एकत्रित धन राशि है, मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थानों को चलाने के लिये जो चेरीटेबल ट्रस्ट हैं, उनका ठीक इन्तजाम करने के लिये सरकार का सहयोग मिले। सरकार यह चाहती है। सरकार की यह जवाबदारी है कि उनकी सुव्यवस्था हो। जो ४-५ आदमी धर्म के नाम पर यह वातावरण बनाना चाहते हैं कि सरकार को अलग रखा जाय। सरकार कभी भी इसको कबूल नहीं कर सकती है और न ही जनता यह चाहती है। सरकार को धर्म को भी अन्य समाज के ढांचे के रूप में समझना पड़ेगा। तो धर्म के नाम पर जो लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे थे उनको भी समझना पड़ेगा कि धर्म का नारा देकर, धर्म के नाम पर जनता को उकसाने वाले इस सदन के माननीय सदस्यों को समझना पड़ेगा; जनता खूब समझती है।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरी समझ में यह नहीं आया कि इस कानून में ऐसी कोई धारा है जिसकी वजह से धर्म के अन्दर अड़चन आती हो। अगर सुव्यवस्था है तो डर किस बात का है ? बदइन्तजाम हो तो अच्छा इन्तजाम किया जाय, इसमें घबराहट किस बात की है ? इसमें कहां पर धर्म को खतरा है ? इसमें कहां लिखा है कि धर्म के जो बड़े बड़े सिद्धान्त हैं

[श्री मथुरादास माथुर]

उनको नहीं माना जाय ? कोई धर्म का ठेका विरोधी दल में बैठे हुए माननीय सदस्यों ने ही नहीं ले रखा है। धर्म को नहीं मानने वाले ज्यादा उस ओर हैं और इस ओर कम हैं। (करतल-ध्वनि) अगर इस बात पर गौर करें तो इस तरफ से कोई ऐसा भाषण नहीं हुआ होगा कि जिसमें कि अधर्म की बात कही गई हो। विपक्षी दल में एक भी ऐसा भाषण नहीं हुआ है जिसमें कि धर्म के खाते में वोट लेकर बात नहीं की गई हो। धर्म को लेकर उनकी बात करना चाहते हैं, हम लोग यह नहीं चाहते हैं। धर्म और अधर्म में मेल नहीं हो सकता है। आपका यहां पर जो मेल देखते हैं उसका हमें दुःख है।

तो, माननीय उपाध्यक्ष, यह भी कहा गया है कि हिन्दुओं के लिये कानून बनाया जाता है और मुसलमानों पर यह कानून लागू नहीं होता है; ईसाइयों के लिये कोई कानून नहीं है। खास तौर से जमुआ-रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने इस चीज को कई दफा कहा है। सदन के माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं, माननीय उपाध्यक्ष, अगर उन्होंने इस कानून के ऑब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा है। मैं उनको पढ़ कर सुना देता हूं:—

"The Bill will not apply to Wakfs, as there is adequate provision for regulation of Wakfs in the Wakfs Act, 1954 (Central Act of 1954)."

मुसलमानों के वक्फ का कानून बना हुआ है। इसलिये अगर एक कानून बना हुआ है, एक कानून जब मुसलमानों के लिये बना हुआ है और हिन्दुओं के लिये बना देते हैं तो सदन के हमारे साथी, बड़े बड़े साथी यह चिल्लाते हैं कि धर्म के साथ में कुठाराघात हो रहा है, और न जाने क्या क्या बातें कही जाती हैं। जब वक्फ कानून बना हुआ है तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। इसलिये यह हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट बिल है। इसलिये ही इसका "हिन्दू ट्रस्ट बिल" नाम रखा है।

इन लोगों को 'हिन्दू' नाम रखने से ऐतराज है। मेरी समझ में नहीं आया कि यह कौन सी धर्म की बात कही। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे साथी धर्म को समझे नहीं। मैं समझता हूं कि कुछ कारणों से यहां पर सदन के अन्दर और खास तौर से सदन के द्वारा लोगों के अन्दर अपनी बात ठीक करने के लिये और आगे आने वाली बात के लिये अपनी नींव भर रहे हैं। मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह से वह नींव नहीं भरेगी। अब धर्म के नाम पर लोगों को बहकाया नहीं जा सकेगा। धर्म के नाम पर जो लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं वे अपनी दूकान ज्यादा दिन तक कायम नहीं कर सकते हैं (करतल-ध्वनि)। मैं अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि उनको राजनीति में राजनीति की ही तरह से लड़ना चाहिये। धर्म को इसमें नहीं घसीटना चाहिये। लोगों की सेवा करके, जनता की आर्थिक हालत को उठा कर हम लोग आज यहां पर आयें और हम अपनी बात कहें तो बहुत ही स्वभाविक और ठीक होगी।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने कोई बात मुद्दे की नहीं कही। १-२ या चार-पांच साथियों ने जो भी भाषण दिये हैं, इतने दिनों से हम बराबर सुन रहे हैं कि धर्म पर जुल्म हो रहा है, अधर्म हो रहा है, धर्म को खतरा है, धर्म पर कुठाराघात हो रहा है, यह जो धर्म के स्तम्भ सामने नजर आ रहे हैं इनके कन्धे कमजोर हो जायेंगे इसलिये वे अपने कन्धों को मजबूत करने के लिये धर्म की दुहाई दे रहे हैं। यही बात हमारी समझ में आई है, इसके अलावा कोई बात नहीं समझे हैं; न यहां पर कोई समझा है और न बाहर के लोग समझे हैं।

[श्री मथुरादास माथुर]

माननीय उपाध्यक्ष, मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि सदन के उस ओर बैठने वाले साथी खुदा के वास्ते धर्म को राजनीति में न डालें। अगर अपना ही उल्लू सीधा करना है तो हजारों तरीके मौजूद हैं। धर्म के नाम पर भिक्षा तो मांगी जाती है लेकिन धर्म के नाम पर वोट मत मांगो। धर्म को अधर्म बना कर जनता के सामने मत रखो ताकि लोग यह नहीं कहें कि राजस्थान की विधान सभा के लोग ऐसे हैं जो धर्म के नाम को राजनीति में घसीटते हैं।

मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरी अपील खास तौर पर मुखिया लोगों पर अपील करेगी।

(सरकारी पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

और कोई साथी जो इधर के साथी कुछ बोले हैं इसका मतलब यह नहीं समझा जाय कि हमारा धर्म पर विश्वास नहीं है, अथवा हम धर्म की बातों को नहीं मानते हैं, यह नहीं समझा जाय कि जनसंघ, हिन्दू महा सभा, या और संस्थायें जिनके नाम के आगे 'हिन्दू' चढा हुआ है वे ही धर्म की बातें करते हैं। हमारा धर्म में विश्वास है लेकिन हम धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहते हैं। हम धर्म के सिद्धान्तों को मानने वाले हैं, हम सुधार को मानने वाले हैं यह समझ लें।

श्री भैरूं सिंह—बिलकुल गलत।

श्री मथुरादास माथुर—(अपना भाषण जारी रखते हुए) जितने काम धर्म के उस ओर हो रहे हैं इस ओर बैठने वाले उनको नहीं सोच सकते हैं।

(राज्य पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

एक और चीज कहना चाहूंगा। सबसे बडी बात यह है उपाध्यक्षजी, कि जो यह कानून रखा गया है वह कानून पास न हो इसका किन किन लोगों ने विरोध किया है, यह बात सोचने की है। मैंने शुरू में ही कहा है कि सच्चे धर्म को मानने वाले किसी ऋषि मुनि ने इसका विरोध किया हो, सच्चे धर्म को मानने वाले किसी जैन साधु ने इसका विरोध किया हो तो मुझे बतायें.....

एक माननीय सदस्य—यह भी गलत है।

श्री मथुरादास माथुर—(अपना भाषण जारी रखते हुए) आपको विरोध ही मालूम होता है। अपना पेशा ही विरोध करने के लिये बना लिया है, आपको हर जगह विरोध ही मालूम होता है। लेकिन जो जैन साधु हैं जिनकी हिन्दुस्तान में महान ख्याति है, जिनकी हिन्दुस्तान में इज्जत है, जिन्होंने समाज में परिवर्तन करने का आव्हान किया है, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि कोई आपत्ति नहीं है, जितने भी ट्रस्ट बनेंगे उनमें धर्म के मानने वाले सज्जन होंगे। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य जैसे ट्रस्ट में आजावें तो यह आपका सुझाव ठीक हो सकता है। अगर कम्युनिस्ट धर्म में घुस जावेंगे जो खुदा को नहीं मानते हैं, वे आपके नजदीक रहते हैं इसलिये ज्यादा खयाल रखें। मैं तो दूर रहता हूं। कानून में रद्दोबदल कर दी गई है। धर्म के मानने वाले इन्तजाम में रहें तो कोई आपत्ति

Page No.95

[श्री मथुरादास माथुर]

नहीं होनी चाहिये । धर्म के मामले में कोई गाइडेन्स हो, धर्म में कोई खलल पहुंचे तो सरकार को बताना चाहिये, और मैं समझता हूं कि इसको पास करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिये । एक मत से आप को इस कानून को पास करना चाहिये । इस कानून को पास करने में सच्चे दिल से सरकार का हाथ मजबूत करना चाहिये, सच्ची भावना रखें धर्म के बारे में और जनता को ऐसा कानून दें जो जनता का भला कर सके, धर्म की भावना से जो रुपया इकट्ठा किया जाता है उसका दुरुपयोग न हो सके । बुराई को रोकना तो धर्म द्वारा हमने सुना है लेकिन धर्म द्वारा बुराई को न रोकना हमने सुना नहीं । इसलिये मैं कहता हूं कि इसको एक मत से पास करना चाहिये ।

(राज्य पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

श्री नाथूराम मिर्धा—(किसी सदस्य के बोलने के लिये खड़े होने पर) आप तो बोल चुके हैं मुखियाजी ।

(हंसी)

श्री भैरूं सिंह—ये दूसरे मुखियाजी बोल रहे हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष, हिन्दू ट्रस्ट बिल के मुतल्लिक आज चार पांच रोज से इस पर बहस चल रही है । माननीय उपाध्यक्षजी, यह आज हमारे सदन का करीब २ आखिरी दिन होगा । उसके बाद में यह सदन एक दूसरे रूप में मिलेगा । जिसमें हमारे अजमेर के साथी भी शामिल होंगे । इस सदन का मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । मैं थोडी सी बात आज इस सदन में यहां इस रूप में कहना जरूरी समझता हूं कि विरोध पक्ष के कुछ माननीय साथियों ने इस कानून को, जिसको कि हम पास करने जा रहे हैं, इस दृष्टिकोण से देखा कि जिस दृष्टिकोण से इसको देखने के लिये इस कानून में कोई गुंजाइश नहीं है । इस कानून में जो कि हम पास करने जा रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष, धर्म नाम को जो चीजें जिसको कि आज विरोधी पक्ष के कुछ माननीय साथी पिछले चार पांच दिन से लगातार रगड़पट्टी लगा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि धर्म बड़े खतरे में है, धर्म का नाश हो रहा है और वे साथी जैसा कि कोरे वे ही धर्म को समझने वाले हैं, इस धर्म की रक्षा करने वाले हैं और इस धर्म के मामले में जो कुछ ठेका है वह विरोधी पक्ष के माननीय साथियों का ही हो, ऐसा वातावरण उन्होंने बनाने की कोशिश की और माननीय उपाध्यक्ष, इस ओर की तरफ से हम साथियों ने बहस में भाग ज्यादा इसलिये नहीं लिया कि इस कानून को वास्तव में इन तिथियों में पास करना था । बहस को ज्यादा बढ़ायें, वे भाषण हों जो यूसफुल नहीं थे, सदन के लिये जरूरी नहीं थे और ज्यादा बढ़ाते तो मैं समझता हूं कि वे विशेष रूप से इस कानून को फायदा पहुंचाने वाले नहीं थे । माननीय उपाध्यक्षजी, इस कानून में जो छ व्यवस्था की गई है सीधी सादी व्यवस्था है । हमारे कुछ धार्मिक ट्रस्ट जो आज कई अर्से से हमारे इस राजस्थान में मौजूद हैं, मैं यह नहीं कहता कि सब धार्मिक ट्रस्ट हैं वे सब खराब हैं, उनकी सबकी खराब व्यवस्था है, बल्कि मैंने इस बात को आंखों देखा है और आज भी वह चीज मौजूद है कि जो कई ट्रस्ट हैं, वास्तव में जो हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट हैं, उनको न तो गवर्न करने के नियम हैं और न ही वे सुचारु रूप से काम चलाने वाले लोगों के हाथ में हैं, जहां हजारों रुपया सालाना की आमदनी है, वो ऐसे फक्कड़

Page No.96

[श्री नाथूराम मिर्धा]

लोगों के हाथ में हैं, वह आमदनी ऐसे फक्कड़ लोगों के हाथ में आती है, जिनके मठ हैं, वहां साधू चिलमें और सुल्फे पीकर बरबाद कर रहे हैं । उस पैसे का सदुपयोग हो । मंदिर क्या है ? एक महादेवजी की छोटी सी मूर्ति बना दी और मैंने देखा है और मैं मानता हूं कि वहां महीने २ भर में एक बार भी झाड़ू नहीं लगती है, वहां कोई सफाई नहीं होती है । कुत्ते और बिल्लियां टट्टी पेशाब करते हैं। ऐसे २ मंदिरों मठों के पीछे दस २ हजार की जागीरें मौजूद हैं। ऐसे मंदिरों की व्यवस्था सुधारने के लिये कोई कहने वाला नहीं है । दस दस हजार रुपये साल में चिलमें, शुल्फे, गांजे और भांग में साफ हो जाते हैं । ऐसे प्रन्यास हमने देखे हैं, हमारी आंखों के सामने चल रहे हैं । हम यह कह दें कि इन चीजों की व्यवस्था को सुधारने के लिये कानून बनायें, कि अमुक आमदनी पर, अमुक केपिटल पर जो सार्वजनिक ट्रस्ट होंगे, चाहे हिन्दू धर्म के ट्रस्ट हों, चाहे जैन धर्म के हों, चाहे सिक्ख धर्म के हों, उन लोगों को इन ट्रस्टस् को रजिस्टर कराना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, उसकी क्या २ केपीटल है, या क्या २ आमदनी है, आमदनी जो साल भर में होती है उसका क्या क्या जरिया है, किस तरह से खर्च होती है, तो मैं समझता हू कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । माननीय उपाध्यक्षजी, अगर हम उसको रजिस्टर कराने के बारे में ऐसी धारायें जोड़ते हैं कि अमुक २ प्रकार का खर्चा मंदिरों में हो रहा है, जिस किसी मंदिर में एक मन केसर चढ़ाने की व्यवस्था है, उसके ऊपर हजारों रुपयों का खर्चा किया जाता है, अगर हम यह व्यवस्था करते हैं कि १ हजार रुपये की केसर चढाने के बजाय पांच सौ रुपये की ही केसर चढायें तो हम पर आरोप किया जा सकता था कि यह तो धर्म के ऊपर आक्षेप है, धार्मिक स्थानों को इज्जत नहीं देना चाहते, उनको उजाडना चाहते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि अमुक मंदिर में पांच पुजारियों के एवज में चार होंगे तो वे धार्मिक प्रन्यास चलाने वाले कह सकते हैं कि आप ये पांच के बजाय चार पुजारी करने के अधिकार अपने पास रखते हों ।

माननीय उपाध्यक्षजी, अगर एक मंदिर में एक साल में ५०० रु० की अगरबत्तियां जलाई जाती हैं और उस पर यदि हमने यह कहा होता कि भगवान की सुगन्धी में कमी करने के लिये ५००)रु० के बजाय २००)रु० की अगरबत्तियें जलाई जांय तो आप हमें कह सकते थे कि आप धर्म में हस्तक्षेप करना चाहते हो । मैं जानता हूं कि कई मंदिरों में दस २ हजार रुपयों की सालाना आमदनी है और उन मंदिरों मठों में ४-५ बावा भंग और गांजा पीते हैं और धूंआ उड़ाते हैं और महादेवजी के मंदिर में बुहारी तक निकालने का साधन नहीं है, महादेवजी के पीछे ही इतनी बड़ी जागीर है और महादेवजी के मंदिर की सफाई तक का पता नहीं । महादेवजी के ऊपर अगर कोई कुत्ता मूत देता है तो भी उसकी चिन्ता नहीं । महादेवजी के और धर्म के नाम के पीछे १०,००० की जागीर है और इतनी ही सालाना आमदनी है, उस पैसे को भंग और गांजे में उड़ाया जाता है । इसके बारे में जब हम यह पूछते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पडेगा और बतलाना पड़ेगा कि कितनी आमदनी है, कहां से आमदनी आती है और उसको कौन खर्चा करता है या खाता है, तो धर्म की दुहाई दी जाती है । उनसे हिसाब किताब पूछते हैं और गड़बड़ी मिटाने की कोशिश करते हैं तो विरोधी पक्ष में बैठने वाले धर्म का ढोंग करते हैं और धर्म का नाम लेकर बहुत हल्ला मचाते हैं, यह कैसी बात है ? पिछले इलेक्शन के समय भी और अब जब कभी करना चाहें धर्म के नाम पर ढोंग मचाते हैं और गड़बड़ करते हैं । कोई हर्ज नहीं करे, हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि पछिले पांच वर्षों में दुनियां बहुत पलट गई है । अभी कुछ दिन

Page No.97

[श्री नाथूराम मिर्धा]

पहले गायों के नाम पर चर्चा चली । समय समय पर गायों के नाम पर चर्चा चलती है । जो धर्म में आस्था रखने वाले हैं वे उनकी बातों का कुछ अर्थ उल्टा समझ लेते हैं और ये इस बात को मान कर चलते हैं कि दुनियां भर के वोट उनके पक्ष में होंगे । इसलिये वे चाहते हैं कि हरेक क्लाज पर डिवीजन कराने से अपने वोट पक्के होंगे । लेकिन मैं समझता हूं कि वह जमाना अब गुजर चुका है । अब वह व्यवस्था नहीं रही है । गायों के नाम पर बोलने वाले अपने गांवों में गायों के पीने के पानी के तालाबों को तुड़वाते हैं और तुड़वाये हैं और वे ही लोग गायों की सेवा करने के नारे लगाते हैं । गोचर भूमि के नाम पर बोलने वाले खुद काश्त में गोचर भूमि दबाना चाहते हैं वे ही लोग गायों की दुहाई देते हैं । वे लोग जो रात दिन धर्म की रगड़पट्टी लगाते हैं, (हंसी) धर्म के नाम पर दुनियां को ठगते हैं और देवता और महादेवजी की बातें करते हैं वे लोग इन्सान का धर्म क्या है, इसके एलीमेन्ट्री प्रिन्सिपल को भी नहीं मानते, वे लोग धर्म के नाम की दुहाई देते हैं और यहां धर्म की चर्चा करते हैं । यह सीधा सा कानून है, हजारों वर्षों से जो धार्मिक स्थानों की व्यवस्था चली आ रही है उसको सुचारु रूप से बनाने के लिये बनाया गया है, उसकी धर्म के नाम पर आलोचना करते हैं ।

पिछले ४ साल में बहुत जरूरी महत्वपूर्ण कानून बनाने थे इसलिये इस बिल को पहले नहीं ला सके । इस बिल का ड्राफ्ट बने हुए भी साल डेढ साल हो गया । कुछ बातें आघात पहुंचा सकती थीं उन पर सोच विचार किया है, कुछ लोगों की आपत्तियां सुनी हैं। कमेटी में बैठ कर इस पर काफी विचार किया है । डेपुटेशन लेकर जो लोग आये हैं उनको भी सुना है, जिनाइन डिफिकल्टीज पर लोगों के विचार सुने हैं । मंत्रीजी ने बहुत अच्छी तरह से इसमें तरमीम करके सुचारु रूप से किस हद तक प्रन्यास और धर्मादा पर लागू किया जाय उस पर अच्छी तरह से विचार किया है । जो जिनाइन डिफिकल्टीज थीं उनको माना है, स्वीकार किया है । यदि हम इस तरह के लंबे चौडे भाषण, डिविजन के रूप में रगड़पट्टी करके नहीं दिखाते तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम देवता को मानते नहीं हैं या उनकी पूजा नहीं करते हैं । हम सारे देवताओं को मानते हैं लेकिन हम चिल्ला कर ढोंग नहीं करते, जैसा हमारे माननीय साथियों ने पिछले ५ दिनों में किया है । इसलिये ज्यादा समय न लेता हुआ मैं यह निवेदन करूंगा कि पिछले चार पांच साल में इस सदन ने काफी अच्छा काम किया है और सब साथियों ने मिल जुलकर सहयोग दिया है । इतना कह कर मैं अपने भाषण को खत्म करना चाहता हूं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)--उपाध्यक्षजी, मैं इस प्रन्यास विधेयक पर कुछ बोलना नहीं चाहता था और मैं समझता था कि जितने संशोधन इसमें स्वीकार किये गये हैं और जितनी चर्चा इस पर हो चुकी है उसके बाद अधिक वाद-विवाद का विषय यह नहीं रहा है, लेकिन मैं आज जान बूझ कर यहां रुका यह देखने के लिये कि इसके अंतिम वाचन के समय सदन के अंदर किस प्रकार की चर्चाएं सामने आती हैं । मैं आपसे निवेदन करूं ।

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, कि इस बिल को हमने तब ही सदन के समक्ष रखा था जब कि गहराई के सा हमने इसको देख लिया । एक बार नहीं केबिनेट में भी दो तीन बार इस पर चर्चा हुई और हम कभी भी

Page No.98

[श्री मोहनलाल सुखाडिया]

यह नहीं चाहते कि राजस्थान के अंदर किसी भी धर्म को माननेवाले पर ठेस पहुंचे । जहां तक वास्तविक धर्म को मानने का प्रश्न है जबरदस्ती किसी भी धर्म पर कानून लादना नहीं चाहते । लेकिन इस कानून को, यदि गहराई के साथ देखा जाय तो, मैं मानता हूं कि, जहा हम कहते हैं कि धार्मिक विचारों पर या धर्म पर किसी प्रकार का आघात हो तो मूल में यह बात गलत हो जाती है । मैं ज्यादा वाद-विवाद में न पड कर दो एक बातें कहूंगा । जो कुछ मंदिरों के पास पूंजी आती है उस पूंजी में से एक पैसा भी सरकार के पास आवे या सरकार उसे खर्च करे, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है । दूसरी बात सबसे बडी यह कही गई है कि प्रन्यासों के बारे में जो शिकायत आयेगी उसका आखिरी फैसला रखा गया है सेन्ट्रल बोर्ड या एडवाइजरी बोर्ड पर । उसके अंदर भी यह कहा है कि जो उस धर्म को मानने वाले हैं वे ही बोर्ड या समिति के मेम्बर्स होंगे और वे मिल कर जो राय देंगे उसी के माफिक निर्णय हो । मैं समझता हूं इससे बडा शब्दार्थ दूसरा नहीं हो सकता । धर्म के मामले में उस धर्म को माननेवाले व्यक्ति जब किसी संस्था के बारे में यदि कहें और निर्णय करें कि यह संस्था ढंग से नहीं चल रही है तो मैं समझता हूं उसे मानने में ऐतराज क्या है ?

शुरू में जब इस पर बहस शुरू हुई थी तब बहुत से लोगों को शक शुबा था । कई व्यक्तियों ने चर्चा की राजस्व मंत्री जी से, और आज जब हम मिल रहे हैं तब बहुत से जो जैन धर्म को माननेवालों के संगठन हैं उन लोगों तक ने, जहां तक मुझे मालूम है, जो परिवर्तन बिल में किये गये हैं उनके कारण उनका ज्यादा विरोध नहीं रहा है । इस प्रकार से किसी समाज या धर्म पर आघात पहुंचता हो ऐसी बात नहीं है । यह ठीक है कि प्रत्येक व्यक्ति यह चाह सकता है कि उस पर बंधन न हो । लेकिन बंधन इसमें केवल एक है, अमुक तरह की कैटेगरी, जिसे सरकार तय करेगी उस प्रकार की कैटेगरी के मंदिरों को ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर करवाना होगा और रजिस्टर हो जाने के बाद हिसाब के संबंध में कार्यवाही करनी होगी । जब कभी उसमें गडबडी पाई जायगी तब बोर्ड को देखने का प्रश्न आता है । निर्णय करने का अधिकार सरकारी अधिकारी के पास नहीं है । निर्णय करेगी उस धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की कमेटी । इस पर भी यदि कोई व्यक्ति यह समझे कि इससे धर्म पर आघात होगा तो यह गलत बात होगी । जैसा पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं समझता हूं धर्म के बारे में जब हम यह कहते है कि इस सरकार को यह नीति कभी नहीं है कि किसी भी धर्म को माननेवाले व्यक्ति पर आघात किया जाय, धर्म पर आघात किया जाय, तो मैं समझता हूं हमारी चर्चा वास्तविक मुद्दे पर होनी चाहिये ।

बजाय इसके कि हम चर्चा करें, एक और निगाह हो, दूसरी बातों पर, राजनैतिक दृष्टि पर धर्म की चर्चा करते हैं तो वास्तविकस्वरूप ओझल हो जाता है, ओझल नहीं करना चाहिये । इस पर भी जो वास्तविक बातें थीं उन पर चर्चाएं की गई, जितनी ज्यादा से ज्यादा मानी जा सकती थीं मानी । बल्कि दूसरे राज्यों के अन्दर कोई इस प्रकार का कानून है उसमें जो व्यवस्था है उससे यहां जो कानून पास हो रहा है, कई गुना लिबरल हो चुका है ऑलरेडी । कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि जिनके

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

पास हो जाने से किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी पर जहां मनमाने ढंग से काम चलता था उनको मालूम हो सकता है कि कानून ऐसी चीज है कि कन्ट्रोल से काम होगा ।

ज्यादा शिकायतें उन क्वार्टर्स की तरफ से आई जहां बहुतसा धन है, धन सरकार नहीं लेना चाहती, न हमने यह कहा है कि पूजा की विधि है उसमें हस्तक्षेप किया जाय, न यह कहते हैं कि पुजारी कौन रखा जाय कौन न रखा जाय, केवल यह रखा है कि बदइन्तजामी के समय में विचार किया जाय और फैसला दें उसी धर्म के मानने वाले ।

यह बात आपसे, हमसे, छुपी नहीं है कि देश के अन्दर बहुत से मन्दिर हैं जहां धन का बहुत दुरुपयोग हो रहा है और कोई आपस में इस राय में मतभेद नहीं रख सकता कि उस व्यवस्था को सुधारना चाहिये, इसको सुधारने से देश का लाभ है और उस धर्म के मानने वाले भी कहेंगे कि यह बहुत अच्छी बात है ।

इस अन्तिम वाचन के समय इस लिये में बोलने को खड़ा हुआ कि भावात्मक दलीलों में न डालें, यह महत्वपूर्ण बिल है, फिर सरकार यह करेगी, वह करेगी, मैं पूछता हूं सरकार को करने की गुंजायश ही कहां आयेगी, जो सेंट्रल बोर्ड है उसको सारी ताकत दी है, रेवेन्यू मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर फैसला नहीं दे सकता जब तक कि उस धर्म के मानने वाले फैसला नहीं देते, राय नहीं देते फिर निरर्थक गोल माल बना कर दूसरी तरह की बातें करें वह ठीक नहीं ।

इस तरह की व्यवस्था है तो सदन में बैठने वाले सब मिल जुल कर सहयोग दें । इसमें ऐसा नहीं किया है कि विरोधी दल के अमेंडमेंट स्वीकार नहीं किये जायं, बहुत से संशोधनों को स्वीकार किया, जहां परिवर्तन आवश्यक था वहां राजस्व मंत्रीजी ने स्वयं ने सुझाये हैं और स्वयं ने अमेंडमेंट्स रखे हैं । तो जिस स्पिरिट से हमने इस बिल को डील विद किया है, विरोधी दल भी उसी स्पिरिट से काम लेगा, यह हमारे राजस्थान में सबके हित में है, किसी के अहित में नहीं । गलत चीजों को रोकना सब चाहेंगे, जिन्होंने इस बिल पर बहस की है वे दिल में जानते हैं कि इस बिल में देश के हित की, उस धर्म को मानने वालों के हित की व्यवस्था की है ।

मैं यह दर्ख्वास्त करना चाहता हूं कि चर्चा तो काफी हो चुकी है और हम लोग अब अजमेर के साथ बड़ी असेम्बली में मिलेंगे, उससे पहले पास होने वाला यह एक बिल है उसको एक राय से पास करें, यही अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि........

राज श्री हिम्मतसिंह—माननीय अध्यक्ष, कुछ नाम लिखे गये थे बोलने वालों के ?

श्री अध्यक्ष—No. This was the last speech by the Leader of the House over the third reading.

राज श्री हिम्मतसिंह—यह हमें पहले कह दिया होता कि लास्ट स्पीच होगी।

श्री अध्यक्ष—I am sorry.

प्रश्न यह है कि राजस्थान हिन्दू सार्वजनीन प्रन्यास विधेयक, १९५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

(राज्य पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

राजस्थान एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९५६

Next item. The Rajasthan Excise (Amendment) Bill, 1956.

(विराम)

The question is that the Bill be taken into consideration.

इसके ऊपर अमेंडमेंट है; "That the Bill be referred to the Select Committee" (It is by Shri Bhairon Singh).

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, जो बिल सदन के सामने है उसके सम्बन्ध में यह प्रस्ताव रखा गया है कि . . . .

श्री अध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

उनका मोशन था कि सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसके सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा गया था कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, इसके बारे में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें जाहिर की थीं, उनके बारे में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं।

एक बात यह कही गई थी कि इस बिल से हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको रद्द किया जा रहा है, यह बिलकुल गलत बात है। हमारे यहां राजस्थान में कानून था और जिसको इस विधान सभा ने बनाया था, उसमें गवर्नमेंट को अनुरेस्ट्रिक्टेड पॉवर दी थीं, हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि ऐसे अनुरेस्ट्रिक्टेड पॉवर्स विधान के खिलाफ हैं। अब जो यह बिल पेश किया जा रहा है वह गवर्नमेंट के उन पॉवर्स को कम करने के लिये और हाई कोर्ट के फैसले को मान कर उस फैसले की मन्शा के अनुसार किया जा रहा है।

इसमें दूसरी बात यह कही गई कि लेंग्वेज दुरुस्त नहीं है और बहुत सी बातें सिलेक्ट कमेटी में आयेंगी। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कुल एक ही सेक्शन है और उसकी लेंग्वेज बिलकुल सही है जो लॉ डिपार्टमेंट ने बहुत सोच समझ कर की है। हाई कोर्ट के फैसले को सम्मान के साथ मान कर यह बिल हाउस के सामने पेश किया गया है, सिलेक्ट कमेटी में जाने से इसकी लेंग्वेज में कोई फरक नहीं आवेगा।

इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसको वे वापिस ले लेंगे और मैं यह प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को इसी रूप में पास किया जाय।

श्री **अध्यक्ष**—श्री हरिकृष्ण व्यास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान एक्साइज (संशोधन) विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है ।

(विराम)

श्री हरिकृष्ण व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री **भैरू सिंह** (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, मैं इसका विरोध करूंगा ।

श्री **अध्यक्ष**—किसका ? एक ही तो क्लॉज है ।

श्री **भैरू सिंह**—माननीय अध्यक्ष, मैं.........

श्री **अध्यक्ष**—'You don't want to go from the House earlier than five ? This is only one clause Bill.

श्री **भैरू सिंह**—यह बात तो नहीं है ।

श्री **अध्यक्ष**—Amendment by Shri H. K. Vyas. Not present. He looses his right of moving.

श्री **भैरू सिंह**—एक क्लॉज ही है पर है बहुत घातक ।

श्री **भैरू सिंह**—अध्यक्ष महोदय, इस कानून की आवश्यकता जैसा कि सरकारी सूत्रों से, जो इस बिल में उद्देश्य तथा कारणों का विवरण दिया है, उनको पढ़ने से ऐसा पता लगता है कि राजस्थान सरकार को एक्साइज एक्ट के मातहत अधिकतर ऐसा अधिकार था कि जिसके कारण कुछ रूलर्स और लोगों को इससे मुस्तसना किया जा सकता था लेकिन उसमें विशेष रूप-रेखा नहीं होने से अब सरकार यह चाहती है कि जिस कारण से हाई कोर्ट में जाने से वह सुविधा बन्द हो गई उसको दूर करने के लिये यह संशोधित बिल लाने की आवश्यकता पैदा हुई है ।

श्री **अध्यक्ष**—That is true.

श्री भैरूं सिंह–सरकार का यह कहना तो है लेकिन माननीय अध्यक्ष, मैं आज इस विषय को लेकर सदन से यह चाहूंगा कि अभी जो हाई कोर्ट ने इस बिल के खिलाफ फैसला दिया है, क्या आज भी शराब जैसे मामलों में राजे महाराजाओं को सरकार एक्साइज एक्ट के मातहत मुस्तसना रखना चाहती है ? राजाओं को हम जिस प्रकार की राहत देते हैं यह बहुत अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन यह राहत का प्रश्न जो शराब के मामले को ले कर दिया जाता है यह विचारणीय है। इसके लिये केवल एक ही बात कही जा सकती है और इसी बात को लेकर यह कहा जा सकता है कि कोवनेन्ट में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें इसका उल्लेख किया गया है। इसलिये हम उस एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी नहीं करते और इसलिये यह आवश्यक है कि हमें उनको एक्साइज एक्ट से मुस्तसना करना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष, कोवनेन्ट में कई बातें थीं जिनके अनुसार अग्रीमेंट किया गया था। भारत सरकार ने राजस्थान के राजप्रमुख से यह एग्रीमेंट किया था कि वे आजीवन राजप्रमुख बने रहेंगे। लेकिन जनता ने उनके आजीवन राजप्रमुख बने रहने का विरोध किया और इसी कारण 'बी' क्लास स्टेट से 'ए' क्लास स्टेट बनाना पडा और आज वह दिन आया कि राजस्थान के राजप्रमुख जिनको आजीवन राजप्रमुख रखने का वचन दिया गया था, उनको राजप्रमुख तो रखना दूर रहा लेकिन भारतवर्ष में राजप्रमुख के समानता के किसी पद पर भी उनकी नियुक्ति नहीं की गई है। आज जिसे सरकार राजप्रमुख के पद पर नहीं रख सकती तो फिर उनको एक्साइज एक्ट से किस प्रकार की सुविधा दी जावे और सरकार उनके साथ रियायत करे। पब्लिक नहीं चाहती कि उनके साथ कोई रियायत की जावे। पब्लिक ने राजाओं का विरोध किया, राजाओं को हटाया गया, पब्लिक ने जागीरदारी का विरोध किया और बाद में राजप्रमुख की प्रथा का विरोध किया और जनता के विरोध पर सब को समाप्त किया गया। अब उनको एक छोटी सी शराब की छूट के लिये कानून बनाया जा रहा है। यह बिलकुल गैर कानूनी है। राजाओं को रियायत दी जाने के बहाने ऐसे लोगों को रियायत दी जावेगी जो सरकार के हिमायती और पक्षपाती हैं या हमारी सरकार के ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें सरकार के पास पहुंचने की सामर्थ्य है, तो उनको यह रियायत दी जाती है।

श्री मथुरादास माथुर—सरकार के पक्षपाती हों या कोई भी हों, इसका इस बिल से कोई संबंध नहीं है। बिल पर ही बोलना चाहिये।

श्री भैरूं सिंह—मेरे पास बहुत सी मिसालें हैं जिनसे यह साबित करूंगा कि इस कलॉज का दुरुपयोग...........

श्री अध्यक्ष—आप कलॉज के बारे में ही कहें। आपको जो कुछ कहना हो इस कलॉज के बारे में ही कहें।

श्री भैरूं सिंह—मैं आपको बताऊं कि इसी सरकार की ओर से एक जैन केमिकल फर्म को सरकार ने परमिट दिया........

श्री अध्यक्ष—How is it relevant ?

Page No.103

श्री भैरू सिंह--यह बिलकुल स्कोप में है।

श्री अध्यक्ष--No, no. Then I call the Hon'ble member to order. It must be within the scope of this clause.

श्री भैरू सिंह--मैं थोडा सा अर्ज कर रहा हूं, आप उसको सुनने के बाद डिसीजन दें।

श्री अध्यक्ष--Leave it to me to exercise this right. I know, I have heard you. We are proceeding clause by clause and only if the hon'ble member has to say in opposition of this clause, he can say. If he has to suggest some amendment he can move but he cannot go beyond the scope of it and go back upon the discussion of the principles.

श्री भैरू सिंह--माननीय अध्यक्ष, मैं स्कोप के बाहर जाने का विचार नहीं कर रहा हूं। यह कलॉज जो आज तक या उसका किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया है उसको मैं बता देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--दुरुपयोग किया गया होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इस वर्तमान कलॉज के लिये क्या चाहते हैं ?

श्री भैरू सिंह--मैं यह चाहता हूं कि इस कलॉज का लोप कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--I don't want any instances of the back past.

श्री भैरू सिंह--मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इसको लोप कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--यह नया इन्सर्शन है।

श्री भैरू सिंह--कुछ शब्दों को तोड मरोड कर यहां लाया जा रहा है। मैं यह कहूंगा कि यदि आप इस पर अनुमति नहीं देंगे तो मैं इस पर जिद्द नहीं करूंगा। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि यह एक रिलेवेन्ट इन्सर्शन है........

श्री अध्यक्ष--इसमें एक ही कलॉज है। यह तय हो गया है कि सिद्धान्त रूप से इसको कन्सीडरेशन में लाया जावे। जब सैद्धान्तिक रूप से मान लिया गया तो फिर आपका यह मोशन कि इस कलॉज का लोप किया जावे, it is denying the Bill itself and going back upon the principles. The hon'ble member should understand my view point. There is only one clause and if there is any motion for the deletion of this clause, that will mean going back upon the principle stage which is not permissible under the Rules. If the hon'ble member has to say anything, he should confine himself to the amendment. This is the only clause and if he goes back upon the principles that will not be allowed. I think I am quite clear to the Members of this House.

श्री भैरू सिंह--माननीय अध्यक्ष, जिस समय इसको विचारार्थ लिया गया था, यह प्रस्ताव जिस समय प्रस्तुत हुआ उस समय हमने इसके उद्देश्यों और कारणों को देखा था, लेकिन अभी माननीय संबन्धित मंत्रीजी ने जो भाषण दिया उससे मालूम होता है कि वे इससे भी आगे बढ़ने की चेष्टा रखते हैं और इसलिये इसकी आवश्यकता महसूस हुई, इसलिये इस क्लोज का पूर्णतया विरोध किया जावे।

श्री अध्यक्ष--Don't be led away by any speeches. Go by the specific provisions of this clause.

श्री भैरू सिंह--तो मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय अध्यक्ष, कि इस क्लॉज के अनुसार जो सरकार को छूट मिलने वाली है वह छूट मैं समझता हूं कि मिलना अच्छा नहीं होगा इसलिये इस क्लॉज का लोप कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष--I will not allow any amendment which will take me back to the discussion of the principles stage.

श्री भैरू सिंह (वि. सं. १६)--मेरा सेकण्ड रीडिंग पर कहने का हक है।

श्री अध्यक्ष--There are Rules.

श्री भैरू सिंह--एक माननीय सदस्य का अमेंडमेंट था।

श्री अध्यक्ष--That amendment was for a different purpose.

श्री भैरू सिंह-- वह मंजूर हो जाता है तो......

श्री अध्यक्ष--That is for educational institutions and not for persons. This amendment is before me.

श्री भैरू सिंह--यह एमेन्डमेंट मंजूर कर लें तो मैं मूव नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष--He is not here. How can I help ? I will give the hon'ble member every opportunity to oppose the Bill at every stage but then there are limitations. He can bring any amendment even at this stage but that will not invalidate the proceedings held so far.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस क्लॉज पर बोलते हुए एक दो बातें कही हैं, एक तो यह कहा कि इसमें रूलर्स को जो एग्जेम्प्शन दिया गया है.....

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं। जब थर्ड रीडिंग पर कुछ कहा जाय तो आप जवाब दे दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज २ को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९५६ के क्लॉज १, शीर्षक व प्रिएम्बल को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, शीर्षक व प्रीएम्बल विधेयक के अंग बने ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९५६ को पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक्साइज (अमेन्डमेन्ट) बिल के तृतीय वाचन पर मुझे यह निवेदन करना है कि आज के युग के अन्दर इस प्रकार का कानून पास करना समय से विपरीत होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर हम इस बिल के स्टेटमेन्ट्स ऑफ ओब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स की आखिरी तीन पंक्तियों को देखें तो हमें इस बात का मालूम पड़ जायगा कि यह कानून किस प्रकार का है। राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले के अन्दर इस प्रकार की बात कही है :—

"The provision declared by the High Court to be void is now proposed to be altered so as to take away from it all semblances of arbitrary, unbridled and unregu'ated character."

अध्यक्ष महोदय, हाई कोर्ट ने खास तौर से स्ट्रांग एक्शन पर्टीश्यूलर केस में ले लिया यह हमें हाई कोर्ट के फैसले से मालूम पड़ता है जिसके अन्दर हाई कोर्ट ने इस प्रकार की बात कही है। एक बात सब से पहले में सब माननीय मित्रों से निवेदन करूंगा कि वह यदि हाई कोर्ट, जिसको सब से उच्च न्यायालय माना जाता है वह, किसी बात को गलत ठहरा देता है तो उस बात को इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट लाकर रेक्टीफाई करना, इस इन्टेन्शन से कि हाई कोर्ट यदि किसी बात को गलत ठहरा देता है तो थोड़े शब्दों का हेरफेर करके सरकार पुनः उसको ठीक कर सकती है, यह जो गलत नीति अपनायी जा रही है वह सरासर गलत नीति है । मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार से हाई कोर्ट जो फैसला देता है उसमें इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट बिल लाकर फिर ठीक करना हाई कोर्ट के फैसले का अपमान मानता हूं। हमारी विधान सभा में जितने भी अमेन्डमेन्ट बिल आये हैं वे सब इसी प्रकार के हैं जिनमें हाई कोर्ट के फैसले को रद्दोबदल करके उसे कार्यान्वित न होने दिया जाय, इसी बात के लिये यह अमेन्डिंग बिल लाये जाते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हाई कोर्ट के लिये मैं एक बात कहदूं कि सरकार को इस प्रकार के अख्त्यारात नहीं होने चाहिये जिसके जरिये वे चाहे जिस व्यक्ति को एक्साइज ड्यूटी से छूट दे दे। और जब कि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया उसके बाद सरकार को

[श्री मानसिंह महार]

चाहिये कि उसके फैसले को शिरोधार्य करे। और सरकार को एक्साइज ड्यूटी में छूट देने को बात नहीं करनी चाहिये। सरकार दूसरा संशोधन ले आती है और उसके द्वारा हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करवाती है। मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार की अगर चीजें होंगी, जो बहुत ज्यादा हो रही हैं, मैं यह समझता हूं हाई कोर्ट के फैसले को उसके निर्णय में जो आज तक लोगों की श्रद्धा बनी हुई है वह कम हो जायगी। मेरी यह निश्चित धारणा है कि हाई कोर्ट के फैसले को बदलने के लिये कोई चीज सदन में लाते हैं...

श्री अध्यक्ष—हाई कोर्ट के अधिकारों पर बहस नहीं हो रही है, आप तो बिल पर बोलिये।

श्री मानसिंह महार—अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बातें कर हम हाई कोर्ट को एक प्रकार से समाप्त कर देना चाहते हैं। अब मैं केवल इस बिल के बारे में निवेदन करूंगा। इस बिल के बारे में मुझे यह निवेदन करना है अगर इस बिल के अन्दर सरकार अपनी कोई सीमायें निर्धारित कर लेती तो हमको शायद इतना अधिक ऐतराज नहीं होता। लेकिन सरकार ने जहां यह रख दिया है कि सरकार जिनको उचित समझेगी उनको एक्साइज ड्यूटी से मुक्ति दे सकती है। आज तक अध्यक्ष महोदय, हमें तजुर्बा है सरकार ऐसी २ फर्म्स को ही एक्साइज ड्यूटी से मुक्त करती आ रही थी। लेकिन इस बिल द्वारा वे राजाओं को भी इससे मुक्त करना चाहती है, इससे जनसाधारण को कोई लाभ नहीं होगा। अगर यह ऐसा भी मामला हो कि जिससे जन साधारण को फायदा होने वाला हो तो हम यह भी मान लें, किन्तु आज जब हम समाज वाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो एक गरीब आदमी जो एक रुपये के गुड़ में शराब निकालकर अपने लिये रख सकता है और इस प्रकार यदि कोई शराब ले जाता है तो उस पर अध्यक्ष महोदय, पचासों पाबन्दियां हैं उस पर जलेबी चोक में मुकदमा दायर हो जाता है और जेल के सींकचों तक में बन्द किया जा सकता है। लेकिन आज बड़े २ राजाओं को जिनकी रियासतें खत्म हो गई उनको इस प्रकार की रियायतें देना, हमें इसमें यह भी शंका होती है अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार शराब जैसी बुरी चीजों के लिये उन लोगों को रियायत देना, कुछ खतरे से खाली नहीं है। इससे हमें मालूम होता है हमारा इन्टेन्शन साफ नहीं, इससे तो यह साफ मालूम होता है कि आप लोग यह चाहते हैं कि राजा लोगों को शराब में मस्त रखा जाय ताकि उनके दिमाग में सुधार न हो। इस प्रकार अगर रियायतें दी जायगीं तो कल इस प्रकार की बातें भी हो सकती हैं कि आज के युग के अन्दर जहां हम प्रोहीबिशन लाना चाहते हैं और मैं किसी जयपुर के रेस्टोरां में चला जाऊं और अगर शराब पीना चाहूं उसके लिये तो सरकार पाबन्दी लगाना चाहती है लेकिन वे लोग जो कीमती शराब और बढ़िया से बढ़िया शराब लिये फिरें लेकिन उनको ड्यूटी नहीं लगेगी यह अजीब बात है। अगर वे ड्यूटी देने में असमर्थ हों तो यह मान भी लिया जाय लेकिन एक आदमी जो बहुत धनवान है उससे ड्यूटी वगैरह लेते हैं तो क्या बात है? लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमको भय यह होता है कि आज-कल जो राजाओं के नाम पर छूट दी जायगी तो उसका नतीजा यह होगा कि हमारे कई मित्र जो आज-कल बहुत अधिक राजाओं के राजभवन में आने जाने लगे हैं इस छूट का लाभ उठाकर मदिरा पान करने न लग जांय, क्योंकि वहां पर तो यह चीज बहुत रियायत से मिलेगी। हो सकता है, खास तौर से मेरा निवेदन मेरे उधर बैठने वाले मित्रों से है, क्योंकि हम लोगों पर तो इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं

[श्री मानसिंह महार]

क्योंकि इधर बैठने वाले तो हमेशा से पीते आये हैं और पीने वाले हैं और मैं जो कभी नहीं पीता हूं तो मेरे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं, लेकिन जो लोग आज तक नहीं पीते आये हैं राजाओं के सम्पर्क में आने के कारण वे कहीं पीने न लग जांय खास कर मेरा मुखियाजी से निवेदन है कि कहीं वे किसी जगह जांय और उनके मुंह में पानी आजाय और इस प्रकार की बात हो जाय। तो वैसी हालत में समाजवादी ढांचा हम बनाने जा रहे हैं वह खत्म हो जायगा। इसलिये मैं सदन के समस्त सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आज के युग के अन्दर जब कि हम समाजवादी समाज की रचना की ओर बढ़ रहे हैं, जिस युग में धर्म को कुछ भी न माना जाय जिस युग में डाकुओं से सांठ गांठ करने वाले नेता माने जांय ऐसे जमाने के अन्दर राजाओं के नाम पर डाकुओं से मदद के लिये पैसे मंगाना और हम लोगों को यह कहना कि हम तो राजाओं के साथ इस प्रकार की रियायत बरतना चाहते हैं, सरासर गलत है।

यह रियायत कभी भी नहीं देनी चाहिये। यह बात अगर मैं कहूंगा तो स्वार्थपरता होगी। क्यों दी जावे राजाओं को? मांग भी उन्होंने की हो तो मान सकते हैं। उन्होंने मांग नहीं की। यह तो सरकार ने ही एक गलत प्रकार की छूट दे रक्खी थी। अगर इसके ओब्जेक्ट्स और रीजन्स में यह होता कि इनको यह रियायत दी गई तो भी हम मान सकते थे। पर यह भी नहीं! ये सारी बातें न होते हुए भी सिर्फ यह अमेन्डमेन्ट इस नीयत से रक्खा गया मालूम होता है कि इसकी आड़ में अपने कृपापात्रों को रियायत दी जाती रहे। अभी मेरे एक मित्र ने इसकी मिसाल भी दी कि किस तरह से ७०० बोतल शराब के बारे में रियायत अपने एक साथी के रिश्तेदार को दी गई। तो इसकी आड़ में अपने और भी कृपापात्रों को रियायत दी जावे इसका एक प्रयास मात्र यह है। तो इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसका वे विरोध करें।

श्री अध्यक्ष—कितने सदस्य बोलना चाहेंगे इस पर।

श्री भैरूंसिंह—सभी बोलेंगे साहब।

श्री शंभूसिंह—एक तो मैं बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष—तो बोलिये आप। इस पर आप आज बोल लें। फिर बाकी कल पर रक्खा जावे।

श्री भैरूंसिंह—इस पर तो बहुत बोलना है, साहब। यह तो ऐसा बिल है कि इस जैसा खराब बिल आज तक इस सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह तो बहुत सीधा-सादा है।

श्री भैरूंसिंह—आपने दस वर्षों में गल्तियां कीं और उनको एक दिन में आप लीपा-पोती करके ठीक करना चाहते हैं, हम यह बात कभी नहीं होने देंगे। इस पर तो हम समय लेंगे।

श्री अध्यक्ष—आज ही ले लें फिर इसको····

Page No.108

श्री भैरूं सिंह—हमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—तो इसमें क्या करना है, एक्साइज बिल में ?

श्री भैरूं सिंह—बिल तो पेश ही है साहब ।

श्री हिम्मतसिंह—आज तो एटली और मेनन साहब की स्पीचें होने वाली हैं उनका भी हमें ध्यान रखना है ।

श्री अध्यक्ष—I refuse. Nothing is more important than this House. I refuse to recognize anything more important than the sitting of this House.

श्री भैरूं सिंह—वह ठीक है । हम तैयार हैं साहब । बोलना तो है ही । मैं एक बात निवेदन करता हूं कि आज इस नगर मंडल विधेयक को नहीं लेंगे इस सेक्शन में तो कल समाप्त कर सकते हैं या आज ही समाप्त हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष—That is on the Agenda.

श्री भैरूं सिंह—कल चलेंगे तो फिर साहब । फिर इसे कल ले लीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष—तो इसे आज ले लिया जाय ।

श्री भैरूं सिंह—यह तो एक क्लॉज का है । बोलना तो इस पर भी है ।

इसके अतिरिक्त इस पर जो एक्साइज वाला बिल है काफी कहना पड़ेगा । इसके अन्तर्गत कितनी गड़बड़ी और भृष्टाचार है यह बताना होगा ।

श्री अध्यक्ष—तो वही बता दें ।

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस एक्साइज एक्ट (संशोधन) विधेयक में ऊपर की क्लाज में लिखा है :

> "Wherein in the opinion of the Government reasonable grounds exist for doing so......

और इसका उद्देश्य इसके पेज २ की ऊपर की लाइन में लिखा है । "संधिपत्र के प्रावधानों को ऐसे शासकों के विशेषाधिकार के संबंध में या प्रतिरक्षा के कर्मचारी वृन्द या शैक्षणिक या अन्वेषण संस्थाओं को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है सम्भव नहीं होगा ।"

इसका मतलब यह है कि यदि यह कानून नहीं बनता है तो राजाओं को सुविधाएं देने की जो बात है वह नहीं मिलेगी, प्रतिरक्षा के कर्मचारीवृन्द या शैक्षणिक या अन्वेषण संस्थाओं को जो मदद देना हो तो वह भी नहीं मिलेगी ।

[श्री भैरूंसिह (दांता रामगढ़)]

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यदि रीजनेबल ग्राउड्स का कोई न्याय नहीं, किस प्रकार का क्या कारण होगा, इसके अभाव में तीन चीजें जोड़ कर सरकार को अधिकार देते हैं कि जो उसकी मरजी आवे वही रीजनेबल ग्राउन्ड है इस बात का संकेत करके कानून से मुक्त रखेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार के इस प्रकार के स्टेप से ६ हजार का घाटा हुआ है उस प्रकार का घाटा और होगा और होता रहेगा ।

इसी जयपुर शहर में एक जैन केमिकल वर्क्स है; उसकी ओर से राजस्थान सरकार को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया कि मुझे कुछ अलकोहल मिक्सचर्स प्रीपेअर करने हैं दवाईयों के लिये उसके लिये छूट दी जाये और अलकोहल प्रोपेरेशन के लिये परमिट दे दिये जावें । एक्सपोर्ट करने के लिये भी स्वीकृति दी जावे । वह सब दी गई । छूट भी दी गई । अब आप देखें कि उसमें ५८ ओ पी की शराब निकाली गई जो आमतौर से पक्के से पक्का शराबी भी पसन्द नहीं करेगा । इतनी तेज शराब । इसको दवाई के नाम से निकाला गया । अब इसके लिये राजस्थान एक्साइज कमिश्नर से परमिट लिया गया बम्बई भेजने के लिये । दवाई के नाम से । अब उस वक्त बम्बई भेजने के लिये शर्त रखी गई कि बम्बई से पहले परमिट प्राप्त किया जाय और उसकी एक्साइज ड्यूटी भी पहले दी जाय । पर फिर पन्द्रह ही दिन के भीतर २ दूसरा आर्डर निकलता है और उस आर्डर में इन शब्दों को डिलीट कर दिया जाता है जिनमें बम्बई की परमिट की आवश्यकता को हटा दिया गया । दूसरा अमेन्डमेंट और हुआ । एक्साइज ड्यूटी अदा करके फिर भेजने की जो पाबन्दी थी वह भी हटा दी गई । वह भी माफ कर दिया गया । और इस तरह से एक फर्म को एक बेजा रियायत देने के लिये यह सब कुछ किया गया । अब वह शराब की ३५० बोतलें बम्बई भेजी जाती हैं पहले पहल । यहां से जाते वक्त किसी को खबर नहीं लगी । यहां से रवाना होने के बाद कुछ सुराग लगा और पता लगा । यहां से बम्बई पुलिस के नाम टेलीग्राम भी चला गया । पर बम्बई टेलीग्राम के रिसीव होने से पहले पहले वह कन्साइनमेंट डिस्पोज आफ हो चुका था । अब इसके बाद दूसरे कन्साइनमेन्ट को भेजने की बात सोची गई । उसमें भी ३५० शराब को वही बोतलें थीं । उनकी बोतलों पर पाउडर का लेबल लगाया जाकर भेजा जाने लगा । पर एक्साइज अधिकारियों ने उस कन्साइनमेन्ट को पकड़ लिया । उन ३५० बोतलों में ५८ ओ पी की शराब निकली ।

उन अमेन्डमेंट किये गये ऑर्डरों को, जिनमें इन शब्दों को डिलीट किया गया है, वे आर्डर मेरे पास हैं। समया भाव के कारण ऑर्डर पढ कर यहां मैं नहीं सुनाना चाहता मैं सिर्फ आपको कॉपी दे सकता हूं ।

ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता था कि रीजनेबल ग्राउन्ड पर परमिट देने की बात कहकर अपने मनचाहे ग्राउन्ड पर परमिट देने का अधिकार इस सरकार को दे दिया गया तो निश्चित रूप से जिस प्रकार जैन कमिकल वर्क्स के एक नेता के संबंधी होने के कारण से और रुपया लेकर परमिट दिया गया है उसी प्रकार की क्रियाएं एक बार नहीं इस राजस्थान सरकार में बार बार होंगी । जांच नहीं हो रही है, इसकी आज भी ।

[श्री भैरूंसिह (दांता रामगढ़)]

दवा के लिये परमिट मांगते हैं और बिना जांच किये ही परमिट इश्यू हो जाते हैं । इसकी एन्क्वायरी भी चल रही है । अब ये बोतलें जो हैं वे भी सरकारी हैं । एक प्राइवेट फर्म से मिलकर बोतलें दी जाती हैं और पाउडर के नाम पर राजस्थान सरकार की परमिट से बम्बई भेजी जाती हैं । बम्बई से परमिट नहीं दिया जाता है तो परमिट की शर्त हटा दी जाती है, एक्साइज ड्यूटी देने की नौबत आती है तो वह माफ कर दी जाती है । यह तो ६ हजार का नुकसान सरकार खाकर बरदाश्त कर गई है अपने एक नेता के रिश्तेदार की यह फर्म होने के कारण ।

तो इस तरह से इन राजा-महाराजाओं आदि को आड़ में अपने सगे संबंधियों की परवरिश करना चाहते हैं । एक तरफ शराब बन्द करना चाहते हैं । दूसरी और अपने सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाने के लिये इस तरह के निन्दनीय कृत्य किये जाते हैं । सही बातें कहना धर्म है और इसीलिये सही बातें हम कह रहे हैं । दूसरी और झूठे परमिट दिये जाते हैं सरकार को नुकसान पहुंचाकर यदि परमिट दिये जावें अपने सगे संबंधियों को इस तरह के कामों से फायदा पहुचावें इसको ये उधर के बैठने वाले नेता लोग धर्म मानते हैं । तो मैं समझता हूं कि धर्म का न्याय किस तरफ जायगा । धर्म क्या है और अधर्म क्या है इसका उनको खुद को ज्ञान नहीं है ।

जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, धर्म के नाम पर कहा । मैं उनसे एक ही शब्द में कहूंगा कि क्या यही आपका धर्म है । धर्म तो यह है कि यह एक तरह से जनता की धरोहर आपको सौंपदी गई है उस धरोहर को हम अगर ईमानदारी से सुरक्षित रक्खें तब तो धर्म है नहीं उस धरोहर को यों लुटाते रहें तो मैं कहता हूं निश्चित रूप से यह एक बड़ा भारी पाप है, अधर्म है ।

मैं चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष, जिससे इतनी छूट सरकार को हो, इस छूट वाले इस प्रकार के कानून को विधान सभा पास नहीं करे तो बहुत ही अच्छा होगा । और इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री शंभुसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्साइज बिल पर बोलते हुए संक्षेप में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसमें यह व्यवस्था की गई है कि यह राजाओं या दूसरे मिलेट्री या डिफेन्स के परसोनल हैं या और दूसरी इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनको जो सुविधा प्राप्त होनी चाहिये उनको इस कानून के रहते हुए सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती है, इसलिये संशोधन किया जा रहा है । जहां तक राजाओं का प्रश्न है इसमें कोई एतराज नहीं है । राजाओं की जो स्थिति है वह विधान के द्वारा सेफगार्डेड है । सारे नागरिकों से ऊपर उनकी स्थिति है । इस वास्ते मेरे खयाल से राजाओं के वास्ते तो कोई प्रश्न उपस्थित नहीं हो सकता । राजाओं के द्वारा और भी कार्य किये जाते हैं कि जो साधारण नागरिक समान्य कानून के अनुसार नहीं कर सकता है । बहुत से टेक्सेशन ऐसे हैं कि जिनसे राजा एक्जेम्पटेड हैं । राजाओं को कुछ सुविधाएं देने में आपत्ति नहीं है । राजाओं को ही सुविधा देने का ही हमारा लक्ष्य होता है तो एक क्लॉज और एक्ट में बढ़ा दी जाय कि एक्साइज के प्रोवीजन जो हैं वे राजाओं पर लागू नहीं होंगे । मगर राजाओं के नाम का बहाना लेकर हमें इसमें और कोई दूसरी बात प्रतीत होती है । इस प्रकार के लोगों को सुविधा दी जायगी जो कि भेदभाव मूलक होगी । किन्हीं

[श्री शम्भुसिंह]

विशेष व्यक्तियों को, विशेष अधिकारियों को एक्सेसाइज करके लाभ पहुंचाने के वास्ते इस प्रकार को छूट दी जायगी। और उनको इस प्रकार को छूट दी जाकर नाजायज तौर पर एग्जेम्प्ट करेंगे न केवल टेक्स लेवी करने से बल्कि दूसरी और बातें लेवी करने से भी। इससे वे नाजायज तरोके डिस्ट्रीलेशन भी वे कर सकेंगे और शराब बनाकर मनमाने तरीके से नाजायज उपयोग भी कर सकेंगे इस वास्ते वह भेदभाव होता है। इस एक्ट को आड में सरकार को इस प्रकार की कोई शक्ति नहीं देदें कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा उसका नाजायज तरीके से उपयोग कराये। और खास तौर से मुझे उस हालत पर यह निवेदन करना है कि जब उसमें यह व्यवस्था की गई है कि हम मिलेट्री परसोनल और इन्स्टोट्यूशन्स जो कि दवाइयां इत्यादि बनाने वाली हैं उसके वास्ते इसमें साफ शब्द नहीं है। इसमें सिर्फ यह लिखा हुआ है कि जिनको रीजनेबल ग्राउन्ड पर मुनासिब समझेंगे उनको देंगे। तो इस प्रकार के वे वेग शब्द हैं। इस प्रकार की डिस्क्रीमिनेटरी पावर्स आज कल के समाजवादी ढांचा बनाने की जो बात कही जाती है उस समाजवादी ढांचे के विपरीत पड़ती है। और समाज के एक वर्ग को इस प्रकार से छूट देना और और नागरिकों से इस प्रकार का भेदभाव करना है। कुछ नागरिकों को छूट दी जाय और कुछ नागरिकों को छूट नहीं दी जाय यह भेदभाव मूलक कानून होगा और यह कानून दरअसल में गलत होगा। यह विधान के विपरीत होगा। इस वास्ते मैं समझता हूं कि यह एक अनहोना कानून है और इसको पास नहीं किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—(बद्रीप्रसाद गुप्ता से) आज देंगे या कल देंगे जवाब ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, जिस दलील के बारे में मैंने जवाब दे दिया था उस दलील को दुबारा दोहराया गया है। मैं फिर यह बात निवेदन करूंगा कि यह जो दलील दी जा रही है कि राजाओं को, डिफेन्स परसोनल और इन्स्टोट्यूशन्स को इस बात से मुक्त किया जा रहा है और गवर्नमेंट को इस बात के पावर्स नहीं होने चाहियें, तो मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट को पहले अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स १९५० के एक्ट के अन्दर थे। वह एक्ट हमारे यहां चालू था। उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिये, उसका दुरुपयोग नहीं हो यह अमेन्डमेंट लाया गया है। फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि आपत्ति किस बात में होनी चाहिये।

श्री भैरूंसिंह—यह कहा है कि यह क्लॉज अलट्रावायर्स हो गया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हाई कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि इस तरह की पावर्स नहीं होनी चाहिये, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहा कि अनरेस्ट्रिक्टेड पोवर्स नहीं होने चाहिये। जब अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स थे तब तो कोई शिकायत नहीं थी।

श्री भैरूंसिंह—यह पॉवर्स अनरेस्ट्रिक्टेड हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नहीं, अनरेस्ट्रिक्टेड नहीं है। यह अंग्रेजी भाषा के, लेंग्वेज के समझने की बात है, यह मैं आपको समझा दूं। इस मामले में मैं दावा कर सकता हूं कि उसको मैं समझता हूं। "Where in the opinion of the Government reasonable grounds exist...."

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

It means that the Government will give reasons for such exemption. गवर्नमेंट रीजन्स अगर नहीं देती है कि किन रीजन्स पर एग्जेम्प्ट कर रही है तो It will be ultra vires. हाई कोर्ट के आर्डर से उसे उलट सकते हैं, यह इसमें लिखा हुआ है कि रीजनेबल ग्राउन्डस् होने चाहिये ।

श्री भैरूं सिंह—रीजनेबल ग्राउन्ड तो यह भी हो सकता है कि कोई आदमी शराब पीना चाहता है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—It is not a reasonable ground. यह कानून की बात है और यह लीगल लेंग्वेज है तो इसको समझने की कोशिश करनी चाहिये । मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि रीजनेबल ग्राउन्ड होने चाहिये । केवल यह कह देना कि शराब पीने की आदत है, दे दिया जाय; that is not reasonable ground, that is an unreasonable ground. The High Court is bound to set aside that order. हाई कोर्ट के इस संबंध में बहुत से फैसले हुए हैं कि रीजनेबल ग्राउन्ड क्या होना चाहिये और बहुत से फैसले ऐसे हैं उनका यही इन्टरप्रिटेशन है । इसलिये यह खयाल करना कि यह पावर्स अनरेस्ट्रिक्टेड हैं then you go to the High Court और हाई कोर्ट उसको केन्सिल कर देगा । अब आप कहते हैं कि अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स नहीं होने चाहिये । तो आप खयाल करें कि इससे जो अब तक गवर्नमेंट के अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स थे वह नहीं रहेंगे । It is only there. That is not so.

श्री भैरूं सिंह—हाई कोर्ट के डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर इसको खारिज किया है । डिस्क्रिमिनेटरी अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स थीं गवर्नमेन्ट को, इसलिये इसको खारिज किया गया है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह बात नहीं है । यह कहा है कि अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स नहीं होने चाहिये । यह हाई कोर्ट ने लिखा है कि अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स कर दिये हैं और अब भी आप समझते हैं कि इतने अनरेस्ट्रिक्टेड पावर्स हैं then you go to the High Court और हाई कोर्ट कह देगा, I would respectfully submit that this is not so. We are so advised by the Law Department, and from my own experience of law I can say that these powers are restricted. हाई कोर्ट के जजमेन्ट के रेस्पेक्ट में ऐसा किया गया है ।

एक दलील यह दी गई है कि राजाओं के बारे में कवेनेन्ट में है तो क्या हुआ ? बहुत से राजप्रमुखों को, जिनको कि आजन्म के लिये हटा दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिये । मैं निवेदन करूंगा कि जो आज राजाओं को कवेनेन्ट में प्रिविलेजेज दिये हैं जिन्हें कान्स्टीट्यूशन में रिकग्नाइज किया है । मैंने पहले भी एक मौके पर कहा था कि कान्स्टीट्यूशन के अनुसार प्रोवीजन पास करना आवश्यक था । वह प्रोविजन प्रिविलेजेज हैं ।

श्री भैरूं सिंह—जयपुर नरेश को भी आजन्म राजप्रमुख बनाने की शर्त मन्जूर की गई है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—I don't disturb you and you should not cultivate that practice'. मैं निवेदन करूंगा कि under the Constitution the Government is bound to recognise these privileges. और उन प्रिविलेजेज को रिकग्नाइज करने के लिये ऐसा किया गया है ।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

इन्स्टीटयूशन्स से वे इन्सीट्यूशन्स कवर होती हैं जो कि उसका सदुपयोग करती हैं। होस्पिटल्स में स्पिरिट मंगाये जाते हैं जो कि एक दवा के काम में आते हैं। यह एक उद्योग के काम में आती है। इसके लिये रीजनेबल ग्राउन्ड होते हुए भी गवर्नमेन्ट को एग्जेम्प्ट करने के पावर्स नहीं हों तो मैं समझता हूं कि कानून का दुरुपयोग होगा। जिस तरह से यह कानून रखा गया है वह लीगल होगा। हाई कोर्ट का जो जजमेन्ट है उसके समर्थन में ऐसा किया गया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको पारित कर दिया जाय। इसमें खतरे की बात नहीं है और गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई ज्यादती होने वाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान एक्साइज (संशोधन) विधेयक, १९५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

राजस्थान नगर मंडल वैधकरण विधेयक, १९५६

(विचारार्थ)

श्री अध्यक्ष—दूसरे पर बोलिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगर मंडल वैधकरण विधेयक, १९५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—इसके उद्देश्य तो बतला दीजिये कि क्यों लाया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि इसको स्पष्ट करदूं, २ मिनिट के लिये कि क्यों ऐसा कानून बनाया गया है। कुछ माननीय सदस्यों से मेरी बात हुई थी। उनका यह ख्याल था कि राजस्थान गवर्नमेन्ट ने अपनी फर्स्ट लाइफ में बहुत बड़ी गलतियां की हैं उनको इस विधान सभा से वेलिड कराने के लिये यह लाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। यह क्यों लाया जा रहा है, इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि जोधपुर स्टेट में राजस्थान बनने से पहले की बात है कि उस समय बहुत सी म्युनिपेलिटीज़ वहां पर कायम थीं। मगर वहां पर कोई कानून नहीं था और कानून नहीं होने के कारण बहुत सी म्युनिसिपेलिटीज़ कायम कर दी गई और बिना उनकी लिमिट कायम किये ही वहां पर टेक्सेज़ लगा दिये गये, वार्ड्स बना दिये गये, मेम्बर्स का चुनाव हो गया। सन् ३५ से इस तरह से बहुत सी म्युनिसिपेलिटियां चलती आ रही हैं। जब यह हाई कोर्ट में मामला गया और यह बात सामने आयीं ५३ में। अब तक टेक्सेज़ वापिस देने की बातें सामने आयीं।

श्री अध्यक्ष—अक्षर उल्टे हो गये। सन् ३५ और ५३।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जब यह मामला हाई कोर्ट में गया कि म्युनिसिपेलिटो ने ज्यादती की है कि इस तरह से टेक्सेज वसूल कर लिये, तो उन्होंने कहा कि म्युनिसिपेलिटी की लिमिट नहीं है, लिमिट्स होनी चाहिये। सन् ३५ से ५३ तक किसी ने नहीं किया। सन् ५३ में जाकर यह वकीलों के दिमाग में बात आयी। जोधपुर म्युनिसिपेलिटी ने कहा कि लिमिट्स कायम हैं, टेक्सेज लिये हैं लेकिन गवर्नमेन्ट का ओर्डर नहीं मिला क्योंकि कोई कानून नहीं था। इसलिये हाई कोर्ट ने कहा कि लॉ इल्लीगल बना हुआ है और टेक्सेज लगाने का हक नहीं था। उसके बाद हमने लिमिट्स फिक्स करदीं। म्युनिसिपेलिटी की खिलाफत भी करने वाले होते हैं, उनको मौका मिल गया, जब म्युनिसिपेलिटी वेलिड नहीं थी तो टेक्सेज कैसे वसूल किये, इसका दावा किया कि अब तक जो टेक्सेज वसूल किये, वे वापिस किये जांय। वह सारा पैसा आया, उन्हीं के कामों में खत्म हो गया। जिस गवर्नमेन्ट ने म्युनिसिपेलिटीज़ कायम कीं वे भी खत्म हो गईं।

श्री भैरूं सिंह—उस समय की गवर्नमेन्ट को चलाने वाले आगे बैठे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हम तो उस गवर्नमेन्ट के खिलाफ थे, आप साथ थे। सन् ३५ से अब तक के टेक्सेज़ वापिस मांगे, दावा करें। डिग्री कर दीजिये, मेम्बर्स तो घर जाकर बैठ जावेंगे, १०-२० रुपये का सामान, मेज कुर्सियां लेकर चले जावेंगे। और मिलेगा क्या ?

श्री अध्यक्ष—ऐसा ही चाहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—देने वाला तो कोई है नहीं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है नहीं। अगर म्युनिसिपेलिटी ने लिया है तो उससे ले लो, मेम्बर घर चले जायेंगे। ३ म्युनिसिपेलिटीज़ के खिलाफ दावे हुए हैं; नावां, रायसमन्द, पोकरण। मंजूर हो चुके हैं। उनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। टेक्सेज म्युनिसिपेलिटीज़ ने लगा दिये जो वेलिड नहीं थे। अब आयन्दा ५५ से वेलिड हैं। उस कानून में कमी थी इसलिये इसको वेलिड कराने के लिये यह लाया गया है। मैं समझता हूं कि आपको यह क्लीयर होगया होगा। ५५ में जो कायम रखी हैं वे म्युनिसिपेलिटीज़ कायम रही हैं। मैं समझता हूं कि यह नोन कन्ट्रोवर्शियल कानून है और मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक शुबहा नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिहजी, आप बोलेंगे ?

(श्री मानसिंह महार के बोलने के लिये प्रस्तुत होने पर) आप तो जयपुर के हैं, जोधपुर के नहीं हैं।

श्री मानसिंह महार—टाइम दें बोलने के लिये तो ठीक है, नहीं तो कल पर रख दें।

श्री अध्यक्ष—कल रखदूं।

कल नहीं बोलेंगे।

श्री मानसिंह महार—थोडा ही बोलूंगा, साहब ।

श्री अध्यक्ष—आप विचार कर लीजिये, कल बोलिये ।

सदन की बैठक कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही कल दिनांक २७-१०-५६ के प्रातः ११ बजे तक के लिये ५ बजकर १५ मिनिट पर स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–२६, अक्टूबर १९५६ :

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २३३ का उत्तर देखिये)

S.No. 1	*Name* 2	*Remarks.* 3
1.	Shekh Nizamuddin S/o Nasiruddin, Mathura (City)	Rejected.
2.	Syed Abdul Hussain (Filed)	Rejected.
3.	Syed Haidar Hussain & Mubina Khatoon ..	With M.O.R.
4.	Mst. Nanni Begum D/o Mst. Hussaini Begum of Agra	Certificate issued.
5.	Abdul Shakoor	Sent to C.G.
6.	Fayazli	With M.O.R.
7.	Batu S/o Kadir Bux	With M.O.R.
8.	Mst. Sooki W/o Jafarkhan	Returned for re-enquiry.
9.	Syed. Chhotey S/o Jhandoo	With M.O.R.
10.	Shri Akhtar Jama Khan	-do-
11.	Shri Mohammad S/o Chhote	Certificate issued.
12.	Shri Hafiz Khan S/o Abdul Khan	Rejected.
13.	Shri Nathola S/o Mohd. Sadiq	With M.O.R.
14.	Shri Naki S/o Chunga	-do-
15.	Shri Basir S/o Murad Bux	-do-
16.	Mst. Sarwati W/o Razul Hussain	-do-
17.	Mohd. Sadiq S/o Wasid Mohd.	-do-
18.	Mohd. Khan S/o Imamkhan	-do-
19.	Chhajan Khan S/o Dost Mohd.	-do-
20.	Ali Ahmad	-do-
21.	Kasim Khan	Sent to C.G.
22.	Habils S/o Abdulla	With M.O.R.
23.	Bona and others	-do-
24.	Idu S/o Gafur	-do-
25.	Gafoor S/o Nanne	-do-
26.	Syed Ahmad alias Noorjhan	Rejected.
27.	Rosanali Abdul Rehman	With M.O.R.
28.	Khairati S/o Ellahi	Rejected.
29.	Allahdin S/o Chanda	With M.O.R.
30.	Fateh Mohd. S/o Chhotey Khan	Recommended.
31.	Hafiz Khan & Habib Khan S/o Abdulla ..	With M.O.R.
32.	Peru S/o Paley Khan	-do-
33.	Abdul Aziz Khan S/o Naiz Md. Khan ..	-do-
34.	Jumma S/o Chhotey Khan	-do-

1	2	3
35.	Nazaruddin S/o Mira Bux	Recommended.
36.	Gain Md. S/o Subhan Khan	-do-
37.	Ali Hasan Khan S/o Jugan Khan	With M.O.R.
38.	Ismail Khan S/o Basarat Khan	-do-
39.	Abdul Hamid S/o Imdad Hussain	-do-
40.	Mabubali S/o Ahmad Ali	Rejected.
41.	Shahbuddin S/o Kamir Bux	With M.O.R.
42.	Pir Md. S/o Moosa	-do-
43.	Tunda S/o Bulba	Recommended.
44.	Saiduddin S/o Jamaluddin	Rejected.
45.	Shri Mangal S/o Nathua	-do-
46.	Alladin Mirza	With M.O.R.
47.	Md. Yasin Khan S/o Abdulla Kumbhor Gate ..	-do-
48.	Md. Yakub Shekh Mohalla Kotwali	-do-
49.	Gulaldin S/o Bhiri Moh. Matugaran	-do-
50.	Mohd. Asloni S/o Amiruddin Mohd qazian. ..	-do-
51.	Mst. Gulabo-Diwanji-Ki-Gali	-do-
52.	Syeed Munna Khan S/o Abdul Rahim ..	-do-
53.	Syeed Sahjad S/o Sadulla	-do-
54.	Himmat Khan and others	Rejected.
55.	Nasip	With M.O.R.
56.	Shabuddin..	Rejected.
57.	Mst. Moosi W/o Bahadin	With M.O.R.
58.	Jamaluddin	-do-
59.	Akkan Nanwali	-do-
60.	Mohammad Ibrahim S/o Abdul Rehman ..	-do-
61.	Karim Bux	-do-
62.	Mst. Sakina W/o Jumma Nai	Rejected.
63.	Abdul Majid Khan S/o Jiwan Khan	With M.O.R.
64.	Wali Mohammad S/o Sannu Shekh	-do-
65.	Bhola S/o Pema	-do-
66.	Kamruddin & Nasiruddin S/o Rahim Bux ..	With M.O.R.
67.	Mohd. Usuf S/o Karim Bux	-do-
68.	Nannu Teli S/o Phonda	-do-
69.	Kari Khan S/o Rahim Khan	-do-

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २४२ का उत्तर देखिये)

परिशिष्ट (अ)

क्रम सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र व जाति	निवास स्थान का का पता	नामजद उत्तराधिकारी
१	श्री माधोलाल	श्री गोपालजी	४० मेर	खानपुरा	अमरलाल सूरजमल
२	,, पन्नालाल	,, राधाकिशनजी	४२ मेर	,,	बन्शीलाल
३	,, भैरूलाल ..	,, गंगारामजी	४० मेर	,,	चन्दालाल
४	,, नाथूलाल ..	,, माधोलालजी	४० महाजन	मांगरोल	सुदर्शन
५	,, चतर्भुज ..	,, मथुरालालजी	२३ ब्राह्मण	मांगरोल	प्रेमचन्द
६	,, लक्ष्मीनारायण	,, माधोलालजी	३५ तमोली	मांगरोल	कन्हैयालाल
७	,, कन्हैयालाल	,, माधोलालजी	५० तमोली	मांगरोल	परमानन्द
८	,, गोरधन प्रसाद	,, फोजीलाल	३८ ब्राह्मण	मांगरोल	हेमराज बृजराज
९	,, धन्ना ..	,, भूराजी	२२ राठी	खानपुरिया	मोतीलाल
१०	,, नन्दलाल ..	,, लालजी	५० मेर	बोथ	बद्रीलाल
११	,, सीताराम ..	,, नारानजी	३० मेर	भटवाडा	चन्दालाल
१२	,, घासी ..	,, भैरू	५० मेर	बोथ	श्रीकिशन
१३	,, पाथू ..	,, भैरू	४५ मेर	बोथ	घासी
१४	,, प्रभूलाल ..	,, मन्नालाल जी	२५ मेर	बोथ	गोवरीलाल
१५	,, रामकिशन	,, नाथूलालजी	३२ माली	मांगरोल सोखीवाडा	ताराचन्द
१६	,, मा. रामनारायन	,, भोलानाथजी	२९ ब्राह्मण	अमाना	सच्चिदानन्द

परिशिष्ट ३

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो सदन की मेज पर रखे गये)

१. (१४।एस. आर. एम.) श्री सुगनचन्द जैन, एम. एल.ए. (विभाजन संख्या १४७)—क्या सहकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) चित्तौड़ जिले में सहकारी विभाग के कितने कर्मचारी हैं और किस २ पोस्ट पर काम करते हैं ?

(ख) हर एक व्यक्ति किस २ क्षेत्र में काम करता है और उनके क्या २ नाम हैं ?

(ग) सन् ५५–५६ व ५६–५७ में कितनी सहकारी समितियां कहां २ पर बनीं और उन्हें कितनी २ रकमें दी गई ?

(घ) क्या बेगूं सब-डिविजन में भी सहकारी समितियां बनी हैं यदि हां तो कौन २ सी और उन्हें कितनी २ रकमें दी गई और यदि नहीं दी गई तो क्यों ?

(ङ) इस क्षेत्र में रहने वाले कार्यकर्त्ताओं ने इस साल कहां २ का दौरा किया और कितना टी. ए., डी. ए. लिया ?

उत्तर

(क) चित्तौड़ जिले में सहकारी विभाग के ५ कर्मचारी हैं, उनमें से एक निरीक्षक, एक अंक परीक्षक और ३ सहायक निरीक्षक हैं।

(ख) हर एक कर्मचारी का व्योरा निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	नाम	पद	कार्य क्षेत्र
१	श्री हरिश्चन्द्र माथुर	निरीक्षक	जिला चित्तौड़
२	श्री दधीमती लाल	अंकपरीक्षक	जिला चित्तौड़
३	श्री रामदयाल ओझा	सहायक निरीक्षक	बेगूं राष्ट्रीय विकास खंड
४	श्री मोतीलाल	,,	प्रतापगढ़ ,,
५	श्री बाबूलाल आर्य	,,	कपासन ,,

(ग) सन् १९५५-५६ व ५६-५७ में बनाई गई सहकारी समितियों की सूची परिशिष्ट अ संलग्न है। इन समितियों को जो रुपया बतौर ऋण व अनुदान दिया गया है उन के नाम के सामने अंकित कर दिया गया है।

(घ) इस संबंध में परिशिष्ट अ में दी हुई समितियों की सूची में क्रम संख्या १६ से २२ का अवलोकन फरमावें। यह समितियां बेगूं सब-डिविजन में बनाई गई हैं।

(छ) समिति क्रम संख्या २२ के सदस्यों के लिये २४००) रु० ऋण स्वीकृत हुआ था। उसमें से १९५०) सदस्यों को बाटा जा चुका है। शेष रकम बांटने हेतु निरीक्षक को हिदायत की जा चुकी है। अब तक रकम नहीं बांटने का जिम्मेवार श्री भवन्ता खजान्ची बतलाया गया है। विशेष जांच की जा रही है। समितियां क्रम संख्या ३७ से ३९ पर जिन्हें ऋण स्वीकृत होना बतलाया गया है, उनसे ऋण वितरण के संबंध में सूचना प्राप्त की जा रही है। शेष समितियां जिन्हें कर्जा मंजूर हुआ था बांटा जा चुका है।

(च) इस संबंध में विस्तृत सूचना के लिये परिशिष्ट ब का अवलोकन फरमावें।

सूचि (अ)

क्र० सं०	समिति का नाम	दिनांक पंजियन समिति	स्थान ग्राम	रकम कर्जा जो दिया गया	रकम सबसिडी जो मिली	क्या कर्जा सदस्यों को दिया गया
१	२	३	४	५	६	७
१	बहुधंधी सहकारी समिति ..	९-६-५५	सोनियां	३,०००)	..	हां
२	चर्म उत्पादक सहकारी समिति	१२-७-५५	प्रतापगढ	−१४,०००)	..	..
३	धामोत्तर बहुधंधीं सहकारी समिति	२६-७-५४	धामोत्तर	१,५००)	..	हां
४	बहुधंधी सहकारी सम्मिति ..	२३-७-५५	नागेडरा	..	..	..
५	बहुधंधी सहकारी समिति ..	२३-७-५५	झाजली	१,४००	..	हां
६	,, ,, ..	१२-११-५५	सिद्धिपुरा	४,९००	..	हां
७	,, ,, ..	१२-११-५५	खेतडी	७५०)	..	हां
८	,, ,, ..	१-१२-५५	नाई का पठार	..	..	हां
९	,, ,, ..	१-१२-५५	झाजपुर	१,०५०)	..	हां
१०	गोपाल बहुधंधी सहकारी समिति	१२-२-५६	धामोत्तर	१,०००)	..	..
११	बहुधंधी सहकारी समति ..	२१-३-५५	अखलेश्वर	..	..	..
१२	,, ,, ..	२१-३-५६	गंधेर	८००)	..	..
१३	कृषि बहुधंधी सहकारी समिति	२८-४-५६	चिकरडा	२,९००)	..	हां
१४	बहुधंधी सहकारी समिति ..	२१-३-५६	धमनिया	..	..	..
१५	,, ,, ..	,,	बावडरि	..	..	..
१६	बुनकर सहकारी समिति ..	१८-१-५६	बेंगू	..	..	..
१७	चर्म उत्पादक सहकारी समिति	,,	,,	..	..	..
१८	बहुधंधी सहकारी समिति ..	१३-२-५६	पारसोली	१,०००)	..	हां
१९	,, ,, ..	१३-२-५६	दौतलपुरा	..	..	..
२०	लोकप्रिय बुनकर ..	२३-२-५६	बेगू	..	..	..
२१	बहुधंधी सहकारी समिति	२१-२-५६	मिचौर	..	..	..
२२	,, ,, ..	३०-४-५६	बेगू	२,४००)	..	हां
२३	,, ,, ..	१८-१-५६	बूडू	२,८५०)	..	हां
२४	,, ,, ..	२५-२-५६	जवानपुरा	२,५००)	..	हां
२५	,, ,, ..	३-३-५६	गुर्जनिया	२,५००)	..	हां
२६	नोलधर बहुधंधी सहकारी समिति	१८-१-५६	चित्तौड	..	..	..
२७	चर्म उत्पादक सहकारी समिति	५-९-५५	कपासन	६००)	..	हां
२८	बचत व साख समिति ..	१७-७-५५	रोडेहेडा	२,०००)	..	हां
२९	,, ,, ..	२०-७-५५	डगला खेडा	२,०००)	..	हां

१	२	३	४	५	६	७
३०	बहुधंधी सहकारी समिति ..	२०-७-५७	चौथपुरा	२०,०००)	..	हां
३१	गृह निर्माण सहकारी समिति	२५-७-५५	चित्तौडगढ़	५०,०००)	..	हां
३२	उत्पादक सहकारी समिति	२६-१२-५५	"	..	..	..
३३	किसान बहुधंधी सहकारी समिति	१६-७-५६	छोटी सादड़ी	३,५००)	..	हां
३४	बहुधंधी सहकारी समिति ..	१६-७-५६	सूची	३,०००)	.	हां
३५	लोहा उत्पादक सहकारी समिति	१६-७-५६	चित्तौड़गढ	१,५००)	..	हां
३६	गाडुलिया लोहार ..	८-८-५६	चित्तौड़गढ	..	..	..
३७	बहुधंधी सहकारी समिति ..	"	धामोतिया	९००)	..	सूचना प्राप्त की जा रही है
३८	" " ..	"	लालपुरा	१,०००)	..	"
३९	" " ..	"	कलमीपुरा	१,५००)	५५)	"

परिशिष्ट (ब)

नाम कार्य कर्ता १	स्थान जहां दौरा किया मय माह २		टी. ए. व डी. ए. ३			
			रु०	आ०	रु०	आ०
श्री शिवला द्विवेदी	प्रतापगढ	अप्रेल	२६	२	२५	८
	मनसोर					
	चित्तौड					
	उदयपुर					
	प्रतापगढ					
	छमोदर					
	बसेरा					
	नीमच					
	छोटी सादडी					
	निमाहेडा	मई ५६	३२	१५	२२	८
	मंडकया					
	चिकरडा					
	घघेर					
	सिद्धपुरा					
	बलेसरी					
	अवलेसर					
	झाझली					
	खाटूडा	जून ५६	४१	१३	२२	८
	बसेरा					
	बुगाबास					
	सोती					
	मन्दसोर					
	निम्बाहेडा					
	चिकरडा					
	मण्डपिया	जुलाई	४६-८-६		२२	८
	चित्तौड					
	नीमच					
	छोटी सादडी					
	बिलासरी					
	जांजली					

१	२	३				
	भीलवाडा		रु० आ०		रु० आ०	
	प्रतापगढ़					
श्री रामदयाल ओझा सहायक निरीक्षक बेगू	बेगू					
	चरनी					
	चित्तौड़					
	भीलवाडा	अप्रेल ५६	३९	१०	३०	०
	उदयपुर					
	पदारिया					
	पारसोली					
	रासमी					
	जबानपुरा					
	सूद					
	गगाराड					
	कपासन					
	छोटपुरा					
	टुक्कुराई	मई ५६	२२	४	१९	०
	आवला					
	बिछोर					
	कन्टारिया					
	चन्देरिया					
	मुछिग्राना					
	रोडिरा	जून ५६	३१	२	३६	०
	हमीरगढ					
	रासमो					
	गुजरनिया					
	सोनीयाना					
	सूद					
	ठुकराई					
	बेगू					
	निमच					
	चित्तौड					
	छोटुपुरा	अगस्त ५६	३३	२	४०	८

१	२	३				
	भीलवाडा		रु०	आ०	रु०	आ०
	कंटारिया					
	हमीरगढ					
	सोनियाना					
	उदयपुर					
श्री दधिमर्तिलाल आडिटर चित्तौड़	चित्तौड़	अप्रेल ५६	१२	५	१२	०
	उदयपुर					
	चित्तौड़					
	मनसोर					
	प्रतापगढ					
	अदनोर	मई ५६	२२	१३	२४	०
	खेरोल					
	प्रतापगढ					
	खूटोनीपुरा					
	चित्तौड					
	बेंगू					
	बिछोर	जून ५६	१९	१२	२१	०
	खटकडा					
	अवलेस्वर					
	डूकराई					
	गोसुन्डा					
	भीलवाडा					
	चित्तौड	जुलाई ५६	१३	५	७	८
	गोसुन्डा					
	नीमच					
	छोटी सादडी					
	भीलवाडा					
	गोसुन्डा	अगस्त ५६	५२	०	७	८
	उदयपुर					
	जयपुर					

प्रश्न—

२. (६ायू. एस.) महाराजाधिराज श्री अमरसिंह, एम. एल. ए. (विभाजन संख्या २)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

भीलवाडा में जो पावर हाउस बन रहा है उससे बनेडा और मांडलनगर में बिजली दी जावेगी या नहीं ? यदि दी जावेगी, तो कब तक ?

उत्तर

The matter is under consideration. No specific commentments can be made at this stage.